लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-94
Fumigated
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १	सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०	पृष्ठ
	२३ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९		१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२		२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३		४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में		६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य		६९—७१
विशेषाधिकार समिति--		
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक--		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित		७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव		७३—७५
खंण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक		७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव		७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४
अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा समिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०० २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१–८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९–१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . ११४०—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४६६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९–२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०–२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१–२२

सभा का कार्य १२२२–२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५–३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा

मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०

२४ कार्तिक, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एक्सप्रैस तार

†*४३. **श्री हेम बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता को एक्सप्रेस तार काफी देर में मिलते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दुर्घटनाओं में सही सलामत रहने अथवा मृत्यु संबंधी तारों को भेजने के बारे में विशेष हिदायतें दी गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो जनता को इन लाभकारी सुविधाओं की जानकारी देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इन विशेष सुविधाओं के बारे में कोई परिपत्र जारी करने अथवा इनका प्रचार करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) इस प्रकार की कुछ शिकायत आई हैं ।

(ख) ऐसे तारों को बहुत अधिक प्राथमिकता देने की व्यवस्था विधि में मौजूद है ।

(ग) इस सुविधा से संबंधित सभी व्यवस्थायें 'डाक-तार गाइड', 'डाक-तार जेबी गाइड' और 'हिन्दी तार निर्देशिका' में प्रकाशित की जाती हैं । ये तीनों सार्वजनिक उपयोग के लिये हैं ।

(घ) जी हां, प्रचार के सामान्य प्रयासों द्वारा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1298 (Ai) LSD—1.

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मृत्यु या दुर्घटनाओं-ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित और प्राथमिकता के लिये चिह्नित तारों को अन्य एक्सप्रेस तथा अविलम्बनीय तारों के मुकाबले वरीयता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या जनता के लिये लाभकर इस व्यवस्था का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है, जिससे कि जनता इसका लाभ उठा सके ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं बता चुका हूं, इस सबको डाक-तार गाइड में प्रकाशित किया जाता है । तारों को वरीयता देने का आधार यही है कि वे एक्सप्रेस के लिये चिह्नित हैं या साधारण के लिये । हां, माननीय मित्र जिन तारों का उल्लेख कर रहे हैं, उनको, मानव जीवन से संबंधित तारों को अवश्य प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** जनता को इसकी जानकारी नहीं है । मुझे सन्देह है इस बात पर लोग इसे जानते हैं । मुझे भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी । इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता के लिये इतनी लाभकारी इस व्यवस्था को पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाता है या नहीं ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं देखूंगा इसको अधिक और क्या किया जा सकता है ।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी :** क्या माननीय मंत्री के पास ऐसी भी कुछ शिकायतें आई हैं कि अविलम्बनीय तार भी लोगों को साधारण पत्रों के बाद मिलते हैं ?

†**श्री रंगा :** बात सही है ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैंने भी ऐसी शिकायत सुनी है । इसके लिये हम विभाग को आड़े हाथों ले रहे हैं । दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि हम विभाग का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं कर पाते ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं है ? माननीय मित्र का अपना अनुभव भी शायद यही होगा । लोगों को कई साल से यह शिकायत है । एक्सप्रेस तार साधारण तारों के भी बहुत बाद मिल पाते हैं । जनता को एक्सप्रेस तारों पर अधिक पैसा खर्च करने के लिये विवश किया जाता है, फिर उनको कम सुविधा मिल पाती है ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मुझे भली भांति मालूम है । इसीलिये मैंने कहा मैं इसे ठीक करने की कोशिश में हूं ।

†**श्री मा० श्री० अणे :** मैंने भी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री का ध्यान एक एक्सप्रेस तार की ओर आकर्षित किया था, जो प्रोफेसर रंगा ने मेरे नाम भेजा था । क्या माननीय मंत्री ने उसकी जांच की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** माननीय सदस्य अवस्था में मुझ से बड़े हैं । मैं उनकी भांति उत्तेजित नहीं होना चाहता ।

†**श्री गोरे :** यह उनका सहज स्वर है ।

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं स्वीकार करता हूं कि विलम्ब होता है । हम उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस सेवा को अधिक बेहतर बनाया जा सके ।

†**सेठ अचल सिंह :** क्या यह सच है कि आम हड़ताल के बाद तार विभाग के कर्मचारियों ने मन्दगति से काम चलाने की नीति अपनाई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन** : जी, नहीं । सच तो यह है कि हमने उनमें से अधिकांश को फिर से काम पर रख लिया है और उनको समझाया है कि उनको अब पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे ढंग से अपना काम करना चाहिये ।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या कुछ एक्सप्रेस तार कभी-कभी बांटे ही नहीं जाते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं ।

प्रश्न संख्या ४६ और ८३ के सम्बन्ध में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा अनुरोध है कि प्रश्न संख्या ४४ के साथ प्रश्न संख्या ४६ और ८३ भी ले लिये जायें ।

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं ।

खाद्य का उत्पादन

*४४. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री गोरे :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री साधन गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पिछले वर्षों की अपेक्षा खाद्यान्न का अधिक उत्पादन होने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव खाद्यान्न के मूल्यों पर पड़ा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) १९६०–६१ के खाद्य फसलों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । देश के कुछ भागों में प्राकृतिक संकटों द्वारा खरीफ की फसलों को नुकसान होने के बावजूद, हाल के लक्षणों के अनुसार उत्पादन की संभावना सन्तोषजनक है ।

(ख) जी हां । पिछले कुछ सप्ताहों से भाव साधारणतया मुलायम हो गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फलों की क्षति

+

*४६. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखा से खरीफ की कौन-कौन फसलें नष्ट हो गईं ; और

(ख) बाढ़ और सूखा के कारण खरीफ की फसल का उत्पादन कितना कम हुआ ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख) सभा की टेबिल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

अभी यह जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फसलों के अखिल भारतीय अन्तिम अनुमानों के प्रकाशित होने के बाद विभिन्न खरीफ फसलों की पूरी जानकारी केवल मई-जून १९६१ में उपलब्ध होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्न संख्या ८३ को भी साथ में लिया जाये ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वह हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : कुछ दिन पहले खाद्य मंत्री, डा० पंजाब राव देशमुख, ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यह आशा व्यक्त की थी कि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और अभी कल परसों खाद्य मंत्री ने अमरीकी खाद्यान्नों का बोरा उपहार में ग्रहण करते हुए बम्बई में कहा था कि इस से हमारे खाद्यान्न के मूल्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि जनता को इस का व्यावहारिक रूप कब तक देखने को मिलेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : प्राइस तो घट जाती है और घटी है । और ज्यादा घट जायेगी तो डेंजर है किसानों के लिये । और ज्यादा नहीं घटना चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने की दृष्टि से किसानों को ऋण और आर्थिक सहायता देने का वचन दिया जाता है, उन क्षेत्रों में लगभग हमेशा ही वे ऋण और आर्थिक सहायता समय पर नहीं मिलते । क्या सरकार ऐसी कोई कदम उठायेगी जिससे उन के मिलने में विलम्ब न हो ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : दोनों में ठीक ठीक सम्पर्क बनाने का कार्य अब सामुदायिक परि योजनाओं के जरिये किया जा रहा है । इस वर्ष खाद की कुछ कमी पड़ गई थी, इसलिये कि ठीक समय पर उसका सम्भरण नहीं हो पाया था । वैसे किसानों को उन की आवश्यकता की सभी चीजें, जैसे बीज, खाद, इत्यादि, उन को जुताई या बोआई के पहिले दे दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गोरे** : मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति को देखते हुए, सरकार बहुत नीचे मूल्यों के कारण किसानों को होने वाले कष्ट से उन को बचाने के लिये कौन से कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**श्री स० का पाटिल** : बड़ी सावधानी से स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है । अभी ऐसा कोई कदम उठाने का अवसर इसलिये नहीं आया कि मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति भर आई है, अधिक गिरे नहीं हैं । यदि हम देखेंगे कि वास्तव में मूल्य बहुत गिर रहे हैं, तो किसानों को संरक्षण दिया जायेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने सामुदायिक परियोजना अभिकरण का उल्लेख किया था । मुझे पता नहीं कि सरकार को योजना के सम्बन्ध में अभी हाल में हुई त्रिदिवसीय चर्चा की जानकारी है या नहीं । उस चर्चा में कई माननीय सदस्यों ने बार बार यह आरोप लगाया था कि सामुदायिक विकास के ओवरसियर और कृषि से संबंधित इंजीनियर बिना किसी आभार के कोई भी बिल पास नहीं करते । क्या सरकार उस विभाग को बन्द करने का आदेश देगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : उसका सम्बन्ध अन्य मंत्रालय से है । लेकिन मैं उसे समझ सकता हूं । कृषि के हितों की दृष्टि से हम उस से संबंधित मंत्रालय का ध्यान इस की ओर आकर्षित करेंगे ।

†**श्री गोरे** : मेरे पहले के प्रश्न के उत्तर में सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यदि मूल्य एक स्तर विशेष से नीचे गिरेंगे तो क्या सरकार स्वयं बाजार में क्रय-विक्रय शुरू करेगी और एक निश्चित मूल्य पर अनाजों की खरीद सुनिश्चित बनायेंगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं कह चुका हूं कि किसानों को संरक्षण दिया जायेगा । संरक्षण देने के कई तरीके हो सकते हैं । माननीय सदस्य ने उन में से एक बताया है, लेकिन और भी कई तरीके हैं । अभी वह स्थिति नहीं आई है, इसलिये हम ने अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है । लेकिन हम स्थिति पर पूरी तौर से नजर रखे हैं और अवश्य ही कुछ करेंगे ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या सरकार ने टिड्डी दल के आक्रमण के फलस्वरूप हुई फसलों की क्षति का कोई मूल्यांकन दिया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हां, टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था । बाढ़ें और सूखे भी पड़े हैं । फिर भी, कुल मिला कर हालत पिछले साल से बेहतर है, खास तौर से चावल की मुख्य खरीफ फसल की । चावल की ८० प्रतिशत से अधिक फसल खरीफ की होती है और बाढ़ों, सूखे और टिड्डी दल के बावजूद इस साल सारे देश में चावल की फसल पिछले साल से अच्छी रही है । आशा है कि इस साल पिछले साल से कहीं ज्यादा चावल होगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मानसून न पहुंचने से मैसूर राज्य के खाद्य उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : सूखे के कारण मैसूर और आन्ध्र के केवल कुछ ही भागों में ज्वार-बाजरे की फसल को कुछ हानि पहुंची है । लेकिन आन्ध्र में भी, खास तौर से चावल उत्पादक क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के खाद्य भंडार डेल्टा क्षेत्र में इस साल फसल अच्छी रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री मूल्यों की गिरावट किस स्तर तक होनें देंगे, किस स्तर तक मूल्यों की गिरावट को वह निरापद समझते हैं और जिस के बाद ही वह कोई कदम उठायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का पाटिल :** वह स्तर अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। मैं कह चुका हूं कि परिस्थिति लगातार बदलती रहती है। हम उस पर नजर रखे हैं। जैसे ही कोई खतरा पैदा होने की स्थिति होगी, वैसे ही हम उस के सम्बन्ध में कार्यवाही करने लगेंगे और किसानों को कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। अभी हम वह स्तर निर्धारित नहीं कर सकते।

†**श्री सुब्बया अम्बलम् :** माननीय उपमंत्री के उत्तर को देखते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका से आयातों के फलस्वरूप हमारे पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक हो गया है, क्या सरकार खाद्य ज़ोनों को हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह मसला अलग है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** माननीय उपमंत्री ने कहा है कि उड़ीसा और अन्य राज्यों में बाढ़ और सूखे के बावजूद इस साल फसल अच्छी है। उन का अनुमान क्या है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** फसल कितनी अच्छी है इस बात का अभी अन्तिम रूप से कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। लेकिन बाढ़ों के तुरन्त बाद हमारे पास रिपोर्टें आती हैं। विशेषकर, उड़ीसा, माननीय सदस्य के अपने राज्य में इस साल दो बार बड़े जोर से बाढ़ें आई थीं। उन के बावजूद उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के अन्य क्षेत्रों में काफी अच्छी फसल रही जिससे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की हानि की पूर्ति हो जाती है। हम स्वयं वहां जा कर देखते हैं। पिछले ढ़ाई महीनों में मैं ने इन सभी क्षेत्रों का काफी दौरा किया था। मैं कार, रेल और जीप द्वारा इन क्षेत्रों में गया था। मैं ने स्वयं वहां खड़ी फसलें देखी हैं और कह सकता हूं कि इस साल फसल ज्यादा अच्छी है।

†**श्री हेम बरुआ :** उपमंत्री की खुशफहमी के बावजूद, मैं सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन के १९६० के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करता हूं, जिस में कहा गया है कि भारत में अनाजों और दालों की पैदावार में गिरावट आयेगी; और यदि यह ठीक है, तो सरकार ने उन की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** खाद्य तथा कृषि संगठन ने पिछले साल, अर्थात् १९५९-६०, के आंकड़े दिये हैं; १९६०–६१ के नहीं। १९६०–६१ के आंकड़े तो अभी हमारे पास आये ही नहीं हैं। वे जब हमारे पास आयेंगे, तभी हम उनको खाद्य तथा कृषि संगठन के पास भेजेंगे। उस के बाद ही वह अगले साल का अनुमान लगायेगा। इसलिये खाद्य तथा कृषि संगठन का वह अनुमान पिछले साल के बारे में है, आगामी वर्ष के लिये नहीं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** सरकार को मालम ही है कि इस वर्ष किसानों को जूट के लिये बहुत ऊंचे दाम मिले हैं। पिछले वर्ष जूट का मूल्य इतना ऊंचा नहीं था। इसलिये जूट उत्पादकों ने इस वर्ष जूट की खेती उतनी ज्यादा नहीं की थी। और चूंकि इस वर्ष उन को जूट के लिये बहुत ऊंचे दाम मिले हैं, इसलिये आशा है कि वे अगले साल जूट की खेती कहीं ज्यादा करेंगे। इसे रोकने के लिये सरकार क्या करने की सोच रही है ? चूंकि जूट की खेती नहीं हुई, इसीलिये फसलें इस साल अच्छी हैं।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जूट तो खाद्य नहीं है ?

†**श्री सूपकार :** जहां बाढों और सूखे का काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, उन क्षेत्रों में फसलों का अनुमान लगाने का क्या आधार है ? क्या सरकार मूल्यों की गिरावट को देखकर ही यह अनुमान लगाती है कि इस साल उत्पादन अच्छा होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : निश्चय ही, जब मूल्यों में गिरावट आती है, तब सभी जान जाते हैं कि देश में काफी खाद्यान्न मौजूद है। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, मैं यह भी कह सकता हूं कि उड़ीसा में जिन लोगों के पास स्टाक जमा है वे लोग भी अब उसे जल्द से जल्द बेच देना चाहते हैं क्योंकि खाद्यान्नों की प्रचुरता होने के कारण वे अधिक दिनों तक अपना स्टाक जमा नहीं रख सकते।

†**श्री सूपकार** : क्या केवल यही एक कसौटी है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरे सहयोगी ने बताया है कि वास्तविक आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किये गये हैं, हां उन को प्रकाशित किया जायेगा। अभी इस समय तो संभावना यही है कि यदि मूल्यों में अधिक गिरावट आजाये, तो उस से पता चलता है कि देश में खाद्यान्नों की कोई भी कमी नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि फसल के अच्छे उत्पादन और अमरीकी खाद्यान्न के आयात के आरम्भ हो जाने से जो खाद्यान्न के मूल्यों में गिरावट आयेगी, उस को देखते हुए अन्न के अन्तर्प्रान्तीय यातायात के ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है, उसको भी हटाया जा सकेगा ?

श्री स० का० पाटिल : अभी कुछ ज्यादा प्रतिबन्ध तो नहीं हैं। मध्य प्रदेश की बात तो ठीक है। वहां पर भी चन्द रोज में प्रतिबन्ध में थोड़ा तो फर्क होगा जिससे कि वहां का खाद्यान्न दूसरी जगह पर जा सकेगा। पंजाब में भी है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उस का असर हमारे खाद्यान्न के ऊपर हो।

†**श्री साधन गुप्त** : किसान लोग अपने स्टाक ज्यादा दिनों तक नहीं रोक सकते, और साथ ही मूल्यों के गिरने की भी संभावना है, इन दोनों बातों को देखते हुए क्या सरकार ने खाद्यान्नों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के निर्धारण की कोई योजना बनाई है ? यदि स्थिति बेकाबू हो जाने के बाद ऐसी कोई योजना लागू की गई, तो उस से किसानों का नहीं बिचौलियों का ही फायदा होगा।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं इस का उत्तर कई बार दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण खाद्य से सम्बन्धित इस प्रश्न के बहाने कई असंगत प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का संबंध तो विशेषकर बाढ़ों और सूखे से है। और उस के फलस्वरूप फसल की संभावना से है। मूल्यों का तो मूल प्रश्न से सबन्ध ही नहीं।

†**श्री साधन गुप्त** : मूल्यों का उस में उल्लेख है।

†**एक माननीय सदस्य** : प्रश्न संख्या ४४ के भाग (ख) में मूल्यों का उल्लेख है।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है—"क्या उस का प्रभाव मूल्यों पर भी पड़ा है"।

†**श्री सम्पत** : कुछ चुने हुए क्षेत्रों में समेकित कार्यक्रम लागू करने का जो परीक्षण किया गया है, वह किस सीमा तक सफल रहा, और क्या सरकार उसे अन्य क्षेत्रों तक विस्तारित करने की सोच रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी, हां। सात राज्यों के सात जिलों में इस समेकित कार्यक्रम को चालू किया गया था। हमारा विचार उसे सभी राज्यों में चालू करने का है, केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में भी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल्यों से सम्बन्धित श्री साधन गुप्त के प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

†**श्री साधन गुप्त** : मेरा प्रश्न यह था। माननीय मंत्री ने कहा था कि मूल्यों में बहुत गिरावट आने की स्थिति पैदा होन पर, वह न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने या ऐसी ही कोई अन्य कार्यवाही करने

---

†मूल अंग्रेजी में

की बात सोची जायेगी। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने न्यनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करने की कोई योजना तैयार कर ली है, क्योंकि वास्तविक स्थिति पैदा हो जाने के बाद यदि योजना बनानी शुरू की जायेगी, तो तब तक स्थिति बेकाबू हो जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मूल प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उस में तो माननीय सदस्य ने केवल इतना पूछा था कि इस वर्ष खाद्य उत्पादन का मूल्यों पर कहां तक प्रभाव पड़ा है। माननीय मंत्री न उसका उत्तर दे दिया है।

†**श्री स० का० पाटिल :** अभी इस प्रश्न का भी अध्ययन किया जा रहा है। यदि हम देखेंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है तो काफी पहले से उस का इंतजाम कर लेंगे। यह वचन मैं दे चुका हूं।

†**श्री हेडा :** क्या सराकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि वर्ष की कमी और सूखा पड़ने के कारण निजाम सागर जैसे कुछ जलाशयों में उन की पूरी क्षमता भर पानी नहीं भरा है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** बात सही है। उस का सम्बन्ध सिंचाई मंत्रालय से है, लेकिन हमारे लिये भी उस का बड़ा महत्व है। इस से उन की समस्या और बढ़ जाती है।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सच है कि हाल में मूल्यों की गिरावट आने से, उन कुछ राज्यों को बड़ी हानि उठानी पड़ी है जिन्होंने अपना स्टाक बनाने के लिये पहले काफी बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद कर ली थी, और अब वे उसे पहले के मूल्यों पर बेच नहीं सकते ?

†**श्री स० का० पाटिल :** जी, हां। इसीलिये मैंने कहा है कि शायद मध्य प्रदेश में अगले कुछ ही दिनों में हम कुछ संशोधित ज़ोन प्रणाली लागू कर रहे हैं। उस पूरे ज़ोन में पहले के स्टाक की काफी बड़ी मात्रा सुलभ बना दी जायेगी। शायद पंजाब में भी यह प्रणाली लागू की जाये।

†**श्री त्यागी :** हानि का भार कौन उठायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** या राज्य सरकार, या फिर केन्द्रीय सरकार को उस का भार वहन करना पड़ेगा।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य

+

†*४५. **श्री कुन्हन :**
श्री कोडियान :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकन के कार्यों के सम्बन्ध में जिन को हाथ में लिया जाना है, व्यापक दीर्घ कालीन योजना पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इन प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

केरल सरकार ने समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये अभी तक कोई व्यापक दीर्घ-कालीन योजना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि उन्हों ने तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान हाथ में लिये जाने वाले समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समुद्र को रोकने के लिये निम्न स्थानों पर २५ मील तक रक्षात्मक दीवार का निर्माण किया जायेगा जिस में आवश्यकतानुसार तख्तों की रोक लगाई जायेगी :

(१) वर्कला
(२) नींदाकारा
(३) छबड़ा, पन्माना
(४) अय्यरम्ठेंगू
(५) त्रिकुनापूजा
(६) चेल्लनम्
(७) नयरम्बलम्
(८) पंजगढ़
(९) पंजगढ़ के उत्तर में
(१०) मानसेरी
(११) कोजीकोडे और बेपुर
(१२) तेल्लीचेरी
(१३) आजीकाल और कन्नूर

इस कार्यक्रम में ३ करोड़ रुपये व्यय होंगे। भारत सरकार, तीसरी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले समुद्र द्वारा भूमि का कटावों रोकने संबंधी कार्य के आकार से सिद्धान्तः सहमत हो चुकी है तथापि उक्त कार्यों के लिये वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाय इस पर विचार किया जा रहा है।

†श्री कुन्हन : केरल को प्रतिवर्ष बहुत हानि हो रही है। इस योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

†श्री हाथी : तीसरी योजना में व्यवस्था की जा रही है। वस्तुतः इस के सम्बन्ध में दूसरी योजना में भी व्यवस्था की गई थी।

†श्री तंगामणि : तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस में से चालू वर्ष के लिये, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है कितनी राशि रखी गई है ?

†श्री हाथी : दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि के दौरान १ करोड़ ८५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। १९६०–६१ के लिये ३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

†श्री अ० क० गोपालन : विवरण में कहा गया है कि वित्तीय सहायता देने के तरीके पर अभी विचार किया जा रहा है। क्या आप स्पष्टीकरण करेंगे कि वित्तीय सहायता की रूपरेखा से क्या तात्पर्य है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री हाथी : इस का तात्पर्य यह है कि क्या वित्तीय सहायता शत प्रतिशत ऋण के रूप में दी ...त शत ऋण और कुछ अनुदान के रूप में दी जाये, इस पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि यह समस्या आन्ध्र, बम्बई, मदरास और उड़ीसा राज्यों में भी मौजूद है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन राज्यों को भी समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने में सहायता देने पर विचार कर रही है ?

†श्री हाथी : समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने संबंधी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं । हम ने इस संबंध में अस्थायी रूप से ५ करोड़ रुपये की राशि निश्चित की है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मुझे ज्ञात हुआ है कि मोनोजाइट वाले क्षेत्रों में रक्षात्मक दीवारों का निर्माण नहीं किया जा रहा है और भूमि के कटाव से उक्त क्षेत्रों को बहुत हानि हो रही है । इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†श्री हाथी : हम ने मोनोजाइट क्षेत्रों में दो दीवारें बनाने की व्यवस्था की है ।

†श्री जी० चन्द्रन : क्या यह सच नहीं है कि बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारें ५०, ५० प्रतिशत अनुदान देते हैं । समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने संबंधी योजनाओं के बारे में यह विभेद क्यों किया जा रहा है ?

†श्री हाथी : यह कोई सामान्य नियम नहीं है कि केन्द्र बाढ़ नियंत्रण संबंधी योजनाओं के लिये ५० प्रतिशत राशि देवे । सामान्यतः यह ऋण के रूप में दिया जाता है ।

†डा० मा० श्री० अणे : समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने संबंधी कार्य कुल कितने एकड़ क्षेत्र में किया जायेगा ?

†श्री हाथी : केरल के सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र में जिसकी लम्बाई ३५० मील दूर है ।

†डा० मा० श्री० अणे : सरकार द्वारा आरम्भ किये कार्यक्रम के अनुसार यह कार्य कितने वर्ष में समाप्त होगा ?

†श्री हाथी : केरल सरकार ने २०० मील तक की एक योजना पेश की है । जिस का कार्य पांचवी योजना के अन्त तक समाप्त होगा ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी मिली है कि अन्य वर्षों की अपेक्षा पिछले वर्ष समुद्र द्वारा भूमि का कटाव अधिक हुआ ?

†श्री हाथी : हमें यह जानकारी है कि विभिन्न स्थानों में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव हुआ ।

†श्री कुन्हन : १८५ लाख रुपयों में से दूसरी योजना की अवधि में कितनी राशि व्यय की गई है ?

†श्री हाथी : १८५ लाख में से हम १५५·६० लाख रुपये अब तक दे चके हैं । ३० लाख इस वर्ष देने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फीरोजाबाद के निकट रेल दुर्घटना

+

†*४७. { **श्री सैं० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ सितम्बर, १९६० को फीरोजाबाद के निकट कई रेल यात्रियों को चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी हां। १८-९-१९६० के दिन तीन यात्रियों को जब कि वे, २ डाउन आगरा केन्ट-टूंडला-कानपुर यात्री गाड़ी में सफर कर रहे थे, कुछ गुंडों ने पीटा तथा फिरोजाबाद और माखनपुर रेलवे स्टेशन के बीच गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। एक यात्री मर गया तथा दो यात्रियों के चोटें आईं। मामले की पुलिस जांच कर रही है।

†**श्री सैं० अ० मेहदी** : दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था। क्या इस का कारण अधिक भीड़भाड़ होना था या अचानक किसी वारदात का होना था। यदि ऐसा अधिक भीड़भाड़ के कारण हुआ तो सरकार इस संबंध में क्या विशेष कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जांच की जा रही है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस संबंध में कोई विभागीय जांच की गई क्या यह घटना साम्प्रदायिक दंगों के कारण हुई अथवा मात्र दुर्घटना थी।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पुलिस जांच कर रही है। हम जांच नहीं किया करते हैं।

†**श्री अंसार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि अक्सर फीरोजाबाद स्टेशन में दुर्घटनायें हो जाती हैं। इस का क्या कारण है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं नहीं कह सकता कि अक्सर ऐसा होता है। यह एक दुर्घटना थी जिस की जांच की जा रही है।

†**श्री प्र० गं० देव** : रेलवे यात्रियों को कितना प्रतिकर दिया गया।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रतिकर का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : प्रश्न यह है कि दुर्घटना से आहत यात्रियों को कुछ प्रतिकर दिया गया या नहीं ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : प्रतिकर केवल दुर्घटना से आहत व्यक्तियों को दिया जाता है। इस मामले में दुर्घटना से कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और क्या गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछ-ताछ की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस अभी पड़ताल कर रही है ।

†श्री सें० अ० मेहदी : उपमंत्री ने कहा कि दुर्घटना की जांच अभी जारी है कि दुर्घटना नहीं हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई जांच की गई ?

†श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य मेरे उत्तर का आशय नहीं समझ सके। मैं ने कहा था कि कोई रेलवे दुर्घटना नहीं हुई ।

दक्षिण रेलवे पर संचालन अनुपात[1]

†*४८. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर उच्च संचालन अनुपात के सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस ने की ठी ; और

(ग) इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे पर किये जाने वाले वित्तीय व्यय की निरन्तर पड़ताल के साथ साथ जो कि सामान्य रूप से की जाती है, १९५७–५८ के नतीजों के परिणाम स्वरूप, जैसे ही दक्षिण रेलवे के वित्तीय परिणामों में निश्चित गिरावट देखी गई एक सघन पड़ताल भी की गई।

(ख) जांच दक्षिण रेलवे के प्रशासन ने की जांच करते समय रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों द्वारा पत्र व्यवहार तथा चर्चाओं में दिये गये सुझावों पर भी ध्यान दिया गया रेलवे बोर्ड के कुशलता ब्यूरो ने भी इस कार्य में सहायता की।

(ग) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

†श्री त० ब० विट्ठल राव : सभा पटल पर रखे गये लम्बे विवरण में एक कारण यह भी बताया गया है कि दक्षिण रेलवे के लिये कोयला रेल व समुद्री मार्ग से आता है। दूसरा कारण यह है कि इस रेलवे में माल का यातायात कम होता है। क्या इस कमी को दूर करने के लिये रेलवे बोर्ड अथवा रेलवे प्रशासन केवल रेल द्वारा कोयला पहुंचाने पर विचार कर रहा है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय मंत्री को यह नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्रीय हित के लिये कभी कभी तटवर्ती जहाजरानी भी आवश्यक होती है। दक्षिण में जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन केवल इस कारण नहीं किया जाता कि मालडिब्बों की कमी रहती है अपितु इसलिये भी किया जाता है कि इससे तटवर्ती नौवहन को सहायता मिले।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या तटवर्ती नौवहन के लिये यह सहायता राशि जारी रहेगी।

†श्री जगजीवन राम : मैं नहीं कहता कि यह हमेशा बनी रहेगी। यदि तटवर्ती नौवहन को अन्य प्रकार का यातायात मिलेगा और तटवर्ती नौवहन अपने पैरों पर खड़े होने योग्य हो सके तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष सहायता अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Operating Ratio.

†**श्री तंगामणि** : विवरण से ज्ञात होता है कि दक्षिण रेलवे में यात्री परिवहन से होने वाली आय का अनुपात अन्य रेलों से अधिक है, यह प्रतिशत ३५ है जब कि अन्य रेलों में यह प्रतिशत केवल ३० प्रतिशत है क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां यात्री सुविधाओं में वृद्धि की जायेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि दक्षिण रेलवे में यात्री सुविधायें अन्य रेलों की अपेक्षा कम हैं।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि दक्षिण रेलवे में कोयले की औसत कीमत ६५ रुपये प्रति टन है जब कि अन्य रेलों में यह केवल ४२ रु० है। क्या विशुद्ध लाभ का हिसाब लगाते समय बजाय यह दिखाने के स्थान पर कि दक्षिण रेलवे में हमेशा घाटा होता है, क्या इस राशि को सहायता अनुदान नहीं माना जा सकता है ?

†**श्री जगजीवन राम** : दक्षिण रेलवे की वित्तीय स्थिति का हिसाब लगाते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है।

†**श्री आचार** : क्या दक्षिण रेलवे में प्रति मील रेलवे की खपत उत्तरी रेलवे से अधिक है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मोटे तौर पर सभी रेलों में यह खपत समान है।

†**श्री आचार** : क्या यह सही नहीं है कि दक्षिण रेलवे के अधिकांश इंजिन पुराने हैं और वे अधिक कोयले की खपत करते हैं।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी नहीं। यह बात गलत है।

डाक और तार के विभागातिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी समिति

+

†*४९. **श्री तंगामणि** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री दामानी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के बारे में कोई अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजन समिति का प्रतिवेदन १९५८ में प्रस्तुत कर दिया गया था तब उस पर अंतिम रूप से निश्चय करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : क्योंकि हम ने इस के संबंध में भी वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करना था। वेतन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत होने के पश्चात हम ने उन पर काफी परिश्रम किया। अतः अंतिम निर्णय करने में कुछ विलम्ब हो गया।

†**श्री तंगामणि** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभाग तिरिक्त कर्मचारियों का वेतन केवल २२ रु० मासिक है, और उनकी संख्या १०,०००० है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर वर्ष के अन्त तक निर्णय कर लिया जायेगा।

†**डा० प० सुब्बरायन** : वे केवल आंशिक समय काम करने वाले कर्मचारी हैं अतः उन्हें उस वेतन की आशा नहीं करनी चाहिये जो कि सरकार के स्थायी कर्मचारियों को मिलती है। साथ ही साथ हम इन कर्मचारियों की कठिनाइयां भी दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वस्तुतः डाक तथा तार बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की थीं जो मैंने स्वीकार नहीं की क्योंकि जिस वेतन क्रम की सिफारिश की गई थी वह बहुत कम था। उन्होंने उस पर पुनर्विचार कर इसे मेरे पास भेजा। मेरे विचार कर लेने के उपरांत इसे वित्त मंत्रालय के पास उनके निर्णय करने के लिये भेजा जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन सिफारिशों पर डाक तथा तार बोर्ड विचार कर रहा है या केवल कुछ विभागीय मुख्याधिकारी इस पर विचार कर रहे हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : निसंदेह वे विभागीय मुख्याधिकारी हैं।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या ऐसे विभागातिरिक्त कर्मचारी जिन्होंने ५ वर्ष से अधिक काम कर लिया है, और जो अर्हता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें नियमित बना दिया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : प्रश्न इतना लम्बा है कि मैं उसका वास्तविक आशय नहीं समझ सका हूं।

†**पं० द्वा० ना० तिवारी** : क्या ऐसे विभागातिरिक्त कर्मचारियों को जिन्होंने ५ वर्ष से अधिक काम कर लिया है और जो अर्हता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें नियमित बनाने के अनुदेश जारी किये गये हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : समय समय पर, जब हम देखते हैं कि व्यक्ति ने उक्त समय तक काम कर लिया है और वह स्थायी बनाया जा सकता है तो उसे स्थायी बना दिया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री भक्त दर्शन** : माननीय मंत्री ने पिछली बार कहा था कि निर्णय शीघ्र ही किया जाने वाला है। इस बार उन्हों ने शब्दों में थोड़ा हेर फेर करके यही बात कही है। क्या इसी सत्र के दौरान कोई निर्णय किया जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : शब्दों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करना ही होता है। सच्चाई यह है कि इस पर अविलम्बनीय रूप से विचार किया जा रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : श्रीमान्, पिछली बार आपने माननीय मंत्री जी से अवधि बताने को कहा था। क्या समिति ने किसी वेतन क्रम की सिफारिश की है। यदि हां, तो सिफारिश क्या है ? यदि सरकार ने उसे कम समझा तो इस के क्या कारण थे हम उन कारणों को जानना चाहेंगे क्योंकि इस मामले को तीन वर्ष हो चुके हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : प्रश्न इतना लम्बा है कि मैं उसकी मुख्य बात को नहीं समझ सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को निर्णय करने में कितना समय लगेगा।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैंने उन कठिनाइयों का बयान किया है जिन का हमें सामना करना पड़ रहा है। मैंने उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया अतः वे डाक तथा तार बोर्ड को भेज दी गईं। उन्हों ने पुनः कुछ प्रस्ताव रखे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। तत्पश्चात अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन्हें वित्त मंत्रालय के सम्मुख रखा जायेगा। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र के पूर्व मैं उन निर्णयों को सभा पटल पर रख सकूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वेतन क्रमों के संबंध में की गई सिफारिशों पर भूतलक्षी अवधि से विचार किया जायेगा, जिस से कि सरकार के विलम्ब के कारण कर्मचारियों को हानि न हो।

†**डा० प० सुब्बरायन** : माननीय सदस्य बहुत धीरे बोल रहे हैं अतः मैं उनका आशय नहीं समझ सका।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसकी कोई सीमा होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री को समझने में इस कारण कठिनाई होती है कि एक ही प्रश्न पर एक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहियें तभी उनका उचित उत्तर दिया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : यह कठिनाई केवल मंत्री महोदय के साथ है। उन्हें किसी की भी बात नहीं सुनाई देती है वस्तुतः इसका कारण कहीं और है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : अन्य मंत्री सुनने में समर्थ हैं केवल माननीय मंत्री ही सुनने में असमर्थ हैं।

†**डा० प० सुब्बरायन** : शायद मैं कुछ ऊंचा सुनता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस में बहुत समय लग गया है। प्रतिवेदन १९५८ में प्रस्तुत किया गया था लेकिन वह अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वेतन क्रमों को भूतलक्षी अवधि से क्रियान्वित किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछने से कार्य की गति में शीघ्रता नहीं आयेगी। जितनी शीघ्रता से यह कार्य किया जा सकता है उतनी शीघ्रता से यह किया जा रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को स्वभावतः कुछ समय लगेगा। विलम्ब के कारणों से माननीय सदस्य सहमत हैं तथापि वे जानना चाहते हैं कि क्या सिफारिशों को भूतलक्षी अवधि से लागू किया जायेगा।

†डा० प० सुब्बारायन : यह एक सुझाव है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं इस मामले पर सहानुभुति पूर्वक विचार करूंगा।

दिल्ली में भूमि अर्जन

†*५०. { +श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या स्वास्थ्य मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में प्राप्त की गयी भूमि के विकास के लिए एक परिक्रामी निधि[1] स्थापित करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत सरकार ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में अर्जित की हुई भूमि के विकास के लिए एक परिक्रामी निधि-स्थापित करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में १९६१–६२ के आय-व्ययक अनुदानों में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक उपबन्धों की प्रस्थापना प्रस्तुत कर दी जायेगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस परिक्रामी निधि की राशि क्या होगी?

†श्री करमरकर : आय व्ययक में यह राशि कितनी होगी यह इस समय मेरे लिए बताना सम्भव नहीं परन्तु यह राशि मुनासिब ही होगी।

†श्री दी० चं० शर्मा : यह परिक्रामी निधि कितने एकड़ भूमि के काम में आयेगी?

†श्री करमरकर : मेरे विचार में लगभग ८,००० एकड़ भूमि है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस परिक्रामी निधि के प्रशासन के लिए कोई नई मशीनरी की व्यवस्था की जायेगी अथवा दिल्ली विकास प्राधिकार ही इस कार्य को करेगा?

†श्री करमरकर : यह अभी नहीं कहा जा सकता।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस निधि द्वारा जिस भूमि का अर्जन किया जायेगा, क्या उसके लिए किसी योजना का निर्माण किया गया है?

†श्री करमरकर : जी हां, और उस पर हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

†श्री ब्रजराज सिंह : जिस ३४,००० एकड़ भूमि का अर्जन करने के सम्बन्ध में गत वर्ष अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी क्या उसके अतिरिक्त अन्य भूमि को अर्जित करने सम्बन्धी भी कोई अधिसूचना जारी की गयी थी?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pevolvi

†**श्री करमरकर** : मैंने इसका उत्तर दिया था कि कोई नयी भूमि अर्जित नहीं की गयी, न ही कोई अधिसूचना जारी की गयी है। केवल ३४,००० एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही अधिसूचना जारी की गयी थी। हमारे विचार में उसका समुचित विकास किया जाना चाहिए। नयी अधिसूचना की इस दिशा में कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जब तक कि कोई भूमि अचानक रह न जाती।

†**श्री सिंहासन सिंह** : सरकार जमीन के मालिकों को भूमि पर क्या दर देगी और किस किस दर पर आगे लोगों को इमारतें बताने के उद्देश्य से देगी? दिल्ली में ऐसे मामले देखने में आये हैं जब कि भूस्वामियों को तो १$^{1}/_{2}$ या २$^{1}/_{2}$ आना प्रतिवर्ग का दिया गया परन्तु जिन लोगों को यह भूमि दी गयी उनसे १७ से १८ रुपये गज़ तक वसूल किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कोई अनुपात रखा जायेगा?

†**श्री करमरकर** : भूमि की दरों के बारे में तो प्राधिकारी निर्णय करेंगे। आगे हम क्या वसूल करेंगे इसके बारे में मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि वह मुनासिब विकास का खर्चा होगा। सरकार का कोई यह उद्देश्य नहीं कि भूमि खरीद कर मुनाफाबाजी की जाय।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : विकास के लिए जो भूमि अर्जित की गयी है क्या उसे अनुसूचित जातियों के लोगों को भी अलाट किया जायेगा?

†**श्री करमरकर** : यह बड़ा विचित्र प्रश्न है। जब अनुसूचित जातियों के लोग दिल्ली के नागरिक हैं तो उनमें से जो जमीन को खरीदना चाहेगा उसे वह अवश्य दी जायेगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को दिल्ली क्षेत्र में भूमि से बेदखल कर उन्हें सड़कों पर फैंका जा रहा है?

†**श्री करमरकर** : इस मामले में अनुसूचित जतियों के लोगों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। सदन को पता ही है कि हम तो सारे मामलों में अनुसूचित जातियों के हितों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, परन्तु कानून से समक्ष इस प्रकार का भेदभाव नहीं चल सकता।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : मेरे विचार में कोई भ्रांति रह गयी है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को यह पता है कि अनुसूचित जातियों के जो लोग वर्षों से जिस भूमि पर रह रहे थे, अब उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा वहां से बेदखल किया जा रहा है।

†**श्री करमरकर** : मुझे इस प्रकार के मामलों का पता नहीं। यदि माननीय सदस्य इस प्रकार के कोई मामले मेरे नोटिस में लायें जहां से कि लोगों को अवैध रूप से बेदखल किया गया है तो मैं उनका आभार मानूंगा। यदि उन्हें किसी भूमि से वैधरूप से हटाया गया है तो झगड़े का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेडा** : क्या सरकार को पता है कि मकान बनाने के लिये प्लाटों का भाव दिल्ली में बढ़ रहा है? क्या यह जो भूमि अर्जित की गयी है इससे भूमि का दर समुचित स्तर पर आजायेगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** हमारी अधिसूचना से यह हुआ है कि जहां कीमतें बढ़ रहीं थीं, वहां वह अब बढ़नी बंद हो गयी है। कोई भूमि बेच ही नहीं सकता। निजी लोगों के पास जो प्लाट इत्यादि हैं उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती।

†**श्री खीमज :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि अब तक कितनी भूमि अर्जित की गयी है, और उसे किस दर पर सरकार का आगे बेचने का विचार है?

†**श्री करमरकर :** जिस भूमि को अधिसूचित किया गया है, उसमें से अभी कुछ को भी अर्जित नहीं किया गया। अर्जित किये जाने का विचार है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें यही देखना है कि बेदखल-लिया वैध रूप से हो रही हैं अथवा अवैध रूप में परन्तु हमारा प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में सरकार की नीति यह नहीं है कि देश भर में जहां भी वह बैठे हैं, वहां से उन्हें बेदखल न किया जाय, क्योंकि उस दर पर अब उन्हें नयी भूमि प्राप्त नहीं हो सकती।

†**श्री करमरकर :** यही तो मैं पूछ रहा था कि यदि कोई ऐसे मामले हो तो हमें बताये जाय। यदि कोई गलत कार्यवाही की जा रही होगी तो उसे बन्द कर दिया जायेगा परन्तु यदि वह कार्यवाही ठीक हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते।

†**श्री त्यागी :** जो लोग इस भूमि पर अपना निजी मकान बनाना चाहेंगे उन्हें भूमि अलाट करने के सम्बन्ध में क्या योजना है? सरकार के समक्ष क्या परिणाम होगा? क्या इस टैंडर द्वारा दिया जायेगा अथवा नामों या सहकारी संस्थाओं की भूमि अलाट की जायेगी? क्या सरकार ने इन सब योजनाओं पर विचार किया है?

†**श्री करमरकर :** अभी हाल, यह मामला विचाराधीन है। यह तो हमारी नीति है कि सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय। परन्तु व्यक्तिगत रूप से प्लाट किस नीति से अलाट किये जायेंगे, इस मामले में अभी निर्णय किया जाना है। इतना आश्वासन इस सम्बन्ध में मैं दे सकता हूं कि यह सब मुनासिब ही होगा।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या यह ठीक है कि गंदी बस्तियों के साफ करने के कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों के लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। इन लोगों को बेदखल करके धनी लोगों को यह भूमि अलाट कर दी जाती है और इन अनुसूचित जातियों के लोगों को नहीं दी जाती?

†**श्री करमरकर :** जैसा कि मैंने कहा है, हमारी नीति अनुसूचित जातियों के प्रति नर्म व्यवहार करने की है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। यदि अवैध बेदखली के कोई मामले हैं तो उन्हें मेरे नोटिस में लाया जाय, उस दिशा में मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री सिंहासन सिंह :** माननीय मंत्री वैध अथवा अवैध बेदखली पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि एक हरिजन को ऐसे स्थान से निकाला जाय जहां कि वह इस अधिसूचना जारी होने के कई वर्ष पहले से रह रहा हो तो उसकी कानूनन स्थिति

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या होगी ? क्या ऐसे स्थान से बेदखल करना वैध होगा अथवा अवैध क्योंकि हो सकता है कि कोई व्यक्ति २० वर्ष से रह रहा हो ?

†**श्री करमरकर** : जहां भी गंदी बस्तियों को साफ करने का कार्य आरम्भ किया जाता है, तो ऐसे लोगों को भूमि की मुनासिब अलाटमेंट करने की व्यवस्था कर दी जाती है। बाकी बिना कुछ बात निश्चित तौर पर सामने आने से मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य के बार बार कहने से स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह प्लाट अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी उपलब्ध हो सकेंगे ?

†**श्री करमरकर** : जी हां, बहुसंख्या में इन्हीं वर्गों के लोगों को जायेंगे क्योंकि हमारे बहुत से लोगों का सम्बन्ध इन्हीं श्रेणियों के लोगों से है।

प्रादेशिक खाद्य निदेशालय, कलकत्ता के एक कर्मचारी द्वारा की गई आत्म हत्या

+

†*५१. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक खाद्य निदेशालय, कलकत्ता के एक कर्मचारी ने सितम्बर १९६० में आत्महत्या की ;

(ख) आत्महत्या करने का कारण क्या था ;

(ग) क्या आत्म हत्या के समय वह मुअत्तिल था ;

(घ) क्या इस विषय की कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ङ) १९–९–१९६० को कनिष्ट गोदाम रक्षक श्री राजेश्वर चटर्जी ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के समय वह जुलाई १९६० की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण मुअत्तिल थे। इस मामले में पूरी जांच कर ली गयी है। श्री चटर्जी उन्हीं ५८ कर्मचारियों में से थे जिनके विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही थी। इनमें से १४ मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया था। उन मामलों में सजायें बहुत मामूली थीं। श्री चटर्जी के मामले में जांच अधिकारी की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उसे १७–९–१९६० को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस विभागीय जांच में कोई विशेष देरी नहीं की गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुअत्तिली के दौरान श्री चटर्जी को निर्वाह भत्ता के रूप में १११ रुपये प्राप्त होते थे। उनका वेतन सब कुछ मिला कर १७० रु० प्रतिमास बैठता था। उन्हें निर्वाह भत्ता देने में भी कोई देरी नहीं की गई थी। इन हालात में जब कि श्री चटर्जी के हाथ का लिखा कोई नोट भी नहीं है कि आखिर क्यों उन्होंने आत्म हत्या की, कुछ कहा जाना कठिन है। दुःखी परिवार को जो कुछ सम्भव है वह सहायता देने का प्रयत्न किया जा रहा है। व्यक्तिगत सहायता के अतिरिक्त प्रधान मंत्री ने भी २५०० रुपये परिवार की सहायता के लिये देने स्वीकार किये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री का कहना है कि इस मामले में कार्यवाही करने में कोई देर नहीं की गई। क्या यह सत्य है कि श्री राजेश्वर चटर्जी को १३ जुलाई को मुअत्तिल किया गया, १९ अगस्त को उन्हें आरोप पत्र दिया गया और १६, सितम्बर, १९६० को साक्ष्य लिया गया। १९ सितम्बर, १९६० को उसने आत्म हत्या की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब देरी किन कारणों से हुई ?

†**श्री अ० म० थामस** : आखिरकार यही तो तथ्य है कि हड़ताल में और अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही में केवल दो मास का समय ही तो व्यतीत हुआ है। यह ठीक है कि आरोप-पत्र १९ अगस्त, १९६० को दिया गया, परन्तु इस सब को लगभग एक मास ही तो लगा । इसी बीच यह निश्चय हुआ कि हड़तालियों के प्रति सरकार की नीति क्या होगी। नीति निर्धारण के तुरन्त बाद निर्देश जारी कर दिये गये, अतः कोई देर होने की बात नहीं हुई ।

अन्य तथ्यों के बारे में भी अपना वक्तव्य देने के लिए इस कर्मचारी ने और समय मांगा था। उसने कुछ दस्तावेजों को प्राप्त करने की भी मांग की थी। उन दस्तावजों को दिये जाने के बाद भी उसने अपनी स्थिति की व्याख्या करने के लिये समय मांगा। यही सब कारण थे थोड़ी बहुत देर हो जाने के।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हड़ताल में सम्मिलित होने के आरोप कब लगाये गये थे ? सामान्यतः वह हृदयपुर में रहता था जो कि कलकत्ता से १० मील दूर है। जब गाड़ियों का आना जाना बन्द हो गया तो दफ्तर में आना सम्भव ही नहीं था। क्या निर्णय करते हुए इस तथ्य का भी ध्यान रखा गया ? क्या इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उसका पिछला रिकार्ड कैसा है और वह काश्मीर में सैनिक सेवा पर भी तैनात हो चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह जो व्याख्या माननीय सदस्य दे रहे हैं यह तो मृतक ने भी कभी नहीं दी। उसका कहना तो यही था कि सम्मिलित रूप में दफ्तर से अनुपस्थित रहने का निर्णय हुआ था उसमें मैं भी सम्मिलित था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे विचार में जुलाई में ही मंत्री महोदय ने कहा था कि हड़ताल में सम्मिलित होने वाले के प्रति उदार व्यवहार किया जायेगा। और यह कि पुराने रिकार्ड को देख कर इस सम्बन्ध में निर्णय किये जायेंगे। क्या विभागीय प्रमुखों को इस नीति की सूचना दे दी गई है ? और क्या इस आधार पर मुअत्तिली के आदेशों को वापिस लिया जा रहा है ?

†**श्री अ० म० थामस** : विभागीय अधिकारियों को इस नीति की सूचना दे दी गई है। आपको पता चलेगा कि जो मामले अन्तिम रूप में निश्चित हो चुके थे उनमें भी मामूली सजायें ही देनी काफी समझी गई हैं। वेतन वृद्धि इत्यादि भी बहुत कम मामलों में रोकी गई है। अतः मेरा कहना है कि इन कर्मचारियों के प्रति हमारी नीति बहुत ही उदार और सहानुभूतिपूर्ण है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केवल उन लोगों को ही सजायें दी गई हैं जो कि तोड़फोड़, अहिंसा और डराने धमकाने के कार्य के लिये दोषी सिद्ध हुये हैं। और ऐसे लोगों के दोष का पूरी तरह पता लगाने के लिए जांच करना बड़ा ही आवश्यक था।

†**श्री मोहन स्वरूप** : क्या दुःखी परिवार को विभाग की ओर से कोई सहायता दी गई।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं पहिले ही कह चुका हूं कि सब कुछ मिला कर नियमों के अनुसार जो कुछ सम्भव था, वह ११७० रुपये उनके परिवार को दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की ओर से २५०० रुपया और खाद्य सचिव की ओर से उन्हें २०० रुपये व्यक्तिगत तौर पर दिये गये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : इस विभाग के कितने लोग अब भी मुअत्तिल हैं और कितने लोगों के मामलों को अब तक अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस विभाग के ५८ मामले हैं और ५५ का मामला अन्तिम रूप में तय हो चुका है। तीन के बारे में अभी जांच का कार्य चल रहा है।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या मुअत्तिल करने से पूर्व उनसे यह पूछा गया था कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया है कि नहीं ?

†**श्री अ० म० थामस** : उन्होंने स्वयं अपने बयान में कहा है कि मैं हड़ताल में सम्मिलित हुआ था।

†**श्री बि० दास गुप्त** : उनका कहना क्या था ?

†**श्री अ० म० थामस** : उन्होंने कहा था कि संघ ने जो सामूहिक हड़ताल करने का निर्णय किया था उसके अनुसार मैं हड़ताल पर था।

†**श्री सुबिमन घोष** : जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा है कि निर्णय १७ सितम्बर, को किया गया, क्या उसी दिन अथवा अगले दिन उन्हें इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया था अथवा उन्हें यह बतलाया ही नहीं गया कि उनके मामले का निर्णय कर दिया गया है ?

†**श्री अ० म० थामस** : निर्णय १७ सितम्बर, को नहीं किया गया, रिपोर्ट १७ सितम्बर, को प्रस्तुत की गई थी। हालात के अनुसार उन्हें कोई वित्तीय कठिनाई भी नहीं थी। निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त उन्हें २००० रुपये पुनर्वास मंत्रालय से भी प्राप्त हुये थे। और यह राशि उनके पास ही थी। इसके अतिरिक्त भी उनकी सामान्य आर्थिक दशा बुरी नहीं थी और उन्हें नकद रुपये का अभाव नहीं था। जिस दिन उन्होंने आत्म हत्या की उसी दिन वह दुर्गापूजा के लिए चन्दा भी एकत्रित करने गये थे। यह पता करना बड़ा ही कठिन है कि उन्हों ने आत्महत्या क्यों की। परन्तु पुलिस जांच से कुछ यह पता चलता है कि आमतौर से हड़ताल को जो असफलता प्राप्त हुई उसके कारण वह कुछ निराश थे। (**अन्तर्बाधायें**) यदि कोई यह बताने का उत्तरदायित्व ले कि इसके क्या कारण थे तो लोगों को पता चल सकेगा (**अन्तर्बाधायें**)।

†**श्री बि० दास गुप्त** : मैं उनके वेतन के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह ठीक है कि १६ सितम्बर को जब वह साक्ष्य दे रहे थे तो अधिकारियों ने उन्हें डराया, धमकाया, और उनकी बहुत बुरी तरह बेइज्जती की थी। उनसे

---

†मूल अंग्रेजी में

यहां तक कहा गया कि अपनी पत्नी से "कमाने के लिए कहो।" यही कारण था कि उसने आत्महत्या की और मंत्री महोदय कुछ और ही कह रहे हैं।

†**श्री० अ० म० थामस :** यह बिलकुल निराधार है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस सम्बन्ध में जांच हुई है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सविस्तार जांच हो चुकी है और माननीय मित्र का यह अनुमान बिलकुल निराधार है। (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री रघुनाथ सिंह** : हमने नहीं, आपने उसे मारा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की प्रार्थना करता हूं।

†**श्री बि० दास गुप्त** : माननीय मंत्री ने कहा है कि वह १२० रुपये मूल वेतन ले रहे थे। मैं जानना.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब और कुछ भी जानने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री बि० दास गुप्त** : उन्हें केवल ४० रुपये मासिक मिल रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने काफी प्रश्नों की अनुमति दे दी है। मैं माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति तो देता ही हूं, अभी मैंने श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी हालांकि अगले प्रश्न की घोषणा हो चुकी थी। मेरा मतलब था कि बात कुछ साफ हो जायेगी। मैंने प्रत्येक माननीय सदस्य को जिनका नाम कि सूची में था, दो दो बार प्रश्न पूछते की अनुमति दी। अतः अब मैं और अधिक अनुमति नहीं दे सकता। अब अगला प्रश्न लेना ही होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बात यह है कि माननीय मंत्री ने गलत जानकारी दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो माननीय सदस्य को किस प्रकार सन्तोष होगा ? माननीय मंत्री माननीय सदस्य की यह बात स्वीकार नहीं करते। मैं तो केवल प्रश्न पूछने के अवसर ही दे सकता हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मैं इस प्रश्न से सम्बन्धित नीति सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

*५२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोखले समिति की सिफारिश के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये ६६७ लाख रुपये का उपबन्ध बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) यदि नहीं, तो यह राशि भिन्न भिन्न राज्यों में किस प्रकार आवंटित की जा रही है; और

(घ) उड़ीसा को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तृताय पंच-वर्षीय योजना ; अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये ६०० लाख रुपयों का उपबन्ध है । परिवहन तथा संचार मंत्रालय ने उपलब्ध संसाधनों तथा गोखले समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों के परामर्श से ६६७ लाख रुपय की अस्थाई योजनायें बनाई हैं जिनको अभी अन्तिम रूप देना है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग), प्रत्येक राज्य सरकार के बारे में अस्थाई योजनाओं का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट संख्या १, अनुबन्ध संख्या १७]** ।

(घ) ५० लाख रुपये ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिये तृतीय योजना में ६०० लाख के इस लक्ष्य को बढ़ाने की कोई संभावना है क्योंकि दूसरी योजना में इसकी उपेक्षा की गई है ?

†**श्री राज बहादुर गौड़** : अनेक प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद योजना आयोग कुछ निष्कर्षों पर पहुंचा है और इस पर वही यह विचार कर सकता है कि क्या यित राशि में वृद्धि की जा सकती है। जहां तक उड़ीसा के लिये योजनाओं का संबंध है, जैसाकि आंकड़ों से पता चलता है, ५० लाख रुपये की राशि अलग निकाल कर रख दी गई है ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा सरकार ने नियत की गई राशि से अधिक धन मांगा है ? यदि हां, तो उन्होंने किन-किन योजनाओं के लिये धन मांगा है तथा क्या सारी योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : यह बड़ी लम्बी सूजी है। यह सूची मेरे पास है। उन्होंने अपनी योजनाओं के लिये २·५ करोड़ रुपये मांगे थे किन्तु सब योजनायें सम्मिलित नहीं की जा सकी हैं। योजना आयोग ने हमसे परामर्श करके उस राज्य के लिये जो धन नियत किया है वह प्रत्येक राज्य से अधिक है ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण के अनुसार मद्रास राज्य के लिये १० लाख रुपये नियत किये गये हैं। क्या यह धन बकिंघम नहर को चौड़ा करने, गहरा करने, मिट्टी हटाने आदि के लिये नियत किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जहां तक मद्रास का संबंध है, बकिंघम् नहर में नावों के ठहरने की सुविधायें बढ़ाने, बकिंघम नहर को सुधारने तथा नावों को रस्से से खींचने के मार्ग ठीक करने की योजनायें हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुये कि ब्रह्मपुत्र नदी में नावें आदि चलाने वाली ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनी आदि जैसी कम्पनियों की सरकार को लाखों रुपये की मदद करनी पड़ती है, क्या

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार उनके स्थान पर सरकार द्वारा तृतीय योजना काल में चालू की जाने वाली सरकार अथवा निगमों के अभिकरणों की सेवाओं को चालू करना चाहती है ?

†**श्री राज बहादुर** : इसमें कई बातें विचारणीय हैं, और माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि आसाम को जो माल आता है तथा वहां से जो बाहर भेजा जाता है उसका ६० प्रतिशत माल ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनी तथा अन्य अन्तर्देशीय नल परिवहन समवायों द्वारा भेजा तथा मंगाया जाता है। अन्तर्देशीय जल परिवहन का ८० प्रतिशत माल ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनी द्वारा ढोया जाता है और बीच में पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी नदियों के होने के कारण उसके स्थान पर शीघ्र ही दूसरा प्रबन्ध करना सम्भव नहीं है।

†**श्री आचार** : यदि गोखले समिति द्वारा समर्थित सभी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाये तो कितने धन की आवश्यकता होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : कुल १६७·६० करोड़ रुपये के खर्च की सिफारिश की गई थी तृतीय योजना के लिये उन्होंने ५० करोड़ रुपये की सिफारिश की थी। उनमें से हमने ४० करोड़ से कुछ अधिक राशि की योजनाओं का प्रस्ताव रखा। योजना आयोग इस काम के लिये केवल ६ करोड़ रुपये निकाल सका है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या दिल्ली और आगरा के बीच का जल परिवहन चालू किया जा सकता है ?

श्री राज बहादुर : इस बात की आवश्यकता है दिल्ली और आगरा के बीच जमुना में वर्ष भर अपेक्षित मात्रा में जल रहे। क्या यह संभव है ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : एक बांध बनवाकर पानी एकत्र किया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ** : उन सभी बातों को स्वीकार करते हुये जो कि माननीय मंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनी द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं के बारे में कही हैं क्या मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि वह कम्पनी हमेशा ही काम बंद करने की धमकी देती रहती है और सरकार ने हमेशा ही सरकारी धन से उसकी सहायता की है ? इस बात को देखते हुये क्या सरकार इस पर पुनः विचार करेगी और इच्छा से काम न करने वाली कम्पनी की सहायता करना छोड़ेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनी अनिच्छा से काम करने वाली कम्पनी नहीं है। वस्तुतः वह स्वयं प्लान कमा रही है। यह भी कहना ठीक नहीं है कि वह हमेशा धमकी देती रही है।

†**श्री हेम बरुआ** : उसने धमकियां दी हैं।

†**श्री राज बहादुर** : ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह हमेशा ही हमको धमकी देती रही है और उसने अनुचित काम किया है। हमने जितना आवश्यक समझा उनको मदद दी है, उदाहरणतः हमने नदी को नौवहन के योग्य बनाये रखा तथा और भी बहुत से काम किये। हमने कुछ ऋण भी दिये हैं। अन्तर्देशीय जल मार्ग के अन्तर्राष्ट्रीय रूप को देखते हुये तुरन्त उसके स्थान पर दूसरा प्रबन्ध करना कठिन होगा। यह ठीक है कि एक दीर्घकालीन योजना बना ली जाये कि इस विशिष्ट उद्योग का आगे चल कर भारतीयकरण करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : गोखले समिति ने ५० करोड़ रुपये की सिफारिश की, भारत सरकार ने ४० करोड़ रुपये का सुझाव दिया और योजना आयोग ने ६ करोड़ रुपये नियत किये हैं। यह अनुपात कैसे निकाला गया ? इस प्रकार अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास कैसे हो सकता है ? क्या सरकार योजना आयोग से अधिक धन नहीं मांग सकती है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न योजना आयोग से पूछा जा सकता है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि देश के सम्पूर्ण संसाधनों तथा विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकताओं पर विचार करने के पश्चात् उन्होंने ६ करोड़ रुपये स्वीकार किये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात का आयात

†*५३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री आचार :

क्या **रेलवे** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने इस बीच में एक लाख टन से अधिक स्पात के आयात के लिये विदेशों में क्रयादेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन कौन से हैं ; और

(ग) इसका प्रति टन मूल्य क्या है।

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां। लगभग ९६,००० टन इस्पात के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). जापान, हॉलैंड, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, यू० एस० ए०, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और इटली। लागत-भाड़ा सहित इसका औसत दाम ६७५ रुपये प्रति लॉंग टन है।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

†*५४. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे की राजखरसावां-बड़ा जमदा लाइन को दुहरा करने का काम करने वाले ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान के बारे में विशेष पुलिस संस्थापन का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). विशेष पुलिस संस्थान की जांच अभी जारी है ।

यमुना पर सड़क का दूसरा पुल

*५५. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास यमुना नदी पर सड़क के दूसरे पुल के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : पुल के लिये प्राप्त टेण्डरों की जांच निर्माण सलाहकार बोर्ड द्वारा कर ली गई है । टेण्डर भेजने वालों में से जिस का टेण्डर सबसे कम लागत का है उससे बातचीत कर बोर्ड द्वारा उस का टेण्डर निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय के पास मंजूरी के लिये भेज दिया गया है । पुल के मुख्य भाग पर काम इस टेण्डर पर निर्णय होते ही शुरू कर दिया जायगा ।

मेंढ़कों का निर्यात

†*५६. { **श्री यादव नारायण जाधव** :
श्री आसर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोरटकर :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जीव विद्या सम्बन्धी अध्ययन के लिये मेंढकों का निर्यात करना चाहती है ;

(ख) जीव विद्या सम्बन्धी अध्ययन के लिये भारत में विद्यार्थियों द्वारा कितने मेंढकों का उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि जीव विद्या सम्बन्धी अध्ययन के लिये मेंढकों की कमी के कारण भारत में वैज्ञानिक गवेषणा रुकी हुई हैं; और

(घ) विस्तृत पैमाने पर मेंढक पालने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (घ). इस प्रश्न का उत्तर मेरे साथी वैज्ञानिक-अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यथासमय देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हल्दिया पत्तन

†*५७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू ऋतु में हल्दिया पत्तन का काम चलाने के लिये मजदूर देने का काम विदेशी ठेकेदारों की एक फर्म को दे दिया गया है; और

(ख) क्या पंजीबद्ध गोदी मजदूर योजना को हल्दिया पत्तन पर भी लागू करने का कोई विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) क्योंकि हल्दिया हुगली के उस ओर कलकत्ता से दक्षिण की ओर ६५ मील की दूरी पर स्थित है, हल्दिया पत्तन पर लंगर डालने के काम के लिये श्रमिकों की सप्लाई करने के हेतु विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। गत वर्ष यह काम कलकत्ता की एक प्रसिद्ध फर्म को दिया गया था जिसके पास रुपये में पूंजी थी तथा भारत में ही उसका पंजीयन हुआ था। किन्तु इस वर्ष कलकत्ता स्टेविडोर श्रमिक संघ इस प्रकार की व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और उनकी यह मांग है कि कलकत्ता गोदी श्रमिक योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों को हल्दिया में लंगर लगाने का काम दिया जाये। हल्दिया में रजिस्टर्ड गोदी श्रमिकों को लगाना कहां तक संभव है तथा उन पर क्या व्यय होगा, इन बातों पर कलकत्ता पत्तन आयुक्तों की सलाह से विस्तृत रूप से विचार किया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†*५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की पुनरीक्षित भाड़ा दरों की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो वे कब से लागू होंगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १ नवम्बर, १९६० से नई दरें लागू कर दी गईं।

भारत में चिकित्सा शिक्षा

†*५९. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के तरीकों के बारे में शिफारिश करने के लिये हाल ही में नई दिल्ली में देश के मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों तथा डीनों का एक सम्मेलन हुआ था ; और

---

[1]Fruit processing industry.

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८]** ।

बंगलौर में सिंचाई तथा विद्युत् गोष्ठी

†*६०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री खीमजी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६० में बंगलौर में हुई सातवीं सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) सितम्बर, १९६० में बंगलौर में हुई सातवीं सिंचाई और विद्युत् गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ?। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १९]**

(ख) और (ग). सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

काजू [1]फल से खाद्य उत्पाद

†*६१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काजू फल से खाद्य उत्पादन तैयार करने के बारे में केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकीय अनुसंधान संस्था मैसूर द्वारा की जाने वाली जांच के सम्बन्ध में वहां से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक पैमाने पर उस फल का उपयोग करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) इसकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों को दे दी गई है तथा फल विधायक उद्योग उन चीजों का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा किया जायेगा जो उपभोक्ताओं को अच्छे लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fruit processin industry.

झाझा के निकट रेलगाड़ी दुर्घटना

†*६२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ५ सितम्बर, १९६० को अथवा उसके आस पास पूर्व रेलवे के झाझा स्टेशन के निकट कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे तथा कितने व्यक्ति मरे व घायल हुये ;

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या मृतकों के परिवारों तथा घायलों को कोई मुआवजा दिया गया है ;

(ङ) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो किसके द्वारा जांच कराई गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां, एक मालगाड़ी डेड एन्ड बफर से टकरा गई ।

यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई । दो व्यक्ति मरे तथा चार अन्य व्यक्तियों के मामूली चोटें आईं ।

(ग) लगभग १ लाख ६० हजार रुपये ।

(घ) क्यों कि घायल तथा मृत व्यक्ति सैनिक कर्मचारी हैं, प्रतिकर का प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

(ङ) और (च) वरिष्ठ श्रेणी के पदाधिकारियों द्वारा एक संयुक्त जांच की गई थी ।

केन्द्रीय यातायात नियंत्रण

†* ६३. **पंडित द्वा ० ना० तिवारी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केन्द्रीय यातायात नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) इससे रेलमार्गों की यातायात क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) ये केन्द्र किन किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

*(ग) इन्हें उत्तरी सीमान्त रेलवे के सिलीगुरी अलीपुरद्वार अमीनगांव सेक्शनों पर स्थापित करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नदी सर्वेक्षण

†*६४. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड ने आसाम में कितनी सहायक नदियों (फीडर रिवर्स) का जल वर्णना-सर्वेक्षण कर लिया है ;

(ख) जिन नदियों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें से कितनी नदियों में सहायक सेवायें (फीडर सर्विस) चाल कर दी गई हैं ;

(ग) क्या सर्वेक्षण के लिये कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या २०]**

(ख) आसाम की किसी भी नदी में सहायक सेवा चालू नहीं की गई है।

(ग) और (घ) नदियों के सर्वेक्षण का कार्यक्रम वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। १९६०–६१ के सर्वेक्षण के सीजन में किये जाने वाले सर्वेक्षणों के कार्यक्रम का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २०]**

भारतीय नाविक

†*६५. **श्री रामजी वबर्मा :**
श्री साधन गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन संचार तथा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी जहाजों पर काम करने वाले ९००० से अधिक भारतीय नाविक बरखास्त कर दिये गये हैं ;

(ख) इनके बरखास्त किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विभिन्न विदेशी पत्तनों के नाविक कल्याण पदाधिकारियों ने इसका औपचारिक रूप से विरोध किया है; और

(घ) इन बरखास्त किये गये नाविकों को कोई और नौकरी दिलाने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

नौवहन के लिये धन का नियतन

†*६६. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में नौवहन के लिये आवंटित धन की राशि बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के अभ्यावेदन की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). जैसा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप में बताया गया है, योजना में नौवहन के लिये धन की राशि बढ़ाने के प्रश्न पर योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व विचार किया जायेगा।

पर्यटकों के लिये विमान दरों में कमी

†* ६७. **श्री प्र० के० देव :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल ने इस वर्ष अक्तूबर से टूरिस्ट दर्जे के लिये विमान दरों में कमी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो टूरिस्ट दर्जे के लिये अन्य विदेशी विमान कम्पनियों की तुलना में ये दरें कितनी कम या ज्यादा हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) हां, श्रीमान् । एयर इंडिया इंटर-नेशनल ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संचालकों के साथ-साथ १ अक्तूबर, १९६० से कुछ सेक्टरों पर टूरिस्ट दर्जे के लिये विमान दरों में कुछ कमी कर दी है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा चलाने वाले अधिकांश एयरलाइन्स जिन में एयर इंडिया इंटरनेशनल भी सम्मिलित है, अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के सदस्य हैं । यह संघ अपने सदस्यों के लिये किराये तथा भाड़े की दरें नियत करता है । अतः एयर इंडिया इंटरनेशनल के वही किराये हैं जो उस संघ के अन्य सदस्य--एयरलाइनों के हैं ।

रेलवे के लिये कोयले का संभरण

†*६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ जून, १९६० के पश्चात् से रेलों को अधिक मात्रा में और अधिक अच्छी किस्म के कोयले के संभरण की दिशा में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक सुधार हुआ है ;

(ग) इस बात को देखने के लिये कि उपयुक्त प्रकार का कोयला पूरी मात्रा में बराबर मिलता रहे क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(घ) इस प्रकार रेलवे को प्रतिवर्ष और इस वर्ष कितनी बचत होने का अनुमान लगाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). इंजन के कोयले के स्टाक की स्थिति में यह सुधार हुआ है कि १ जून, १९६० को ६ दिन की खपत का कोयला स्टाक में था और ३१ अक्तूबर, १९६० को ११·२ दिन का खपत का कोयला स्टाक में रहने लगा। कोयले की किस्म में भी कुछ सुधार हुआ है ।

(ग) ठीक प्रकार के कोयले के संभरण में सुधार लाने तथा उसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से बी एण्ड बी कोयला क्षेत्रों में कोयले के निरीक्षण के लिये एक नया संगठन कायम किया गया है तथा कर्णपुर और बोकारो के कोयला क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों से प्राप्त होने वाले कोयले के लिये १० अगस्त, १९६० से रेलवे निरीक्षण आरंभ किया गया है। गैरसरकारी क्षेत्र की कोयला खानों से आने वाले कोयले के संबंध म भी शीघ्र ही इस प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था करने का विचार है ।

(घ) यह बताना कठिन है कि इस से ठीक-ठीक कितनी बचत हुई है ।

असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र

*६९. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में असैनिक उड्डयन के प्रशिक्षण केन्द्र कितने हैं और व कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में प्रवेश पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की योग्यता और आयु कितनी होनी चाहिये ; और

(ग) क्या इन केन्द्रों में सभी पढ़ाने वाले भारतीय हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). सभा की मेज़ पर सवाल के मुत्ताल्लिक एक स्टेटमेंट रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) जी हां, जनाब ।

हिमाचल प्रदेश की सेब और अदरख विपणन समिति

†*७०. **श्री शि० ना० रामोल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन आलू समिति के सदृश्य एक सेब और अदरख विपणन समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति में सदस्यों की नामज़दगी का क्या मानदंड रखा जायेगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डाकखाने के चैक

†*७१. **श्री अमजद अली** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकखाना बचत बैंक के चैकों को जो बीमे का प्रीमियम देने के लिये काटे जाते हैं, जीवन बीमा निगम स्वीकार नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम को उन्हें स्वीकार करने में क्या आपत्तियां हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बात के लिये क्या कदम उठाये हैं कि डाकखाना बचत बैंक के खातेदारों के इन चैकों को स्वीकार किया जाये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अभी हाल तक जीवन बीमा निगम ऐसे चैक स्वीकार नहीं करते थे ।

(ख) क्योंकि डाकखाने क्लियरिंग हाउस के सदस्य नहीं थे, जीवन बीमा निगम के बैंकर निकासी के लिये इन कों चैकों स्वीकार नहीं करना चाहते थे ।

(ग) जहां कहीं सुविधा उपलब्ध है, वहां अब इन डाकखानों को क्लियरिंग हाउस का मेम्बर बना दिया जायगा । कलकता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली तथा नागपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों में वे मेम्बर बना दिये गये हैं । जुलाई, १९६० में जीवन बीमा निगम द्वारा यह हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि अब इन चैकों को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

गंगा नदी पर पुल

†*७२. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कालिका सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजीपुर के निकट गंगा पर एक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक प्रारम्भ होगा ; और

(ग) यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् । रेलवे की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये जो धन नियत किया गया है, जैसाकि रूपरेखा के प्रारूप में बताया गया है, गंगा नदी पर कोई नये पुल का उपबंध करना संभव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नई दिली में बन्दरों का उत्पात

†*७३. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू और नार्थ एवेन्यू में बन्दरों का उत्पात बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है जिस से जीवन तथा सम्पत्ति दोनों को खतरा पैदा हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में नई दिल्ली म्युनिसिपल समिति को कई शिकायतें की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में पिछले तीन वर्षों में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में तत्काल कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू में बन्दर बहुत कम आते हैं अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां बन्दरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है ।

(ख) १९६० में इस सम्बन्ध में नई दिल्ली की नगरपालिका से सात शिकायतें की गई थीं ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है अथवा भविष्य में की जायेगी उस का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा की गई कार्यवाही

बन्दरों के उत्पात को रोकने के लिये नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी उपयुक्त कार्यवाही करती रही है जैसाकि पिछले तीन वर्षों में पकड़े गये बन्दरों के निम्नलिखित ब्यौरे से पता चलता है :—

(१) सितम्बर, १९५८	१३ बन्दर
(२) जनवरी, १९५९ .	४७ बन्दर
(३) सितम्बर, १९५९	२५ बन्दर
(४) फ़रवरी और मार्च, १९६० .	३० बन्दर
कुल . .	११५ बन्दर

वस्तुतः बन्दरों का पकड़ना बड़ा कठिन है और उस के लिये बन्दर पकड़ने में कुशल व्यक्तियों और विशेष प्रकार के सामान की आवश्यकता होती है । पहले चार बार जो बन्दर पकड़वाने का काम करवाया था उस के लिये नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी ने अन्य राज्यों से बन्दर पकड़ने वाले कुशल व्यक्ति बुलवाये थे । पूरा एक बन्दर पकड़ने वाला दल सात दिन के अन्दर एक भी बन्दर नहीं पकड़ सका और उसे निराश लौटना पड़ा और वे पुनः इस काम को नहीं करना चाहते ।

सितम्बर, १९६० में हिन्दुस्तान टाइम्स, नवभारत और मिलाप में बन्दर पकड़ने वाले विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिये एक विज्ञापन दिया गया था और यह कहा गया था कि प्रत्येक बन्दर के लिये उन्हें १५ रुपये दिये जायेंगे किन्तु कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ है ।

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा जो कार्यवाही करने का विचार है

नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी का बन्दरों को भगाने के लिये हवाई बन्दूकें खरीदने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी पाकिस्तान में कर्णफूली बांध

†*७४. { श्री महन्ती :
श्री हालदर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान के कर्णफूली बांध से, जो पूरा होने वाला है, कुछ भारतीय क्षेत्र डूब जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बांध के निर्माण के सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितना इलाका डूब जाने की सम्भावना है ।

नलकूप

†*७५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पंजाब राज्यों की सरकारों को सिंचाई के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नलकूप बनाने के हेतु वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो १९५६–५७ से १९५९–६० तक प्रतिवर्ष प्रति राज्य को कितनी कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या इन राज्यों को यह राशि वापिस करनी होगी;

(घ) यदि हां, तो अब तक इन राज्यों से कितना धन वापस आना है; और

(ङ) इन नलकूपों से कुल कितने क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा थी और उसमें कितनी सफलता मिली है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां । दीर्घ-कालीन ऋण के रूप में सहायता दी जाती है ।

(ख) स्वीकृत ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

राज्य का नाम	१९५६–५७ (लाख रुपयों में)	१९५७–५८ (लाख रुपयों में)
उत्तर प्रदेश	२३६.९३	१६३.९९
बिहार	२३.१८	६.४८
पंजाब	३९.८८	७४.६५

किन्तु १९५८-५९ से नल-कूपों के निर्माण के लिये पृथक् रूप से ऋण नहीं दिये जा रहे । राज्य-सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत लघु-सिंचाई के लिये

†मूल अंग्रेजी में

सामूहिक रूप से, जिसमें नल-कूप योजनाएं भी सम्मिलित हैं, समेकित ऋण की मंजूरी दी जाती है और राज्य सरकारें इस निधि की रकम को 'लघु सिंचाई' शीर्षक के अन्तर्गत योजनाओं में से एक अथवा दूसरी योजना पर अपने विवेकानुसार व्यय कर सकती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) अभी सारी रकम की अदायगी की जानी है क्योंकि इन ऋणों की अदायगी पन्द्रह समान वार्षिक किस्तों में की जानी है और पहली किस्त ऋण लेने की तिथि के चार वर्ष पश्चात् देय होगी।

(ङ) जिन राज्यों में सिंचाई का पूरा विकास हो चुका है, वहां एक नलकूप से ४०० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगाये गये नलकूपों से जितने क्षेत्र की सिंचाई होनी है उसके पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु १९५९–६० में इन तीनों राज्यों में ८,३४० नलकूप चालू थे और उनसे २४.८३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी।

पश्चिमी रेलवे का हायर सैकेण्ड्री स्कूल, रतलाम

*७६. **श्री डामर:** क्या **रेलवे** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम में पश्चिमी रेलवे के हायर सैकेण्डरी स्कूल की इमारत के लिये १९६०–६१ में कितनी राशि स्वीकृत हुई है; और

(ख) क्या स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) लगभग ३.७० लाख रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है और रेल प्रशासन उसकी छानबीन कर रहा है।

(ख) जी नहीं। अभी नहीं।

हल्दिया लंगर

†*७७. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हल्दिया पर खाद्यान्न के तथा अन्य जहाजों को हल्का करने का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन के अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि मन्त्रालय इस बात के पक्ष में है कि जहाजों का माल हल्दिया की अपेक्षा तूतीकोरेन तथा अन्य पत्तनों पर उतारा जाये; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). यह मामला अभी विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में पत्तन-आयुक्त से विचार विमर्श किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). सामान्य प्रथा हमेशा यह रही है कि भारी जहाजों को कलकत्ता प्रस्थान करने से पूर्व मद्रास अथवा विशाखापत्तनम् पर हल्का कर लिया जाये। इन जहाजों को तूतीकोरन पर हल्का करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मद्रास अथवा विशाखापत्तनम् में जहाज को हल्का करने की जरूरत नहीं रहेगी, यदि उसे हल्दिया पर हल्का कर लिया जाये। किन्तु हल्दिया पत्तन पर केवल अच्छे मौसम में काम किया जा सकता है, जो कि नवम्बर से फरवरी तक रहता है। इस बात की पक्की व्यवस्था करना भी आवश्यक है कि हल्दिया पर माल उतारना आयातक के लिये महंगा न हो।

दिल्ली मास्टर प्लान

*७८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की मास्टर योजना में, जिस रूप में वह प्रकाशित हुई है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं और वे दोनों सरकारें उन क्षेत्रों को देने को तैयार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों को सम्मिलित करने से पहले उन सरकारों से परामर्श न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उन सरकारों से आग्रह करने और उन क्षेत्रों को दिल्ली मास्टर प्लान में सम्मिलित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) संलग्न क्षेत्रों के लिये एक समन्वित योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की मास्टर योजना के प्रारूप में कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में जो संघीय क्षेत्र दिल्ली से बाहर पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, कतिपय अस्थाई प्रस्ताव दिये हुये हैं। इन राज्यों की प्रशासकीय सीमाओं में हेर-फेर करने का विचार नहीं है। उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में आने वाले इन संलग्न क्षेत्र के लिये ये राज्य ही वास्तविक योजनायें तैयार करेंगे।

(ख) योजना प्रारूप में समाविष्ट करने से पहले इन प्रस्तावों पर पंजाब एवं उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों के सम्बन्धित अफसरों से बातचीत की गई थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना

†*७९. **श्री कुन्हन** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री वारियर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कालिका सिंह :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
श्री मणियंगाडन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना बनाने में और कितनी प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इंगलिस्तान, पश्चिम जर्मनी, जापान और स्वीडन से प्रविधिक सहयोग संबंधी बातचीत पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) केरल सरकार जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के लिये अपेक्षित लगभग १०० एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है और यह आशा की जाती है कि यह कार्य लगभग छः महीने में पूरा हो जायेगा ।

(ख) और (ग). इस परियोजना के लिये विदेशों से प्रविधिक/वित्तीय सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है अतः यह बताना लोक हित में नहीं होगा कि इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल के डिब्बों का निर्यात

†*८०. **श्री त० ब० विठ्टल राव :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अरविन्द घोषाल :
कुमारी मों० वेदकुमारी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में बने हुए ६० डिब्बों का निर्यात करने के लिये पाकिस्तान रेलवे के साथ कोई समझौता हुआ है ;

(ख) क्या इन्टीग्रल कोच फैक्टरी के मुख्य प्रशासन पदाधिकारी ने इस कारखाने में बने हुए डिब्बों का निर्यात करने के लिये लंका सरकार से कोई बातचीत की है ; और

(ग) इस कारखाने की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं । रेल के २० एम० जी० और ६० एम० जी० डिब्बों के बारे में विश्व भर में की गई मांग के प्रत्युत्तर में, राज्य व्यापार निगम ने इन्टीग्रल कोच फैक्टरी से इन डिब्बों के संभरण के लिये एक टेंडर भरा है । इस टेंडर के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ ।

(ख) जी नहीं । लंका को रेलवे उपकरण और इंजन, डिब्बे आदि के निर्यात की संभावनाओं की जांच करने के लिये लंका सरकार से बातचीत करने के उद्देश्य से एक प्रतिनिधिमंडल, जिस में राज्य व्यापार निगम का एक पदाधिकारी और रेलवे के दो पदाधिकारी थे, अगस्त १९६० में लंका गया था ।

(ग) प्रतिवर्ष लगभग ६०० ब्री० जी० डिब्बे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांडला पत्तन निर्बाध व्यापार ज़ोन

†*८१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन निर्बाध व्यापार ज़ोन सम्बन्धी सुझावों की जांच में तब से अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) कितने सुझावों पर विचार किया गया है ; और

(ग) उन के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर इस मंत्रालय में और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में भी विचार किया गया है। गुजरात राज्य की सरकार और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग चैम्बर से भी परामर्श किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस विषय पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

यमुना जल विद्युत् योजना

†*८२. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल विद्युत् योजना के दूसरे दौर का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) पहले दौर के कार्य को प्रारम्भ करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) इस योजना के दूसरे दौर की परियोजना की रिपोर्ट अभी योजना आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रथम दौर के प्रारम्भिक कार्य चालू हैं।

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

†*८३. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में जो बाढ़ आई थी उस के फलस्वरूप हुई फसलों की हानि के कारण कुछ राज्यों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) किस हद तक मूल्यों में वृद्धि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). इस वर्ष उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने से तथा आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में सूखा पड़ने से खरीफ की फसलों को कुछ नुक्सान पहुंचा है किन्तु सामूहिक रूप से खाद्यान्न की कीमतें सन्तोषजनक हैं। चावल की थोक कीमतों का अखिल भारतीय देशनांक अगस्त में ११५·३ से घट कर १०६·८ हो गया था। यह अंक पिछले तीन वर्षों में इसी अवधि के अंकों की तुलना में सब से कम है। गेहूं की थोक कीमतों का देशनांक फरवरी, १९६० में ९७·५ था। इस के पश्चात् यह घटना शुरू हो गया और जुलाई में थोड़ी सी वृद्धि होने के उपरान्त नवम्बर के प्रथम सप्ताह में यह ९०·२ हो गया है। मोटे अनाजों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहा है।

उड़ीसा को चीनी का संभरण

†*८४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने यहां बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों की जरूरतें पूरी करने के लिये ४,००० टन चीनी की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी चीनी भेजी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राज्यों में केन्द्रीय मशीनीकृत एककों की स्थापना

†*८५ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री कोडियान :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में वहां की सिंचाई और विद्युत् परियोजना पर उपलब्ध निर्माण उपकरणों के उपयोग और अधिकतम कुशलता का सुनिश्चयन करने के लिये एक केन्द्रीय मशीनीकृत एकक की स्थापना करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १० सितम्बर, १९६० को बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभापतित्व में राज्यों के मंत्रियों की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय मशीनी एकक की स्थापना की जानी चाहिये ताकि मशीनों का उचित उपयोग हो सके और उन के संचालन और संधारण के स्तर को उन्नत किया जा सके।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिस में इस योजना की मुख्य बातें दी गई हैं । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२]**

चीनी

†*८६. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री हेम बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री सरजू पांडेय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वोडयार :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामी रेड्डी :
श्री आचार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री दामानी :
श्री उस्मान अली खां :
श्री पु० र० पटेल :
श्री खुश्वक्त राय :
श्री सूपकार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी पर से कंट्रोल हटाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या अमेरिका या अन्य देशों को चीनी निर्यात करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका को चीनी भेजने से पहले भारत को अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा ;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) यदि चालू वर्ष में विदेशों को चीनी भेजी गई हो तो किन किन देशों को भेजी गई है और कितनी कितनी ; और

(च) इस से कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह मामला विचाराधीन है ।

(ङ) और (च). वस्तुतः अभी तक चीनी का जहाज़ों पर लदान नहीं किया गया किन्तु १७-९-६० को चीनी के निर्यात के लिये जो ५०,००० टन का कोटा दिया गया था उस में से १०,५७५ मीट्रिक टन चीनी ७ नवम्बर तक बेची जा चुकी थी । इस में से ७४५० मीट्रिक टन चीनी मलाया राज्य संघ के लिये और ३१२५ मीट्रिक टन चीनी मध्यपूर्व के देशों के लिये है । इस का लदान नवम्बर के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जायेगा । इस से हमें ४६ लाख रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस

†*८७. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में २ अक्तूबर, १९६० को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस किस तरीके से और किस सीमा तक मनाया गया ;

(ख) देश की जनता ने इस में किस प्रकार भाग लिया ; और

(ग) स्वच्छता दिवस के उपलक्ष में हुई कार्यवाही के किन महत्वपूर्ण पहलुओं में जनता ने अधिक सहयोग दिया ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक सूचना दी गयी है **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २३]**

हावड़ा में रेलवे गोदाम में आग

†*८८. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री, हावड़ा में रेलवे गोदाम में आग के संबंध में २ अगस्त, १९६० को दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ;

(ग) रेलवे को कितनी क्षति हुई है ;

(घ) आग से कौन कौन सी चीजें जलीं और प्रत्येक प्रकार की चीजों के दाम क्या थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या आग लगने के बाद किसी ने ऐसी चीज़ों का दावा किया है जिनका दावेदार पहले न था ; और

(च) आग बुझाने के लिए कितने दमकल लगे थे और आग बुझने में कितना समय लगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी नहीं । अभी जांच समाप्त नहीं हुई ।

(ग) गोदाम में रखे गये सामान को नुक्सान पहुंचने और उसके नष्ट होने के कारण लगभग ५५,००० रु० की हानि पहुंची है ।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि आग से किस किस्म की चीज़ें नष्ट हो गयी हैं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २४]** ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) आग बुझाने के लिए छः इंजन काम करते रहे और उन्हें आग पर काबू पाने में पांच घंटे लगे किन्तु आग को पूरी तरह से बुझाने में ४१ घंटे लगे ।

पोषाहार

†*८९. **श्री हेम बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्रीय बाल आपात निधि भारत को, देश के कुछ भागों में पोष्टिक भोजन के वितरण और विकास के उद्देश्य से बनाये गये "विस्तृत पोषाहार कार्यक्रम" के लिए सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सहायता के उपयोग के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और देश के किन किन भागों में यह योजना पहले से चल रही है या चलाये जाने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) जी हां ।

(ख) अभी तक उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने संयुक्त राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तावित सहायता का लाभ उठाया है । उन्हें क्रमशः १६५,००० डालर और २१७,००० डालर प्रविधिक सम्भरण, साज सामान, अधिछात्रवृत्तियों आदि के लिए दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रीय बाल आपात निधि से बातचीत कर रहे हैं ।

इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर

†*९०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी में रेल डिब्बों के पुर्जों के निर्माण की कोई योजना है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड को इस बात का पता है कि डिब्बों के पुर्जों के अभाव के कारण डिब्बों की मरम्मत के काम में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर न में हो, तो पुर्जों का संभरण कैसे होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ग). उन चीज़ों के अतिरिक्त, जो रेलवे वर्कशापों में आसानी से बनायी जाती हैं अथवा मार्केट से स्थानीय रूप में खरीदी जाती हैं, इन्टीग्रल कोच फैक्टरी से रेलवे को इन्टीग्रल डिब्बों के शेष सभी कलपुर्जों की सप्लाई की जाती है।

(ख) रेलवे डिब्बों के कुछ सामान के स्थान पर, जिसकी आम तौर पर चोरी होती रहती है, नया सामान लगाने में कई बार कठिनाई है जबकि स्टाक में वह सामान उपलब्ध नहीं होता ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि

†*९१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **पारिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तब से डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: यह निधि ११ नवम्बर, १९६० को स्थापित की गयी थी ।

चित्तरंजन के इंजन का मूल्य

†*९२. **श्री तंगामणि :**
श्री स० मो० बर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन में निर्मित इंजन का मूल्य अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप और कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) १९५९ में निर्मित इंजन के मूल्य की तुलना में वह कैसा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित डब्ल्यू० सी० इंजन का औसत मूल्य इस प्रकार है :—

१९५८–५९	४.०९ लाख रु०	दर्शनार्थ लाभांश व्यय के अतिरिक्त
१९५९–६०	४.१० लाख रु०	तदेव

†मूल अंग्रेज़ी में

खाद्य जोनो की समाप्ति

†*९३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री आसर :
डा० राम० सुभग सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य जोनों की समाप्ति के लिए कोई अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). खाद्य जोनों को समाप्त करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया। इस विषय पर समय समय पर विचार किया जाता है और जोनल व्यवस्था में जिन परिवर्तनों को आवश्यक समझा जाता है, उन्हें क्रियान्वित कर लिया जाता है ।

हावड़ा के निकट रेलवे दुर्घटना

†*९४. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हाल्दर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ५ अक्तूबर, १९६० को हावड़ा स्टेशन पर ४० डाउन दिल्ली हावड़ा जनता एक्सप्रेस के साथ हुई दुर्घटना के कारणों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च अधिकारियों को एक समिति ने संयुक्त रूप से जांच की थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की कर्त्तव्य-विमुखता के कारण हुई है ?

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†५४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण की उन योजनाओं का, जिन्हें वह १९६०–६१ में शुरू करना चाहती है, ब्यौरा भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक इन सभी योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है; और

(घ) क्या भार्गवी नदी के बायें किनारे से ३७ मील दूर कपिलेश्वरपुर प्रताप सासन में ३ फुट व्यास के आर० सी० ह्यूम पाइप के जलद्वार[1] के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). अभी तक दो योजनाओं का ब्यौरा प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं के नाम और अन्य बातें नीचे दी गयी हैं :

१. बारबील में कचराधर के मुंह को बन्द करना ।

२. कानपुर में हेमसागर जोर के मुंह को बन्द करना ।

उपरोक्त योजना (१) पर ६८,८०० रु० व्यय होने का अनुमान है। इसका उद्देश्य बारबील गांव के निकट केन्द्र नदी से कचराधर के निकास को तटबन्ध बना कर रोकना है । इस योजना से रेवी और केन्दल नदियों के बीच के इलाके को संरक्षण मिलने की सम्भावना है ।

उपरोक्त योजना (२) पर ६५,००० रु० व्यय होने का अनुमान है और इस योजना का उद्देश्य तटबन्ध के द्वारा हेमसागर जोर का मुंह बन्द करके पोखरी गांव, पोलसोरा और देवली आदि गांवों की रक्षा करना है ।

(ग) इन योजनाओं को अभी मंजूरी नहीं दी गयी है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने राज्य बाढ़ नियंत्रण योजना द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी मिलने की सूचना नहीं भेजी ।

(घ) इस कार्य की प्रगति के बारे में राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ;

उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें

†५५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने कितनी रेलवे लाइनों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है;

(ख) ये रेलवे लाइनें कौन सी हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा उरकार ने कुछ लाइनों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन कौन सी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sluice.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (घ). उड़ीसा सरकार ने जिन नई रेलवे लाइनों की सिफारिश की है, प्राथमिकता क्रम से उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

विवरण

क्रमांक	रेलवे लाइन का नाम	गेज	लम्बाई (मीलों में)
१.	रूरकेला-तालचर-नेरगुंडी परदीप . .	बी जी	१६८
२.	(क) रायगाडा-नौरंगपुर-जेयपुर-कोरापुर . .	,,	१५०
	(ख) रायगाडा-गुनुपुर	,,	३५
३.	बांगरीपोसी-रैरंगपुर	,,	२५
४.	गोपालपुर-आस्का-भंजनगर-दुर्गाप्रसाद-फुलभानी-बालीगुडा .	,,	१५०
५.	नयागढ़-पलसपोंगा-कियोनझर-आनन्दपुर-तोमका हिल (हावड़ा-मद्रास मुख्य लाइन पर २१४वें मील को जोड़ते हुए)	,,	११०
६.	बारबली-कोयरा-डुमरो	,,	३०

उड़ीसा में पोषक-आहार सम्बन्धी रसोइयां[1]

†५६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में आहार-विशेषज्ञों की नियुक्ति तथा पोषक-आहार तैयार करने वाली रसोइयों की स्थापना की योजना को कार्यान्वित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में उड़ीसा में इस प्रकार की एक रसोई की स्थापना की गयी थी और भारत सरकार ने इसके लिये ४,००० रु० का अनावर्तक अनुदान स्वीकार किया था। आहार विशेषज्ञ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जानी थी। राज्य सरकार का दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य में ऐसी कोई रसोई स्थापित करने का विचार नहीं है।

सहकारी कृषि समितियां

†५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६० तक प्रत्येक राज्य में कितनी सहकारी कृषि समितियां बनायी गईं

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

उत्तर रेलवे में गाड़ियों में डकैतियां

†५८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे पर दिल्ली और मुगल सराय के बीच चलने वाली माल और सवारी गाड़ियों में अप्रैल, १९६० से लेकर अब तक कितनी बार डाके डालने की घटनाएं हुईं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diet kitchens.

(ख) इन डकैतियों में कुल कितने रुपये का सामान और नकदी लूटी गयी; और

(ग) इन डकैतियों में कितने यात्री तथा रेलवे कर्मचारी घायल हुए ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कोई नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालने के केन्द्र

†५९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९६० में अब तक कितने भेड़ पालने के केन्द्र खोले गये हैं और अब तक उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन फार्मों में देशी और विदेशी भेड़ों की संख्या कितनी है; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक लोगों को कितनी भेड़ें दी गई हैं ?

†**कृषि मंत्री (श्री डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) १९६० में हिमाचल प्रदेश में एक भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्र खोला गया है । उसमें आवश्यक सामान तथा दवाइयों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) इस केन्द्र को ९ देशी और सात दोगले पौलवर्थ मेढ़े दिये गये हैं ।

(ग) छबीस ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में उत्तर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के मामले कितने हैं और किस प्रकार के हैं ?

(ख) श्रेणीवार कितने व्यक्ति रिहा हुए हैं; और

(ग) श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को दण्ड मिला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) (१) सितम्बर १९६० तक भ्रष्टाचार के ८८ मामले पकड़े गये थे ।

(२) इन मामलों का रूप नीचे दिया जाता है :—

(१) आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक सम्पत्ति का जमा होना ।

(२) रिश्वत लेना

(३) धोखेबाजी

(४) गबन

(५) अभिलेख को झूठा करना

(६) पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग

(७) रेलवे के सामान और मजदूरों का दुरुपयोग

(८) निर्धारित स्तर से नीचे का सामान और काम पास करना; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) ठेकेदारों को अधिक माल देना ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) कोई नहीं ।

उत्तर रेलवे पर चलते पुस्तकालय

†६१. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर चलते पुस्तकालयों की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन सेक्शनों पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). जी, नहीं । कर्मचारी लाभ निधि समिति ने इस मास हुई बैठक में अपेक्षित निधि की मंजूरी दे दी है और चल पुस्तकालय की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

प्रादेशिक बन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर

†६२. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ अगस्त, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जबलपुर में प्रादेशिक वन अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार करके क्या निष्कर्ष निकाला है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

†६३. **श्री मुरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पर निम्न जानकारी देने वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५०–५१ में खाद्यान्नों का उत्पादन क्या था ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, क्या था उक्त अवधि में कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई, वित्तीय उपबन्ध कितना था तथा उस अवधि में वास्तव में कितना धन खर्च हुआ ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या हैं अब तक कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई है, वित्तीय उपबन्ध कितना है और अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका हैं; और

(घ) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रही है, तो उसका क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा):** (क) १६५०–५१ में ५०० लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ था ।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में कुल उत्पादन का लक्ष्य ६१६ टन था और पहली योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् १६५५–५६ में ६५८ लाख टन उत्पादन हुआ था ।

योजना में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के लिये कोई पृथक् वित्तीय उपबन्ध नहीं किया गया था । कृषि के लिये केन्द्र और राज्यों के लिये कुल उपबन्ध लगभग १६५ करोड़ रुपये का था,

---

†मूल अंग्रेजी में

जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये अनुसन्धान शिक्षा, प्रशिक्षण आदि सम्मिलित थे और लगभग १८१ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का उत्पादन का शोधित लक्ष्य १९६०–६१ में ८०५ लाख टन था जिसमें से १९५९–६० का उत्पादन का अन्तिम अनुमान ७१८ लाख टन था । कृषि उत्पादन (भूमि विकास तथा छोटी सिंचाई योजनाओं को मिला कर) के लिये पंचवर्षीय अवधि के लिये योजना उपबन्ध लगभग २०१ करोड़ रुपये का था, जिसमें से १९५९–६० (पहले तीन वर्षों अर्थात् १९५६–५७ से १९५८–५९ के यथार्थ आंकड़े और १९५९–६० के शोधित प्राक्कलन) तक का व्यय अस्थायी रूप से १५५ करोड़ रुपये है ।

(घ) कमी के प्रमुख कारण हैं कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उर्वरकों का संभरण कम था, सिंचाई साधनों विशेष कर बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण उपयोग में विलम्ब, बीज फार्म आयोजित करने की प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण भमि कृष्यकरण में बाधा पड़ी और ट्रैक्टरों तथा फालतू पुर्जों की कमी तथा खेती के कामों के लिये लोहे और इस्पात के सम्भरण की कमी के कारण विकास कार्यक्रमों में बाधा पड़ी ।

कपास का उत्पादन

†६४. **श्री मुरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला विवरण रखने की क्या कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ में कपास का उत्पादन कितना था;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उस अवधि में कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई, वित्तीय उपबंध कितना था तथा उक्त अवधि में कितना धन वास्तव में खर्च किया गया;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) लक्ष्यपूर्ति में यदि कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) २९.७१ लाख गांठें ।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लाभ	४२.२९ लाख गांठें ।
(१) १९५४–५५ में लक्ष्य पूर्ति	४२.२७ लाख गांठें ।
(२) १९५५–५६ में लक्ष्य पूर्ति	४०.२० लाख गांठें
वित्तीय उपबंध	६० लाख रुपये
खर्च हुई राशि	५८.१९ लाख रुपये
(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	६५ लाख गांठें
अब तक खर्च राशि :	
(१) कपास विस्तार योजनायें	१५.९८ लाख रुपये*
(२) कपास अनुसंधान योजनायें	४०.४२ लाख रुपये**

---

†मूल अंग्रेजी में

*१९५६-५७ और १९५७-५८ वर्षों के लिये शोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्गवार मंजूरी जारी की जाती है और इसलिये इन योजनाओं के लिये उसके पश्चात् कपास पर व्यय के कोई कृषक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

**१९५६–५७ से १९५९ –६० तक वर्षों के लिये / १९६०–६१ के लिये १८ लाख रुपये के शोधित प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ।

(घ) कपास के उत्पादन में कमी के कारण ये हैं कि पिछले तीन सालों में मौसमी हालात बुरे थे, उर्वरकों का संभरण कम था, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव था, नाशक कीड़ों को मारने की दवा और सामान के कम संभरण के कारण भी कपास उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके ।

तिलहन का उत्पादन

†६५. **श्री मुरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में तिलहनों का उत्पादन कितना था ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उक्त अवधि में कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई, कितना वित्तीय उपबन्ध था, और इस अवधि में वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य क्या है ; अब तक कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई है, इस अवधि में कितना वित्तीय उपबन्ध था, तथा अब तक वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) यदि लक्ष्यपूर्ति में कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ५१ लाख टन ।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य .	५५ लाख टन
लक्ष्य पूर्ति .	५६ लाख टन
वित्तीय उपबंध .	शून्य
वास्तव में खर्च राशि	शून्य ।
(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना लक्ष्य	७५.५० लाख टन
१९५८–५९ में लक्ष्य पूर्ति	६९.०७ लाख टन
१९५९–६० में लक्ष्य पूर्ति .	६३.५२ लाख टन
तिलहन विकास के लिये वित्तीय उपबन्ध	२९.१९ लाख रुपये
तिलहन अनुसंधान के लिये वित्तीय उपबंध .	१५ लाख रुपये
तिलहन विकास योजनाओं पर १९५६–५७ और १९५७–५८ में खर्च हुई राशि . .	१.२० लाख रुपये*
तिलहन अनुसंधान योजनाओं पर १९५९–६० तक खर्च हुई राशि . . .	४.३० लाख रुपये ।

(घ) उत्पादन में कमी का मुख्य कारण है कि बोने के समय तथा/अथवा फसलों अर्थात मूंगफली, एरण्ड, अलसी और सरसों के बढ़ने की अवधि में देश में १९५९–६० में मौसम खराब था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*योजना कार्यक्रमों के लिये, १९५८-५९ से लेकर लागू होने वाली, राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिये जाने की शोधित प्रक्रिया के अधीन, केवल वर्गवार भुगतान मंजूरिया दी जाती हैं और वर्ग की उपरिसीमा के अन्दर भिन्न २ योजनाओं पर व्यय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है ।

पटसन का उत्पादन

†६६. **श्री मरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री सभापटल पर यह दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में पटसन का उत्पादन कितना था ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उस अवधि में लक्ष्यपूर्ति कितनी हुई, कितना वित्तीय उपबन्ध था तथा वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य, अब तक की लक्ष्यपूर्ति, योजना अवधि का वित्तीय उपबन्ध तथा अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) यदि लक्ष्यपूर्ति में कोई कमी रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ३२.८ लाख गांठें।

पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य .	५३.७ लाख गांठें
१९५५–५६ में लक्ष्य पूर्ति .	४१.९८ लाख गांठें
योजना अवधि का वित्तीय उपबन्ध .	८० लाख रुपये
अब तक खर्च हुई राशि .	४८.७४ लाख रूपये (अनुदान) १३.२६ लाख रुपये (ऋण)
(ग) योजना का लक्ष्य	५५ लाख गाठें
ा ं ा ा त	५१.५८ लाख गांठें १९५८–५९ में ४५.४८ लाख गांठें १९५९–६० में
दूसरी योजना का वित्तीय उपबन्ध .	९०.८६ लाख रुपये
अब तक खर्च हुई राशि .	६४.७० लाख रुपये १९५९–६० के अन्त तक।

(घ) १९५९–६० में पटसन के उत्पादन में कमी का कारण अंशत: यह था कि १९५८–५९ पटसन की बड़ी फसल होने के कारण कच्चे पटसन का मूल्य गिर गया था, और अंशत: यह था कि सम खराब था।

वकास खण्ड

†६७. **श्री मुरारका :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ में कितने विकास खण्ड खोले गये थे :

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, उस अवधि में कितनी लक्ष्य प्राप्ति हुई **थी;** कितना वित्तीय उपबंधीय था तथा वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य क्या है, अब तक कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई है, कितना वित्तीय उपबंध है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; तथा

(घ) लक्ष्यपूर्ति में यदि कोई कमी हुई हो तो उसका क्या कारण है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)**: (क) २११½ खण्ड ।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना में १२०० खण्डों का प्रस्ताव था जिनमें से १०६५ खण्ड उस अवधि में खोले गये । पहली योजना में सामुदायिक विकास के लिये ९६·५ करोड़ रुपय का उपबंध था, जिसमें से उस अवधि में ५२ करोड़ रुपये खर्च हुये हैं ।

(ग) दूसरी योजना में २०२२ खण्डों के लक्ष्य का विचार किया गया था , जिसमें १८४२ खण्ड अप्रैल, १९६० तक आवंटित किये गये थे । दूसरी योजना में सामुदायिक विकास के लिये १७० करोड़ रुपये का अस्थायी उपबंध किया गया था जिसमें से ३१ मार्च, १९६० तक (दूसरी योजना में पहले चार वर्षों में) १३५·३ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों के अभाव के कारण पहली योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका । दूसरी योजना के लक्ष्य की पूर्ति की आशा है ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†६८. **श्री मुरारका** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सभा पटल पर यह दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांव आ गये थे ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई, कितना वित्तीय उपबन्ध था तथा कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य क्या था, अब तक कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई, कितना वित्तीय उपबंध है और अब कितनी राशि खर्च हुई है ; तथा

(घ) यदि लक्ष्यपूर्ति में कोई कमी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) २५२६४ ।

(ख) पहली योजना में १२०,००० गांवों का लक्ष्य था, जिसमें से उस अवधि में खण्डों में १०५८०० गांव आ गये थे । वित्तीय उपबंध ९६·५ करोड़ रुपये था जिसमें से उस अवधि में ५२ करोड़ रुपये खर्च हुये हैं ।

(ग) दूसरी योजना का लक्ष्य २८०,००० गांवों का है जिसमें से अप्रैल, १९६० तक २७४००० गांव इस कार्यक्रम के अन्दर आ चुके हैं । १७० करोड़ रुपये का अस्थायी रूप से वित्तीय उपबंध किया गया था जिसमें से ३१ मार्च, १९६० तक (अर्थात् दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में) १३५·३ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(घ) लक्ष्यपूर्ति की कमी का मुख्य कारण पहली योजना अवधि में यह था कि प्रशिक्षित लोगों की कमी थी । दूसरी योजना में लक्ष्य पूर्ति की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†६९. **श्री मुरारका** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कितनी जनता को लाभ पहुंचा था ;

(ख) पहली योजना का लक्ष्य क्या था, कितनी लक्ष्य पूर्ति हुई, कितना वित्तीय उपबंध था तथा कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई ;

(ग) दूसरी योजना का लक्ष्य क्या था, कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई, कितना वित्तीय उपबंध था तथा कितनी राशि वास्तव में खर्च हुई ; और

(घ) यदि लक्ष्य पूर्ति में कोई कमी रही हो तो उसका क्या कारण था ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) १·६ करोड़ ।

(ख) पहली योजना में चौथाई ग्रामीण जनता अर्थात् ७·४ करोड़ लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंचाने का लक्ष्य था, जिसमें से उस अवधि में ६·८६ करोड़ लोगों को कार्यक्रम से लाभ पहुंचाया गया। पहली योजना का वित्तीय उपबन्ध ९६·५ करोड़ रुपये था जिसमें से उस अवधि में ५२ करोड़ रुप खर्च हुए ।

(ग) दूसरी योजना का लक्ष्य १३·५ करोड़ था जिसमें से १२·३ करोड़ जनसंख्या अप्रैल, १९६० तक खण्डों में आ गई है। दूसरी योजना में १७० करोड़ रुपये का अस्थायी रुप से उपबंध किया गया था, जिसमें से ३१ मार्च, १९६० तक अर्थात् दूसरी योजना के पहले चार वर्षों में १३५·३ करोड़ रुपये खर्च हुये हैं ।

(घ) पहली योजना में लक्ष्य पूर्ति की कमी का कारण था कि प्रशिक्षित लोगों की कमी थी । दूसरी योजना में लक्ष्य पूर्ति की आशा है ।

प्राथमिक कृषि संस्थायें

†७०. **श्री मुरारका** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में कितनी लघु प्राथमिक कृषि संस्थायें थीं ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उक्त अवधि में कितनी सफलता प्राप्त हुई थी, उनके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है, उनके लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गयी थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कोई कमी रह गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति)** : (क) १,०४,६६८ ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में प्राथमिक संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । पर हां, १९५५-५६ के अन्त तक प्राथमिक कृषि उधार संस्थाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

की संख्या बढ़ कर १,५९,९३९ तक जा पहुंची । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गयी थी । इसलिये खर्च की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में भी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी लघु कृषि उधार संस्थाओं की स्थापना के संबंध में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । पर हां, द्वितीय योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में १४,७५३ नई लघु प्राथमिक कृषि उधार संस्थाओं की स्थापना हुई थी । अनुमान है कि १९५९-६० में १६,००० नई संस्थायें स्थापित की जायेंगी । द्वितीय योजना काल में इसके लिये कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गई है । तो भी १९५८-५९ के अन्त तक इन संस्थाओं को प्रबन्ध संबंधी राजकीय सहायता के रूप में १६·५८ लाख रुपये दिये गये थे । १९५९-६० के लिये ७५ लाख रुपयों की राजकीय सहायता निर्धारित की गई थी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सहकारी संस्थायें

†७१. **श्री मुरारका :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में ग्राम सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की कितनी संख्या थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई थी, उस के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी और इस अवधि में वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) इन लक्ष्यों की पूर्ति में यदि कुछ कमी रह गई है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) :** (क) ४४·०८ लाख ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई भी लक्ष्य अथवा वित्तीय राशि निर्धारित नहीं की गई थी । फिर भी, १९५५-५६ के अन्त तक सदस्यों की संख्या बढ़ कर ७७·९१ लाख हो गई ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ के अन्त तक इन की संख्या को बढ़ा कर १५० लाख कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । नवम्बर, १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस लक्ष्य को बढ़ा कर २०० लाख कर दिया । १९५८-५९ तक उन के सदस्यों की संख्या वास्तव में ११९·०१ लाख हो गई थी । अनुमान के अनुसार १९५९-६० के अन्त तक यह संख्या १५० लाख हो जायेंगी । उसके लिये कोई विशेष राशि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिये खर्च की गई राशि के सम्बन्ध में भी कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जब तक १९६०-६१ के सम्बन्ध में सफलता का ज्ञान नहीं होता तब तक कमी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सिंचाई सम्बन्धी क्षमता

†७२. **श्री मुरारका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में कितनी अतिरिक्त सिंचाई सम्बन्धी क्षमता पैदा की गई थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उक्त अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई थी, इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और इस अवधि में कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है, इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और वास्तव में कितनी राशि अभी तक खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्ति में यदि कोई कमी रह गई है तो उसके क्या कारण हैं ;

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) १९५०-५१ के अन्त तक सभी स्रोतों से कुल ५१५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की गई थी ।

(ख) **प्रथम योजना**

(१)	लक्ष्य . . .	८५ लाख एकड़
(२)	प्राप्त सफलता .	२९ लाख एकड़
(३)	आवंटित राशि .	४६९ करोड़ रुपये (इसमें बहु-प्रयोजनीय परियोजनायें भी सम्मिलित हैं ।)
(४)	खर्च . .	३८० करोड़ रुपये

(ग) **द्वितीय योजना**

(१)	लक्ष्य . . .	१२० लाख एकड़
(२)	प्राक्कलित सफलता	९० लाख एकड़
(३)	आवंटित राशि . .	३८१ करोड़ रुपये
(४)	प्राक्कलित खर्च . .	३९० करोड़ रुपये

(घ) कमी के मुख्य कारण थे—क्षेत्र नहरों के निर्माण में कठिनाइयां, प्रविधिक व्यक्तियों की कमी और विदेशी मुद्रा की कमी ।

बिजली की संस्थापित क्षमता

†७३. **श्री मुरारका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०-५१ में बिजली की संस्थापित क्षमता कितनी थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस अवधि में इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त हुई थी, इस सम्बन्ध में कितनी राशि निर्धारित की गई थी और कितनी राशि खर्च की गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अभी तक इस बारे में कितनी सफलता मिली है, इस अवधि के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी और अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) लक्ष्य प्राप्ति में यदि कोई कमी रह गई है तो उस के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). एक विवरण सम्बद्ध है ।

विवरण

(क) १९५०-५१ में संस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट थी ।

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना

लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	निर्धारित राशि	वास्तविक खर्च
१३ लाख किलोवाट	११ लाख किलोवाट	२६० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र)	२६० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र) +३२ करोड़ रुपये (गैर-सरकारी क्षेत्र) +१० करोड़ रु० (स्वयं बिजली पैदा करने वाले उद्योग)

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना

लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	निर्धारित राशि	वास्तविक खर्च
३५ लाख किलोवाट	२४ लाख किलोवाट	४२७ करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र)	४१० करोड़ रुपये (सरकारी क्षेत्र) +३७ करोड़ रुपये (गैर-सरकारी क्षेत्र) +२८ करोड़ रुपये (स्वयं बिजली पैदा करने वाले उद्योग)

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में प्रगति लगभग संतोषजनक थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य पूर्ति में कमी होने का मुख्य कारण यह था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के प्रारम्भिक वर्षों में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उस के परिणामस्वरूप कई विद्युत् उत्पादन योजनाओं को 'मुख्य' कोटि में सम्मिलित न किया जा सका । कुछ एक प्रमुख जल विद्युत् परियोजनाओं जैसेकि भाखड़ा नंगल, कोयना, रिहांड, हीराकुड प्रावस्था २ आदि के कार्य को पूरा करने में भी कुछ विलम्ब हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के कनेक्शन

†७४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में उत्तर प्रदेश में टेलीफोन को कितने नये कनेक्शन दिये गये हैं ; और

(ख) १९५८-५९ और १९५९-६० में इस कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :**

(क)	१९५८–५९	१९५९–६०
	२८४८	३५६३

(ख) विभिन्न टेलीफोन कनेक्शनों पर आने वाले खर्च का निर्धारिण करना संभव नहीं है । अंशदान अदा करने वाले सभी ग्राहकों के मकानों में लगाये गये कनेक्शनों पर १९५८-५९ में कुल ४,९९,५६६ रूपये और १९५९–६० में कुल ४,२४,५२८ रुपये खर्च हुए थे ।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग

†७५. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार ने १९५९-६० में कुष्ठ रोग की रोकथाम और इलाज के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** १९५९-६० में उत्तर प्रदेश को ४४.०५ लाख रुपयों की राशि मजूर की गयी थी जिसमें से १८.१२ लाख रुपये (कुष्ठ सहित) रोगों के नियत्रंण के लिये सार्वजिनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के लिये भी सम्मिलित है ।

राज्य सरकारों को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे किसी एक वर्ग की विभिन्न योजनाओं के लिये स्वयं ही राशि का समायोजन कर सकती हैं ।

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†७६. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में अभी तक किस किस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्पिती घाटी में हवाई अड्डा

†७७. **श्री हेम राज :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने स्पिती घाटी में हवाई अड्डा बनाने के लिये एक प्रस्ताव दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उक्त हवाई अड्डा बनाने के लिय पंजाब सरकार को कोई अनुदान देने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख) पंजाब सरकार के कहने पर स्थिती घाटी में हाल हीं में मौके का सर्वेक्षण किया गया था मगर वह मौजूं नहीं पाया गया ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

रेलवे समय सारणी

†**७८. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उन रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें यह कहा गया है कि १ अक्तूबर, १९६० को रेलवे समय सारणियों के प्रकाशन के कुछ दिनों बाद ही लगभग प्रत्येक जोन में उनकी प्रतियां मिलना कठिन हो गया है ; और

(ख) क्या भविष्य में उन्हें पर्याप्त संख्या में छपवाया जाया करेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कुछ एक रेलवे जोनो के कुछ स्टेशनों पर समय सारणियों को अनुपलब्धि के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; क्योंकि विभिन्न स्टेशनों पर इन समय सारणियों का सभंरण प्रेस से प्राप्त प्रतियों के अनुपात पर मांग के आधार पर किया जाता है इसीलिये कुछ स्टेशनों पर प्रारम्भ में अत्यधिक मांग होने के कारण ही समयसारणियों की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध न हो सकीं ;

(ख) वास्तव में मांग तथा पिछले वर्षों की बिक्री से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर उनकी पर्याप्त प्रतियां छपवायी जाती हैं ; परन्तु क्योंकि इनके सम्बन्ध में जनता की मांग निरन्तर बढ़ती घटती रहती है, इस लिये वास्तविक मांग के सम्बन्ध में ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है । वर्तमान परिस्थितियों में समय सारणियों की छपायी और संभरण को इस प्रकार से नियमित किया जाता है ताकि अन्त में न बिकने वाली प्रतियों से कोई नुकसान न हो क्योंकि समय सारणी की छपायी पर बड़ा खर्च आता है ।

सिंचाई योजनायें

†**७९. श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १९५९-६० तक कितनी मुख्य तथा मध्यम वर्ग की सिंचाई योजनायें पूरी की गयी थीं ;

(ख) उक्त अवधि में बिहार में कितनी मुख्य तथा मध्यम वर्ग की सिंचाई योजनायें पूरी की गयी थीं ; और

(ग) वे कहां कहां स्थापित की गयी हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ज्ञात हुआ है कि मुख्य तथा मध्यम श्रेणी की २५९ सिंचाई योजनायें प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले ही पूरी हो चुकी थीं । प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में ९० योजनायें और द्वितीय चवर्षीय योजना काल में मार्च, १९६० तक ११२ योजनायें पूरी हुई हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ज्ञात हुआ है कि बिहार में प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले मध्यम वर्ग की ५ सिंचाई योजनायें पूरी की गयी थी ; ज्ञात हुआ कि प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में २८ योजनायें और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में मार्च, १९६० तक ११ ऐसी योजनायें पूरी की गयी थीं।

(ग) एक विवरण सम्बन्ध है जिसमें बताया गया है कि मध्यम वर्ग की कौन कौन सी सिंचाई योजना पूरी हुई है और बिहार में वे कहां कहां पर स्थापित है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २५]**

आम हड़ताल

†८०. **श्री सुबिमल घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) पूर्व रेलव के हावड़ा, सियालहद और आसनसोल डिवीज़नो में गत आम हड़ताल में भाग लेने पर कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था और कितने अभी तक मुअत्तिल हैं; और

(ख) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें यह बताया गया हो कि :

(१) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाया था और कोई चार्जशीट नहीं दी गयी, फिर भी वे अभी तक बिलम्बित हैं ;

(२) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अदालत से मुक्त कर दिया गया है अथवा जिनके मामले वापिस ले लिये गये थें, फिर भी व अभी तक मुअत्तिल हैं ;

(३) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है परन्तु फिर भी उन्हें मुअत्तिल नहीं किया गया है ;

(४) कुल कितने मामले चलाये गये थे, कितनों को निपटा दिया गया है और कितने अभी तक चल रहे हैं ;

(५) कुल कितने कर्मचारियों पर मुकदमे चलाये गये थे और कितनों पर अभी तक चल रहे हैं ; और

(६) डिवीजनवार ऐसे कितने कर्मचारियों पर अभी तक अदालत में मुकदमें चल रहे हैं जिन्हें निलम्बित भी किया जा चुका है ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है :—

वर्ग	हावड़ा डिवीजन	सियालदह डिवीजन	आसनसोल डिवीजन
वाणिज्यिक क्लर्क . . .	—	—	१
कार्यालय क्लर्क	—	—	१
टी० टी०	—	—	३
कैबिनमेन	—	—	१
इंधन निरीक्षक .	—	—	१
खलासी	—	—	१
कुल . .	—	—	८

†मूल अंग्रेजी में

उन कर्मचारियों की संख्या जो अभी तक निलम्बित हैं :—

वर्ग	हावड़ा डिवीजन	सियालदह डिवीजन	आसनसोल डिवीजन
कर्मचारी निरीक्षक	१	—	—
प्रयोगशाला कल्याण सहायक निरीक्षक	१	—	—
फिटर-इनचार्ज	१	—	—
वाणिज्यिक क्लर्क	६	३	—
सहायक स्टेशन मास्टर	१	१	—
आफिस क्लर्क	१	३	—
फिटर	२	१	—
टी० टी०	२	—	१
प्रमुख फायरमेन	१	—	—
ड्राइवर	—	१	—
टिकट क्लेक्टर	—	१	—
गाड़ी निरीक्षक	—	२	—
चार्जहैन्ड्स	—	१	—
कन्डक्टर	—	—	१
फायरमेन	—	—	४
गार्ड	—	—	१
शंटर	१	—	—
कोयला परिवहन निरीक्षक	—	—	१
खलासी	५	१	—
कॉल मेन	१	—	—
क्लीनर	२	२	१
फायर मेन ग्रेड २	१	५	—
जमादार	१	—	—
गैंगमैन	—	३	—
की मैन	—	१	—
वाटर मैन	—	—	१
कुल	३०	२५	१०

(ख)

	हावड़ा डिवीजन	सियालदह डिवीजन	आसनसोल डिवीजन
(१)	—	—	—
(२)	२०	—	४
(३)	—	—	—

वर्ग	हावड़ा डिवीजन	सियालदह डिवीजन	आसनसोल डिवीजन
(४) प्रारम्भ में चलाये गये मामले (पुलिस के मामले ब्रेकिट में दिखाये गये हैं)	७७९ (३२८)	४५७ (१२४)	१३८० (९८१)
निपटा दिये गये मामले	७४९	४७२	१३७०
विलम्बित मामले	३०	२५	१०
(५) पुलिस के मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारी	३२८	१२४	९८१
जिन पर अभी तक मामले चल रहे हैं	९	१	५
(६)	९	१	५

आम हड़ताल

†८१. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणपूर्व रेलवे के आद्रा जिले में पिछली हड़ताल के कारण कितने कर्मचारी, श्रेणीवार, नौकरी से अलग कर दिए गए हैं तथा कितने अभी तक मौत्तल हैं ; और

(ख) क्या निम्नांकित जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाएगा :

(१) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया है और जिन्हें चार्जशीट नहीं दी गई है परन्तु जो फिर भी अभी तक मौत्तल हैं ;

(२) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो न्यायालय द्वारा छोड़ दिए गए हैं अथवा जिनके मुकदमे वापस ले लिए गए हैं परन्तु फिर भी अभी तक मौत्तल हैं ;

(३) ऐसे कमचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायायल में मुकदमे चल रहे हैं परन्तु जो मौत्तल नहीं किए गए हैं ;

(४) प्रारंभ में चलाए गए, निपटाए जा चुके तथा विचाराधीन मुकदमों की अलग अलग संख्या ;

(५) प्रारंभ में चलाए गए मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या तथा उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर अभी तक मुकदमे चल रहे हैं ; और

(६) ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तथा जो मौत्तल हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: (क) उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी नौकरियां चली गई हैं . . . . . .

अभी तक मौत्तल कर्मचारियों की संख्या :

श्रेणी	संख्या
सहायक स्टेशन मास्टर	४
गार्ड . .	३
टी० टी० ई०	२
क्लर्क . .	३
एस० पी० डब्ल्यू० आई०	१
फिटर	२
ड्राइवर .	६
चार्जमैन . .	२
फर्स्ट फायरमैन	१
सैकिंड फायरमैन . .	४
एस० टी० जे० एम०	१
टी० पी० एम०	४
शेड खलासी	२
योग	३५

(ख) आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :

(१)	. . . . .	—
(२)	. . . . .	२६
(३)	. . . . .	—
(४)	प्रारंभ में चलाए गए मुकदमों की संख्या ([५] में उल्लिखित ६६७ पुलिस मुकदमों को सम्मिलित करके) .	७६८
	निपटाए जा चुके मामलों की संख्या .	७३३
	अभी तक विचाराधीन मामलों की संख्या .	३५
(५)	पुलिस मुकदमों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या .	६६७
	अभी तक मुकदमों में फंसे हुए कर्मचारियों की संख्या .	—
(६)	. . . . .	—

वैतरिणी परियोजना

†८२. **श्री न० म० देव** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा की वैतरिणी परियोजना की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: उड़ीसा सरकार ने वैतरिणी नदी पर भीमकुण्ड बहुप्रयोजन योजना के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया था। उसकी केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की गई थी और राज्य सरकार आयोग की टिप्पणियों के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन का पुनरीक्षण कर रही है।

ढले हुए लोहे की स्लीपर की प्लेटें

†८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री उन ढलाईघरों, जिनको १९५९ और १९६० के दौरान ढले हुए लोहे की स्लीपर की प्लेटों के संभरण के व्यादेश दिए गए थे, की सूची जिसमें यह भी बताया गया हो कि प्रत्येक ढलाईघर को कितनी मात्रा का व्यादेश दिया गया था और उसने, प्रत्येक वर्ष में कितना वास्तविक संभरण किया, सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६]**।

डाक तथा तार कर्मचारी

८४. **श्री नारायण दीन** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ में पिछले दिनों गोमती में आई बाढ़ का असर डाक तथा तार विभाग के काफी कर्मचारियों तथा उन के परिवारों पर पड़ा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक कर्मचारियों की बीवियां और बच्चे खो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों को सहायता देने के लिये विभाग ने क्या विशेष सहायता कार्य किये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, कुछ कर्मचारियों पर असर पड़ा है।

(ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) नियमानुसार बाढ़ की अग्रिम धनराशि मंजूर की गई हैं।

डाक तथा तार कर्मचारी

†८५. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की हड़ताल के सम्बन्ध में मद्रास सर्किल के डाक तथा तार विभाग के कुल कितने कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया तथा प्रत्येक पोस्टल इंजीनियरिंग तथा आर० एम० एस० डिवीजन के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) कितने मामलों में कर्मचारी बरी कर दिये गये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में काजू की खेती

†८६. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने काजू की खेती के विस्तार के लिए हाल में कोई योजना पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी, हां ।

(ख) योजना का उद्देश्य काजू की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र को, मुख्यतः रत्नागिरी जिले में, १९५९-६० और १९६०-६१ के दौरान बढ़ाना है । योजना में निम्न कार्य सम्मिलित है :

(१) काजू की खेती के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण ;

(२) काजू के बीजफार्म और प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना ;

(३) किसानों को काजू के श्रेणीबद्ध बीजों का निःशुल्क वितरण ;

(४) किसानों को ६० रुपये प्रति एकड़ की दर से तगाई ऋण मंजूर करना जो एक व्यक्ति को ६००० रुपये से अधिक नहीं हो सकेगा ; और

(५) काजू के पौधे लगाने और उन की देखभाल के सम्बन्ध में उत्पादकों को प्रविधिक मंत्रणा का उपबन्ध ।

मोटर दुर्घटनायें

†८७. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० के पूर्वार्द्ध में त्रिपुरा और मनीपुर में कुल कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) क्रमशः ४४ और ३१ ।

(ख) क्रमशः ८ और ९ ।

सेविंग बैंक एकाउण्ट तथा पोस्टल सर्टिफिकेट

†८८. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके बाद विस्थापित व्यक्तियों के सेविंग बैंक एकाउण्ट तथा पोस्टल सर्टिफिकेटों के दावों के निर्णय के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : सत्यापित सूचियों का अग्रेतर विनिमय अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है । सम्पर्क पदाधिकारी इस महीने के अन्त में सत्यापित सूचियों के विनिमय का कार्य करांची में प्रारंभ करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्यान्नों के भाव

†८९. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि खाद्यान्नों के भावों में स्थिरता लाने की दृष्टि से उन्हें खाद्यान्न के थोक विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रणाली बनानी चाहिये और लाइसेंस मंजूर करने के लिये कठोर शर्तें विनिहित की जानी चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) और (ख). नहीं श्रीमान्, इस विषय पर हाल में कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। गत वर्ष खाद्यान्न का राज्य-व्यापार चालू करने के निर्णय के अनुसार, समस्त देश में व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये थे।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

ग्लाईडिंग प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद

†९०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद (दक्षिण) में ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह प्रगति किस प्रकार की है ; और

(ग) उस केकब तक चालू होने की संभावना है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) से (ग). हैदराबाद के निकट ग्लाइडिंग केन्द्र के लिये भूमि चुन ली गई है और उसका विस्तृत सर्वेक्षण हो रहा है। ग्लाईडरतल के निर्माण के लिये प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

जैसे ही ग्लाईडरतल के निर्माण का कार्य समाप्त हो जायेगा ग्लाईडिंग केन्द्र चालू कर दिया जायेगा।

परदीप पत्तन

†९१. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री वै० च० मलिक :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के परदीप पत्तन में पत्तन सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में आद्यतन क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)**: पूना गवेषणा केन्द्र में चल रहे अग्रेतर प्रयोगात्मक परीक्षणों के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं ।

उड़ीसा सरकार को प्रदीप पत्तन के विकास के लिये ऋण हमेशा की तरह चालू वर्ष में भी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में दिये जायेंगे ।

परदीप में वर्तमान पत्तन सुविधायें निम्नांकित हैं :

(१) तट सुविधायें :

(क) लकड़ी की ३ अस्थायी अवतरणियां ;

(ख) दो खुले संग्रह क्षेत्र; और

(ग) बहुत सारी जमीन ।

(२) पत्तन सुविधायें :

(क) दो टग ।

(ख) एक पायलट वैसिल ।

(ग) एक सर्विस लॉन्च ।

(घ) एक सर्वे लॉन्च ।

(ङ) एक लाइटर ।

परदीप पत्तन के विकास के लिये ९९ लाख रुपये की विकास योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गई हैं जैसी कि मध्यवर्ती पत्तन विकास समिति ने सिफारिश की थी । जैसे ही ये योजनायें क्रियान्वित हो जायेंगी यह पत्तन २.५ लाख टन का यातायात संभालने लगेगा ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी समिति

†९२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी गोखले समिति की सिफारिशों की जांच के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) अभी तक कौन कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़

†९३. { श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेन लाइन की रेलगाड़ियों पर अभी भी भीड़-भाड़ रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो भीड़-भाड़ को कम करने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, कुछ मेन लाइनों की गाड़ियों पर कुछ सेक्शनों में ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध उपबन्ध के अन्दर यात्री परिवहन क्षमता इतनी नहीं बढ़ाई जा सकी है कि भीड़भाड़ सर्वथा खत्म हो जाये । फिर भी उपलब्ध संसाधनों को इस प्रकार उपयोग में लाया गया है कि भीड़भाड़ विभिन्न रेलवे लाइनों और एक रेलवे के विभिन्न सेक्शनों के बीच इस प्रकार बंट जाये कि उस में यथासंभव कमी हो सके ।

भीड़भाड़ कम करने के लिये उठाये गये अधिक महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(१) लाइन क्षमता की उपलब्धता के अधीनस्थ अतिरिक्त गाड़ियां चलाना और नई गाड़ियां चलाने तथा वर्तमान गाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिये अतिरिक्त इंजन, डिब्बों आदि का उपबन्ध;

(२) पुराने डिब्बों को समुचित मरम्मत करके सेवा में कायम रखना;

(३) जिन भागों में भोजनयानों तथा वातानुकूलित डिब्बों का पूर्णोपयोग नहीं होता हो वहां उन को हटा कर उन के स्थान पर तीसरी श्रेणी के डिब्बे लगाना ; और

(४) थोड़ी दूर के यातायात को संभालने के लिये जहां कहीं संभव हो डीजल रेल कारें चालू करना ।

खड़गपुर-वाल्टेयर पैसिंजर गाड़ियां

†९४. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर ३२५ और ३२६ अप तथा डाउन खड़गपुर–वाल्टेयर पैसिंजरें १९६० के मध्य से चालू हो जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो ये दोनों गाड़ियां अभी तक क्यों नहीं चालू हुई हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). २२-५-१९५९ के पहले ३२५ अप/३२६ डाउन पैसिंजरें खड़गपुर और वाल्टेयर के बीच चला करती थीं । २२-५-१९५९ से खड़गपुर-खुर्दारोड सेक्शन पर इन गाड़ियों का आवागमन कम कर दिया गया है ताकि आवश्यक माल यातायात के आवागमन की क्षमता बढ़ाई जा सके । उस समय यह विचार किया गया था कि १९६० के मध्य से इन सेवाओं को पुनः चालू कर दिया जाएगा क्योंकि यह आशा की गई थी कि विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों (खुर्दारोड और नेरगुण्डी के बीच समस्त स्टेशनों पर 'टोकेनलेस ब्लॉक इन्सट्रुमेंट्स' की स्थापना को सम्मिलित करके) की समाप्ति पर सेक्शनल क्षमता बढ़ जाएगी । परन्तु इन गाड़ियों

†मूल अंग्रेजी में

के इस वर्ष के मध्य में पुन: चालू कर दिए जाने के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था । उपर्युक्त सेक्शनों पर इन सेवाओं का पुन : चालू किया जाना अभी तक संभव नहीं हो सका है और निकट भविष्य में भी वैसा संभव नहीं होगा जिसके निम्नलिखित कारण हैं :

(१) प्रयोग के रूप में खुर्दारोड और रेतांग के बीच 'टोकेनलेस ब्लाक इन्सट्रूमेंट्स' की स्थापना की गई थी । जब उनका कार्य देखा गया तो उसमें कुछ दोष दिखाई पड़े जिनके कारण डिजायन में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है । अत: दूसरी प्रकार के 'टोकेनलैस ब्लाक इन्सट्रूमेंट्स' मंगाए गए हैं और जब वे बाहर से आ जायेंगे तभी स्थापित किए जा सकेंगे । कर्मचारियों को उनके चलाने का अभ्यास होने में भी कुछ समय लगेगा ।

(२) उड़ीसा में पिछली दो अभूतपूर्व बाढ़ों के कारण वस्ता और हरिदासपुर के बीच के जो दो पुल बह गए हैं उनका पुनर्विर्माण किया जाना है । लाइन के व्यपवर्तन के लिए प्रतिदिन दो घण्टे यातायात बन्द रखा जाता है । गढ़मधुपुर–हरिदासपुर सेक्शन पर गाड़ियों की गति पर प्रतिबन्ध के कारण भी क्षमता कम हो गई है ।

(३) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा दक्षिण बलन्दा कोयला खान का विकास किए जाने के कारण एक अतिरिक्त गाड़ी नित्य कटक के दक्षिण की ओर भेजने के लिए लाइन क्षमता रखनी पड़ती है ।

(४) जाजपुर–क्योंझर रोड से अयस्क का कलकत्ता पत्तन और प्रदीप पत्तन दोनों की ओर निर्गमन बढ़ाया जाना है ।

(५) नेरगुण्डी और विज़ियनग्राम स्टेशनों के बीच के स्टेशनों पर लूप लाइनों की लम्बाई बढ़ाने (ताकि अधिक लम्बी माल गाड़ियां आ जा सकें) और नेरगुण्डी तथा खुर्दारोड के बीच लाइन को दोहरा बनाने से संबंधित इंजीनियरिंग कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने हैं जिसके कारण गति पर प्रतिबन्ध लगाना होगा और उससे नेरगुण्डी और खुर्दारोड के बीच की वर्तमान अकेली लाइन की क्षमता और भी कम हो जाएगी ।

बांसपानी क्षेत्र को मालडिब्बों का आवन्टन

†९५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ जून, १९६० से १९ सितम्बर, १९६० तक बांसपानी क्षेत्र को बांसपानी क्षेत्र से इस्पात मिल तक लौह अयस्क ले जाने के लिए कितने दिन तथा कितने माल डिब्बे आवंटित किए गए थे ;

(ख) उसी अवधि में बांसपानी क्षेत्र को बांसपानी क्षेत्र से कलकत्ता तक लौह अयस्क ले जाने के लिए कितने दिन माल डिब्बे आवण्टित किए गए थे ; और

(ग) इस क्षेत्र में इस अवधि में क्रमश : इस्पात मिल के संभरण और निर्यातों के लिए माल डिब्बों की कितनी मांग थी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

	माल डिब्बों के आवण्टन के दिनों की संख्या				आवन्टित माल डिब्बों की संख्या
	जून १९६० (६-६-६० से)	जुलाई १९६०	अगस्त १९६०	सितम्बर १९६० (१९ तारीख तक)	
टाटा आरन एण्ड स्टील कम्पनी .	२५	३१	३१	१९	१४,२७९
रूरकेला	१२	२४	—	७	
दुर्गापुर . .	७	—	२५	१२	

(ख) पांच दिन ।

(ग) इस अवधि में चार पहियों के माल डिब्बों के पदों में रजिस्टर्ड इन्डेन्ट नीचे दिए गए हैं :

	इस्पात मिल का संभरण	निर्यात के लिए
६ जून से ३० जून, १९६० .	३५८७	२५२
जुलाई, १९६०	४९३२	७२
अगस्त, १९६०	३५३२	११५
सितम्बर, १९६० (१९ तारीख तक) . .	२२२८	१११

कच्चे तेल के आयात के लिये जहाज भाड़ा

९६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्थित तेल शोधक कारखानों ने १९५७, १९५८ और १९५९ के वर्षों में भारत में कच्चा तेल आयात करने के लिये विदेशी नौवहन समवायों को कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया ; और

(ख) भारतीय और विदेशी जहाज़ों को जहाज भाड़े के रूप में कितना-कितना भुगतान किया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तेल-शोधक कारखानों द्वारा १९५७, १९५८ और १९५९ के वर्षों में कच्चे तेल का आयात करने में जहाज़ी भाड़े के रूप में क्रमशः ६,८८,२४,५३३, ६,०६,७१,९५० और ५,४८,४१,४३६ रुपये दिये गये ।

(ख) यह सारी राशि विदेशी जहाजों को दी गयी ।

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गम क्षेत्र समिति

९७. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८१५ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा की टेबल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में दुर्गम क्षेत्र समिति की सिफारिशों को संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का उल्लेख हो ?

कृषि उपमन्त्री (श्री मो० बें० कृष्णप्पा) : केन्द्रीय शासित त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश राज्यों को रिपोर्ट की प्रतियां भेजते हुए, उनसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी समय में या तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में उपयुक्त योजनायें बनाने को कहा गया था। सम्बन्धित प्रशासनों ने बतलाया है कि उन्होंने समिति की सिफारिशों पर आधारित योजनायें तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली हैं। तृतीय योजना काल में सम्बन्धित प्रशासनें विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे।

भारत-भूटान सड़कें

९८. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और भूटान को मिलाने वाली सड़कों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या एक विवरण, जिस में सड़कों की दूरी, उन के शुरू और समाप्त होने के स्थान और उन पर होने वाले अनुमित व्यय का उल्लेख हो, सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) इन सड़कों का निर्माण तेजी से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). यह सड़क असम के गोलपारा ज़िले में नार्थ ट्रंक रोड पर स्थित गरुभाशा से शुरू होकर भारत-भूटान सीमा पर स्थित दूतिसार तक जाती है। यह लगभग पच्चीस मील लम्बी है और मंजूर किये गये तख्मीने के अनुसार इस के बनाने पर १४.४३ लाख रुपयों के खर्च होने का अनुमान किया गया है। इस समय असम प्रदेश की सरकार से मिली सूचना के अनुसार सितम्बर, १९६० के अन्त तक इस सड़क का १९ मील का टुकड़ा बन कर तैयार हो गया था तथा १५ मील के दूसरे टुकड़े पर रोड़ी बिछायी जा चुकी थी। और इस सड़क पर बनने वाली ४१ पुलियों में से ३० पुलियां व २७ पुलों में से २२ पुल बन चुके थे। इस प्रकार यहां पर निर्माण-कार्य नियत कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो रहा है और संभावना है कि यह सड़क मार्च १९६१ तक बन कर तैयार हो जायेगी।

जयन्ती—वल्दुआर—संचुला सड़क

यहां पर निर्माण कार्य भूटान की ओर से मिलने वाली सड़क का एक दूसरा रास्ता चुने जाने के कारण बन्द कर दिया गया था।

बंजर भूमि प्रवर समिति

९९. श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि योग्य बंजर भूमि के बारे में नियुक्त की गई प्रवर समिति के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : समिति ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश नामक आठ राज्यों का दौरा किया था, जिसमें से पंजाब और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं और सरकार को भेज दी हैं। केरल, मध्य प्रदेश, बिहार और मैसूर के सम्बन्ध में रिपोर्टों का प्रारूप तैयार है और शीघ्र ही सम्बन्धित राज्यों से लिये हुए सदस्यों के साथ विचार विनिमय के बाद पूरी कर दी जायेंगी। आन्ध्र प्रदेश की रिपोर्ट अब तैयार हो रही है। समिति मद्रास और जम्मू व काश्मीर का शीघ्र ही दौरा करने वाली है। इन राज्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट लगभग दिसम्बर, १९६० के अन्त तक तैयार होने की आशा है। राज्य सरकार से मांगा गया विवरण (data) प्राप्त होने के बाद उड़ीसा के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

पंजाब में फसल का बीमा

†१००. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री बालकृष्णन् :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में पंजाब सरकार से फसल के बीमे की कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उसे स्वीकृति दे दी गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें योजना का ब्यौरा दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८।]**

(ग) योजना अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

आदर्श नगर आयोजन विधान

†१०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श नगर आयोजन विधान को अन्तिम रूप देने के संबंध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : ७ नवम्बर, १९६० को बंगलोर में नगर तथा देहात आयोजन के राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस विषय पर विचार किया गया था । तब यह निश्चय किया गया कि (१) पश्चिम बंगाल के स्थानीय स्वायत्त शासन तथा पंचायत के मंत्री श्री आर० डी० जालान (२) मैसूर के विधि, श्रम तथा स्थानीय स्वायत्त शासन के मंत्री श्री टी० सुबामान्य और (३) मद्रास राज्य के राजस्व मंत्री तथा नगर आयोजन के प्रभारी श्री एम० ए० मानेकावलू की एक समिति आदर्श नगर तथा देहात आयोजन अधिनियम की छान बीन करने तथा उसमें सुधार का सुझाव देने के लिये स्थापित की जाये ।

सहकारी समितियां

†१०२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस प्रश्न पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है कि प्राथमिक सहकारी संस्थाओं की अंश पूंजी में राज्यों का सहयोग प्रत्यक्ष रूप से हो अथवा शीर्ष और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से हो; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह निश्चय किया गया है कि प्राथमिक संस्थाओं में राज्यों का सहयोग सामान्य नियमानुसार अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात् शीर्ष और केन्द्रीय बैंकों के जरिये हो । यदि विशेष कारणों से राज्य सरकारें प्राथमिक संस्थाओं की अंश पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहें तो वे ऐसा कर सकती हैं किन्तु ऐसे मामलों में उन्हें प्राथमिक संस्थाओं के संचालक मंडल के लिये संचालकों की नामजदगी नहीं करनी चाहिए । यदि पूरी तरह से नामजदगी न करना संभाव्य अथवा उचित न जान पड़े, तो संचालको को नामजद करने का अधिकार केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सौंप देना चाहिए ।

बरौनी–समस्तीपुर बड़ी लाइन

†*१०३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन के निर्माण पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा तथा अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (१) लाइन पर अनुमानतः कुल १८३.७३ लाख रूपये व्यय होंगे ।

(२) अक्तूबर, १९६० के अन्त तक ३१.५१ लाख रुपये व्यय हुए ।

नालागढ़ समिति

†१०४. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :
श्री आचार :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री कालिका सिंह :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालागढ़ समिति के नाम से प्रसिद्ध कृषि प्रशासन समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने में आगे क्या प्रगति हुई है; और

(ख) किन-किन राज्यों ने अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). पंजाब सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और उन्हें भारत सरकार की स्वीकृति के बारे में बता दिया गया है। अन्य राज्यों से प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है। उनको बार-बार इसके बारे में लिखा जा रहा है कि वे अपनी योजनायें जल्दी तैयार कर लें।

बहुप्रयोजनीय खंड

†१०५. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में प्रयोजनीय खंडों के द्वारा प्रशिक्षण तथा उत्पादन का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी हां।

(ख) सुधरे हुये तरीकों से खेती करना सीखने के लिये सुविधायें प्रदान करके आदिम जाति के लोगों की आर्थिक दशा सुधारना, शिल्प तथा कला में अच्छे कारीगर उत्पन्न करना जिस से वे अच्छा और अधिक मात्रा में माल तैयार कर सकें तथा रहन सहन के स्तर को उठाना इस कार्यक्रम

---

†मूल अंग्रेजी में

का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां तक हो सके आदिम जाति के लोगों को उन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये जिनको वे स्वयं काम में लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे उन्हीं चीजों को बनायें जिनके लिये वहां कच्चा माल उपलब्ध हो सकता हो तथा जिनकी बाहर बिक्री हो सकती हो।

झाली हुई पटरियां

†१०६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पथ के लिये झाली हुई पटरियां कुछ लाभदायक सिद्ध हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या लाभ हुये हैं ; और

(ग) क्या उनसे कोई नुकसान भी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां, श्रीमान्। संक्षेप में रेलों के झालने से रेल के ज्वाइन्ट कम हो जाते हैं जो रेलवे पथ में सब से कमजोर हिस्से होते हैं तथा इन से उनको ठीक तरह से रखने की लागत कम आती है। इस से रेलगाड़ियों के चलने में सुविधा होती है और शोर कम होता है।

(ग) झाली हुई पटरियां जितनी लम्बी होंगी, उतनी ही उनको संभालने तथा लाने ले जाने में कठिनाई होती है, एक्सपेंशन ज्वाइन्टों की व्यवस्था करनी होती है तथा उनकी देखभाल करनी होती है, रेल की पुश्त की कमान के प्रभाव से बचाने के लिये सावधानी बरतनी होती है तथा रेल दबाब से टूट न जाये इसका ध्यान रखना होता है।

मनमद स्टेशन, मध्य रेलवे

†१०७. **श्री यादव नारायण जाधव :** क्या **रेलवे** मंत्री २० मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के मनमद स्टेशन के नीचे के प्लेटफार्म के विस्तार के कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है तथा यह काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ख) मनमद रेलवे यार्ड को फिर से नया रूप देने का काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जुलाई, १९६० में काम पूरा हो गया था।

(ख) धन की कमी तथा इगातपुरी-भुसावल विद्युतीकरण योजना के स्थगित होने के कारण मनमद में यार्ड को नया रूप देने की योजना इस समय स्थगित कर दी गई है।

केरल में रेलवे कर्मचारियों का बहाल किया जाना

†१०८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में मोअत्तिल किये गये अथवा सेवा-च्युत किये गये केरल के बहुत से कर्मचारियों को अभी बहाल करना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को बहाल करने में देरी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़

१०६. { **डा० राम सुभग सिंह** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म सूरतगढ़ के प्रबन्धक हाल ही में रूस गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने कृषि के रूसी तरीकों सम्बन्धी अपने अध्ययन के आधार पर भारत में खाद्य का उत्पादन बढ़ाने के कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन के मुख्य-मुख्य सुझाव क्या हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उन की रूस की यात्रा का ध्येय संगठनीय और अन्य विचारों से रूस के राजकीय फार्मों के कार्य का स्वयंदृष्ट ज्ञान प्राप्त करना था, जिस से वह ज्ञान सूरतगढ़ फार्म जोकि रूस की मशीनों से बनाया गया है, के कार्य को सुधारने के काम में लाया जा सके । यह यात्रा इस विचार से बहुत सफल हुई । रूसी यांत्रिक फार्मों के संगठनीय पहलुओं का विस्तृत ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही, इस के साथ विशेष रूप से कार्य की अवस्थायें और कर्मचारियों को किस प्रकार प्रेरणा दी जाती है, जिस से अनुकूलतम उत्पादन होता है, का भी ज्ञान हुआ । वे उन के फार्मों में विभिन्न प्रकार की मशीनों की कार्यप्रणाली को भी देख सके । सूरतगढ़ फार्म के लिये रूस से अतिरिक्त पुर्जे और सामान प्राप्त करने में अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों का हल निकालने में भी इस अवसर से लाभ उठाया गया । उन का निर्णय है कि रूस के फार्मों के संगठन और सूरतगढ़ फार्म के संगठन के आधार में कोई अन्तर नहीं है लेकिन उन का अवलोकन भविष्य में केन्द्रीय यांत्रिक फार्मों सम्बन्धी मामलों को सुलझाने में बहुत लाभदायक होगा ।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सिंचाई

†११०. **श्री सुबिमन घोष : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रविधिक सहकारिता शिष्टमंडल[1] की ओर से विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में पुरुलिया जिले (पश्चिम बंगाल) का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या उद्देश्य था ;

(ग) क्या दल ने वहां सिंचाई के सुधार के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Technical Cooperation Mission.

(घ) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

महिला डिब्बों में पुश बटन

†१११. **श्री सरजू पाण्डेय:** क्या रेलवे मंत्री २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व रेलवे पर महिला डिब्बों में पुश बटन न लगाने के क्या कारण हैं ;

(ख) किन-किन दूसरी रेलों में पुश-बटन लगा दिये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार का अन्य डिब्बों में पुश बटन लगाने का विचार है ; और

(घ) इस व्यवस्था से क्या लाभ हुए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). प्रयोगात्मक रूप में महिला डिब्बों में पुश बटनों की व्यवस्था करने के लिये मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व रेलों के लिये हिदायतें दे दी गई हैं । पूर्वोत्तर सीमान्त तथा दक्षिण रेलों पर इस समय इस सुविधा को देना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि वहां और स्थानों के मुकाबले में यात्रा करने में कोई खतरा नहीं है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिस से इस उपाय को काम में लाना आवश्यक समझा जाये । अभी से इस व्यवस्था के लाभ आंकना कठिन है ।

पानी की नांदें

†११२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या रेलवे मंत्री १७ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से ३० सितम्बर, १९६० तक पशुओं के लिये पानी की नांदों तथा रहने के स्थानों के निर्माण में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९५५ से ३० सितम्बर, १९६० तक प्रत्येक रेलवे के किन्ने-कितने स्टेशनों पर पशुओं के लिये पानी की नांदें व रहने के स्थान बनाये गये, इस का ब्यौरा इस प्रकार है :—

उत्तर रेलवे . .	१९
पूर्वोत्तर रेलवे . .	६४
मध्य रेलवे .	११
दक्षिण-पूर्व रेलवे	६
पश्चिम रेलवे .	२५
पूर्व रेलवे	७
दक्षिण रेलवे .	१८
पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	शून्य ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में भूमि

†११३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान बनाने के लिये इस वर्ष दिल्ली के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि छोड़ी गई ; और

(ख) कितने एकड़ भूमि अभी बेकार पड़ी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). संभवत: दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा १३ नवम्बर, १९५९ को अर्जन के लिये अधिसूचित ३४,०७० एकड़ भूमि के बारे में जानकारी मांगी गई है। यदि ऐसा है तो ४६६ एकड़ भूमि के क्षेत्रफल वाली १६ बस्तियां, जिन के नक्शे सक्षम स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर लिये गये हैं, अब तक मुक्त की गई हैं।

भाण्डागार

११४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष केन्द्रीय भाण्डागार निगम का देश में कितने भाण्डागार स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) उन के निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). चालू वर्ष में केन्द्रीय भाण्डगार निगम का २०,५१९ टन वाले १४ और भाण्डागार किराये के स्थान पर स्थापित करने का विचार है। यह ४४,०४१ टन क्षमता वाले २६ भाण्डागार जो पहले ही किराये के स्थान में स्थापित किये गये हैं के अतिरिक्त होंगे।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम का चालू वर्ष में १७ केन्द्रों पर ३४,६०० टन क्षमता वाले भाण्डागार रु० ७० लाख की अनुमानित लागत पर बनवाने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अनुसार ४ केन्द्रों पर ७,९०० टन क्षमता वाले भाण्डागारों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

विलम्ब शुल्क

†११५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष सरकार को अधिक से अधिक विलम्ब शुल्क मिलता जा रहा है ; और

(ख) १९५५, १९५६, १९५८ और १९५९ में एकत्र विलम्ब शुल्क की राशि क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे द्वारा लिये गये विलम्ब शुल्क के पृथक आंकड़े तैयार नहीं किये जाते हैं। भरण तट शुल्क तथा विलम्ब शुल्क दोनों के जो आंकड़े रखे गये हैं उन से यह पता चलता है कि उन में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। इस का आंशिक कारण यह है कि भारतीय रेलों पर यातायात बढ़ गया है और आंशिक कारण यह है लदान में अथवा माल डिब्बे देने में तथा माल छुड़ाने में बहुत देरी होती है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अन्दुल पुल उच्चमार्ग

†११६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पश्चिम बंगाल की सरकार से दक्षिण पूर्व रेलवे के अब्दुल पुल उच्च-मार्ग को चौड़ा करने के लिये कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् । हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन के अन्दुल स्टेशन के पास पुल संख्या १७ पर पगडंडी को चौड़ा करने के लिये एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी और राज्य सरकार को बताया गया था कि प्रविधिक बातों के अलावा, पगडंडी को चौड़ा करने से पुल के जरिये दोनों तरफ का यातायात प्रारम्भ हो जायेगा जोकि सुरक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से ठीक नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

†११७. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की दृष्टि में मासिक आधार पर तथा दैनिक आधार पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के स्थान पर जिन्हें आकस्मिक निधि से वेतन दिया जाता है तथा जिन्हें हर वर्ष नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में चतुर्थ श्रेणी के पदों की रचना करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) संस्था के बहुत से कर्मचारी, जिन्हें मासिक आधार पर वेतन दिया जाता था, नियमित बना दिये गये हैं और शेष व्यक्तियों को भी यथा शीघ्र नियमित रिक्त पदों पर लगा लिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे समय सारणी

†११८. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर, १९६० को शिमला सिटी संरक्षण कार्यालय में रेलवे समय सारणी उपलब्ध नहीं थी और यात्रियों को यह नहीं बताया जा सका कि रेलगाड़ियां कब-कब छूटेंगी; और

(ख) यदि हां, तो इन समय सारणियों के प्रकाशन तथा विभिन्न स्टेशन तथा रक्षण कार्यालयों को उन्हें भेजने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) समय सारणियों के प्रकाशन के कई दिन पूर्व उन्हें सामान्यत: विभिन्न स्टेशनों आदि को भेज दिया जाता है । क्योंकि उत्तर रेलवे की समय सारणियां गैर-सरकारी प्रेस में छपती हैं और वह प्रेस दशहरे की छुट्टी रखता है तथा क्योंकि दशहरे की छुट्टी समय सारणी के प्रकाशन की तारीख से पहले आ गई, अत: कुछ स्थानों पर समय सारणियां भेजने में देरी हो गई । अत: शिमला के स्टेशन मास्टर को समय सारणियों की प्रतियां १–१०–६० की शाम को मिलीं । सिटी रक्षण कार्यालय, शिमला के लिये समय सारणियों की प्रतियां शिमला के स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी जाती हैं । क्योंकि अगले दिन अर्थात् २–१०–६० को रविवार था और वह महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, स्टेशन मास्टर का कार्यालय बन्द था । अत: सिटी रक्षण कार्यालय को समय सारणी की प्रतियां ३–१०–६० को भेजी गईं । तथापि स्टेशन मास्टर, शिमला के कार्यालय से सिटी रक्षण कार्यालय को देर से समय सारणियों के भेजने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

बालासोर में पीने का पानी

†**११६. श्री महन्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ सितम्बर, १६६० को ३१८ डाउन पुरी सवारी गाड़ी से यात्रा करने वाले लगभग ४०० यात्रियों को, जो दक्षिण पूर्व रेलवे के बालासोर स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आने जाने में गड़बड़ी पैदा हो जाने से रह गये थे, स्टेशन के अहाते के पानी के नलों से पीने का पानी नहीं मिला; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्टेशन में पीने का पानी क्यों नहीं मिला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). सम्भवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य ३०२ डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस से है, ३१८ डाउन पुरी-हावड़ा सवारी गाड़ी से नहीं । २६ सितम्बर, १६६० की सुबह से ३०२ डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस बालासोर में रुकी पड़ी थी क्योंकि बाढ़ का पानी रूपसा और बास्ता के बीच के पुल के नीचे खतरे के निशान से ऊपर आ गया था और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती थी । रेलगाड़ी में लगभग ४०० यात्री थे और पीने के पानी की किसी समय कमी नहीं हुई । २७ सितम्बर की सुबह को अगले दिन ३०२ डाउन एक्सप्रेस ट्रेन वहां से छूटी । प्लेटफार्म पर पानी देने का काम सामान्यत: केवल रेलगाड़ियों के आने के समय ही किया जाता है । इस दिन विशेष परिस्थितियों के कारण २६ सितम्बर के ६ म० पू० से बराबर पानी देने का प्रबन्ध किया गया । जितना पानी जमा था वह इतने यात्रियों को बराबर दिये जाते रहने के कारण पूरा नहीं पड़ सका और १६.०० बजे नलों में पानी आना कम हो गया । कुछ समय के लिये पानी जाने के मुख्य वाल्व बन्द करने पड़े ताकि ऊपर की टंकी में पानी भर सके । वाल्वों के बन्द रहने के दौरान में भी, स्टेशन पर जमा पानी से यात्रियों को पानी दिया जाता रहा ।

सिंदी स्टेशन पर दुर्घटना

†**१२०. डा० मा० श्री० अणे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मुख्य रेलवे के सिंदी रेलवे स्टेशन पर एक गम्भीर दुर्घटना हो गई जिसके परिणामस्वरूप हाकी के अन्तर-विश्वविद्यालय मैच में भाग लेने के लिये नागपुर जाते हुए गुजरात विद्यापीठ की हाकी टीम के खिलाड़ी जोजेफ फरनेंडीज़ की मृत्यु हो गई;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस खिलाड़ी का सर नागपुर की ओर जाते हुए जब गाड़ी स्टेशन पार कर रही थी उस समय सिगनल के खम्भे से टकरा गया ;

(ग) जिस रेल की पटरी पर गाड़ी चल रही थी उससे सिगनल का खम्भा कितनी दूर था;

(घ) क्या यह सच है कि इसी सिगनल के खम्भे से टकराने की दो और घटनायें पहले भी हो चुकी हैं;

(ङ) क्या रेलवे अधिकारियों ने इस दुर्घटना की कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हुए;

(छ) क्या सरकार का विचार इस सिगनल के खम्भे को उसके वर्तमान स्थान से हटा कर कुछ अधिक दूर पर लगाने का है; और

(ज) क्या मृत खिलाड़ी के परिवार के सदस्यों को कुछ प्रतिकर दिया गया है; और यदि हां, तो कितना ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). २६ सितम्बर, १९६० को लगभग १०—०८ बजे जब बम्बई-कलकत्ता मेल डाउन १ मध्य रेलवे के सिंदी स्टेशन में से गुजर रही थी उस समय डिब्बे से बाहर झांकने वाले एक यात्री श्री जोजेफ फरनेंडीज स्टेशन के डाउन स्टार्टर सिगनल के खम्भे से टकरा गए। वह गाड़ी से गिर गए और चोटों के परिणामस्वरूप बाद में मर गए।

(ग) सिगनल का खम्भा रेलगाड़ियों की चलने की निर्धारित दूरी पर ही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

(च) मृतक स्वयं अपनी गलती से मरा था।

(छ) जी नहीं।

(ज) इस मामले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

रेलवे बुक स्टालों पर पुस्तकें

†१२१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष बोस द्वारा लिखित (१) 'इण्डियन स्ट्रगल' (२) 'इंडियन पिलिग्रम' पुस्तकें तथा आई० एन० ए० के कार्यों के इतिहास की कोई पुस्तक रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त बुक स्टालों पर भारत में कहीं रखी जाती हैं; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). 'इण्डियन स्ट्रगल', 'इंडियन पिलिग्रम' नामक पुस्तकें तथा आई० एन० ए० के कार्यों के इतिहास की कोई पुस्तक रेलवे बुक स्टालों पर अब नहीं बिक रही है क्योंकि यात्री आम तौर पर इस प्रकार की किताबें अब नहीं खरीदते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में नई रेलवे लाइन

†१२२ { श्री कोडियान :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य में नई रेलवे लाइनें बनाने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन लाइनों का प्रस्ताव किया है ;

(ग) क्या इनमें से किसी लाइन को बनाने का काम तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सम्बद्ध है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ग) और (घ). राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को तृतीय योजना के प्रारूप की रूप-रेखा में शामिल करना सम्भव नहीं है ।

गन्ने के मूल्य

†१२३. { श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश के लिये मूल्य श्रंखलाँकन सूत्र[1] के अनुसार गन्ने के १९५८–५९ के मूल्यों के भुगतान के लेखे बना लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के लिये राज्यवार अथवा कारखानेवार क्या मूल्य निर्धारित किये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) दिनांक ३ अक्तूबर, १९६० के सरकारी संकल्प संख्या ६३ (६)-TR/६० के अधीन मूल्य श्रखलांकन सूत्र प्रशुल्क आयोग को जांच के लिये सौंप दिया गया है । आयोग का प्रतिवेदन मिलने के बाद अतिरिक्त मूल्य निर्धारित होंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Price Linking Formula.

नागार्जुन सागर परियोजना

†१२४. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर परियोजना के द्वारा कृष्णा की गोदी से बाहर तथा अन्दर के सिंचाई वाले क्षेत्र, सिंचाई के लिये पानी की मात्रा तथा उसके अन्य ब्योरे राज्य सरकार ने भेज दिये हैं ;

(ख) यदि हां तो वह क्या हैं ; और

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि राज्य के विशेष मुख्य इंजीनियर आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं ?

बम्बई के निकट रेल व सड़क का पुल

†१२५. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से बम्बई के निकट थाना "क्रीक" के ऊपर रेल व सड़क का पुल बनाने की संभावनाओं के बारे में सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) उसके ब्योरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). हाल में ही राज्य सरकार ने बताया है कि उन्होंने सड़क के पुल के निर्माण पर अलग से विचार करने का निर्णय कर लिया है ।

मिरज–कोल्हापुर लाइन

†१२६. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दक्षिण रेलवे के डिवीज़नल सुपरिन्टेन्डेन्ट से इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि मिरज-कोल्हापुर लाइन यात्रा के लिये खतरनाक है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस लाइन को बदलने के लिये सरकार ने कोई तत्काल उपाय किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आंध्र प्रदेश को ज्वार का संभरण

†१२७. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के सूखा वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिये केन्द्र से ज्वार के संभरण के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) क्या इसके संभरण के लिये कोई व्यवस्था की गई है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग). जी, हाँ। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सूखा वाले क्षेत्रों में वितरण के लिये ज्वार देने की प्रार्थना की है और अमरीका से ज्वार आयात करने की व्यवस्था की गयी है। इसके दिसम्बर में आनी शुरू होने की आशा है और आने पर आंध्र प्रदेश सरकार को उसका संभरण कर दिया जायेगा।

कैन्सर

†१२८. **श्री प्र० के० देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोक्यो में अन्तर्राष्ट्रीय कैन्सर सम्मेलन ने एक प्रकार का साहित्य बांटा है जिसमें खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में कैन्सर करने वाली रसायनों के प्रयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है;

(ख) वे रसायन क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में उन रसायनों के प्रयोग को रोकने के लिये कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और **सभा-**पटल पर रख दी जायेगी।

जंघाई स्टेशन

१२९. **श्री राम शरण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर रेलवे के जंघाई स्टेशन पर अभी तक बिजली नहीं लगी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्टेशन पर लगभग ३ वर्ष पहले आवश्यकतानुसार बिजली लगाई गई थी और कुछ समय बाद पिछली फिटिंग के बेकार हो जाने के कारण दुबारा बिजली लगानी पड़ी ;

(ग) जंघाई स्टेशन पर कब बिजली लगाई जायेगी ; और

(घ) पिछली फिटिंग के बेकार हो जाने के फलस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) जी, हां।

(ख) बिजली के तार तीन साल पहले लगाये गये थे। वे बेकार नहीं हुये हैं। फिटिंग के जो सामान चुराये जा सकते थे, वे नहीं लगाये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर प्रदेश के हाइडल अधिकारियों से पावर मिलते ही स्टेशन पर बिजली लगाई जायेगी ।

(घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुये सवाल नहीं उठता ।

रेलवे इंजनों का आयात

†१३०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में किन्हीं रेलवे इंजिनों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और किन देशों से आयात किया गया है; और

(ग) उन रेलवे इंजिनों का क्या मूल्य है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) १८४—पोलैंण्ड, आस्ट्रिया, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, यूगोस्लाविया, पश्चिमी जर्मनी, और पश्चिमी योरोपीय देशों अर्थात फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैण्ड और पश्चिमी जर्मनी की कई फर्मों से ।

(ग) १४·१२ करोड़ रुपये (नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क)

स्पीति घाटी में डाक तथा तार सुविधाएं

†१३१. **श्री दलजीत सिंह** :
श्री हेम राज :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वायरलेस पद्धति के अधीन स्पीति घाटी में काजा और लारा में तार सुविधाओं की व्यवस्था करने और काज़ा में एक उप-डाक-घर खोलने के बारे में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) केवल काज़ा में एक वायरलेस स्टेशन खोलने के लिये पंजाब सरकार ने किराया और प्रत्याभूति की शर्तें मान ली हैं । वायरलेस स्टेशन के लिये उचित स्थान देने के लिये उन को पत्र लिखा गया है ।

काज़ा के विभागातिरिक्त शाखा कार्यालय को पंजाब सरकार द्वारा प्रत्याभूत एक उप-डाक-घर में बदलने के लिये आदेश जारी किये गये हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज

†१३२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में राकफ़ेलर फ़ाउन्डेशन ने आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कालेजों को (पृथक पृथक) कितना अनुदान दिया है ; और

(ख) यह अनुदान किन परियोजनाओं के लिये दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) वर्ष १९५९-६० में राकफ़ेलर फाउन्डेशन ने आन्ध्र मेडिकल कालेज विशाखापटनम को १०,००० डालर का अनुदान दिया है ।

(ख) डा० पी० ब्रह्मय्या शास्त्री के निर्देश में शरीर विज्ञान विभाग में शरीर विज्ञान में अनुसंधान के लिये ।

नियमित बाजार

†१३३. **कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में विभिन्न कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों के अधीन कितने नियमित बाजार चल रहे हैं ; और

(ख) कितने राज्यों में ऐसे नियमित बाजार नहीं हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ७०१ बाजार ।

(ख) ९ राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र ।

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†१३४. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बाढ़ नियंत्रण की विभिन्न प्रावस्थाओं के लिये केन्द्र को उड़ीसा सरकार से जो परियोजनायें प्राप्त हुई हैं, उन की सूची क्या है और प्रत्येक की कितनी लागत है ;

(ख) अब तक केन्द्र ने कौन सी परियोजनायें मंजूर की हैं ; और

(ग) परियोजनाओं के सम्पादन के लिये केन्द्र ने राज्य को वित्तीय और प्रविधिक—दोनों रूप से क्या सहायता दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक उड़ीसा सरकार से प्राप्त बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की एक सूची संलग्न है जिस में प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत भी दी गई है ।**[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूची में सम्मिलित कुल २२६ योजनाओं में से केवल ५ के बारे में ब्यौरा दिया गया है । बाकी योजनाओं के बारे में राज्य सरकार से उन की प्राथमिकता के अनुसार ब्यौरा देने को कहा गया है ताकि केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिये उपलब्ध राशि को देखते हुए उन पर विचार कर सके ।

(ग) **वित्तीय सहायता** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में उड़ीसा सरकार को मंजूरशुदा बाढ़ नियंत्रण कार्यों के सम्पादन के लिये निम्न प्रकार केन्द्र ऋण की सहायता मंजूर की गई है :

१९५६–५७	६५ लाख रुपये
१९५७–५८	४५ लाख रुपये
१९५८–५९	३० लाख रुपये
१९५९–६०	३० लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६०-६१ में मंजूरशुदा बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सम्पादन के लिये उड़ीसा सरकार को ऋण सहायता देने के लिये वर्ष १९६०-६१ के आयव्ययक में २९.९० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

प्राविधिक सहायता : दस लाख रुपये या इस से अधिक की लागत वाली राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा मंजूर की गई सब योजनाओं की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा परिनिरीक्षा की जाती है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का एक प्रतिनिधि वर्ष १९५९ में उड़ीसा सरकार द्वारा स्थापित की गई राज्य प्रविधिक परामर्शदाता समिति और बाढ़ जांच समिति का सदस्य है । इस के अतिरिक्त, जब भी राज्य सरकार स्थान की जां च समेत, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के प्रविधिक अधिकारियों की सहायता मांगती है, तो उस की यथासंभव शीघ्र व्यवस्था की जाती है ।

उड़ीसा में डाक तथा तार भवन

†१३५. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल में डाकघर की इमारतों के लिये वर्ष १९६०-६१ में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) उपरोक्त आवंटन में से जिन डाकघरों की अपनी इमारत होगी, उन के क्या नाम हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १,७४,००० रुपये (यदि आवश्यक हुआ तो सर्किल को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त धनराशि दी जायेगी ।)

(ख) (१) वर्ष १९६०-६१ में पूरी की जाने की आशा वाली नई डाक घर इमारतें :

१. चायबासा
२. धर्मशाला
३. जाजपुर
४. पत्तामुन्दै

(२) मंजूर किये गये और निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने वाले प्रस्ताव :

१. बसता डाक घर
२. बिन्झरपुर डाकघर
३. जलेश्वर डाकघर
४. जेपुर डाकघर
५. फूलबाणी डाकघर
६. रायागदा डाकघर
७. सोरो डाकघर

गहूं का उत्पादन

१३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक शास्त्रवेत्ता श्री एन० टी० सिनसिन और उन के सहयोगियों ने साधारण गेहूं के साथ "कौच" घास की कलम लगा कर गेहूं की एक नई, लाभदायक और प्रतिरोधक किस्म निकाली है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या भारत का इस किस्म के गेहूं से फायदा उठाने का विचार है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां । शास्त्रवेत्ता एन० वी० टसिटसिन (न कि सिनसिन) और उन के साथियों ने गेहूं और "कौच" घास की किस्मों की कलमों से नई किस्मों को विकसित किया है ।

(ख) जी हां । इसी प्रकार के प्रयोग भारत में पिछले बहुत से वर्षों से किये जा रहे हैं लेकिन अभाग्यवश कौच घास की कोई भी किस्म जिन की भारत में परीक्षा की गई, गेरुवा जैसे मुख्य रोगों के प्रतिरोधक नहीं पाई गई ।

मद्रास राज्य में क्षय रोग रुजालय

†१३७. **श्री तंगामणि** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में पेरुनदुरै में क्षय रोग रुजालय के विस्तार के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार करने में सहायता देने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इस समय कितने बिस्तरों की क्षमता है ;

(घ) इस वर्ष कितने और नये बिस्तर लगाये जायेंगे ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि पेरुनदुरै की जलवायु से रोग शीघ्र ठीक हो जाता है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) रुजालय में निर्धन रोगियों के लिये एक विश्राम-गृह बनाने के लिये २५,००० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है ।

(ग) से (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक ऐच्छिक संस्था है ।

डाक घर बचत बैंक खाते

†१३८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९५९-६० के अन्त में डाक घर बचत बैंक खातों में कुल कितनी रकम जमा थी और ये आंकड़े वर्ष १९५५-५६ और १९५०-५१ के आंकड़ों से कितने प्रतिशत अधिक हैं ;

(ख) क्या बचत बैंक खातों में डाक घर चैक पद्धति को समाप्त किया जा रहा है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में यह शिकायत अभी भी जारी है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में बचत की छोटी रकमें निकाल ली जाती हैं और फिर दुबारा उन को जमा कराया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किन राज्यों में है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ३,८६,७४,८७,७१७ रुपये । वर्ष १९५९-६० के आंकड़ों से वर्ष १९५५-५६ और १९५०-५१ के आंकड़ों से क्रमशः ३२ प्रतिशत और १०९ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है ।

(ख) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वक्फ अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं वक्फ अधिनियम, १९५४ की धारा ६६–क की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३२ में प्रकाशित पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६०;

(दो) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७५ में प्रकाशित त्रावन्कोर-कोचीन वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६० ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी—२४११ / ६०]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वार्षिक प्रतिवेदन

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : मैं डा० पंजाबराव देशमुख की ओर से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२४१२/६०)**

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९६० के अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२७/६० की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२३३८/६०]

†**श्री राज बहादुर** : मैं मोटर गाड़ी, अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०४७ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (राजनयिक तथा वाणिज्य दूत पदाधिकारियों की गाड़ियां) पंजीयन नियम, १९६० ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

(ख) हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ सितम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश प्रशासन गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच (टी) १४---४४७ ५९ ;

(ग) दिनांक १० मई, १९६० के अन्दमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ९०/६० जिस में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, १९६० दिये हुये हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल टी---२४१३, २४१४, २४१५/६०)

कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं, श्री सु० कु० डे० की ओर से कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी---२४१६ / ६०]

राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं, श्री सु० कु० डे० की ओर से कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी---२४१७/६०]

भारतीय बिजली नियमों में संशोधन

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : मैं भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२२ में प्रकाशित भारतीय बिजली नियम, १९५६ में कुछ संशोधनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी---२४१८ / ६०]

कार्य मंत्रणा समिति

छप्पनवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा)** : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का छप्पनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १४ नवम्बर, १९६० को डा० बे० गोपाल रेड्डी द्वारा प्रस्तुत निम्ननलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

> "कि कतिपय समवायों के पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को विनियमित करने वाले विधेयक, को श्री नौशीर भरूचा, श्री मूल चन्द दुबे, श्री अरविन्द घोषाल, श्री बिमल घोष, श्री मूल चन्द जैन, श्री प्रभातकार, श्री मी० रु० मसानी, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री नथवानी, श्री रामकृष्णन्, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री सोमानी, श्री राम सिंह भाई वर्मा और श्री मोरारजी देसाई की प्रवर समिति को ५ दिसम्बर, १९६० तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये ।"

†**श्री मुरारका** (झूंझनू) : अध्यक्ष महोदय, फरवरी १९५९ में वित्त मंत्री द्वारा समवाय कराधान की नई योजना लागू करने के कारण अंशधारियों तथा पूर्वाधिकार अंश-धारियों को जो हानि हुई थी उसको पूरा करने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

१९५९ में वित्त मंत्री ने समवाय कराधान की योजना को सरल किया था और इसीलिए वर्तमान कठिनाइयां उत्पन्न हुईं तथा उसके फलस्वरूप लाभांश के कुल योग (ग्रोसिंग) का सिद्धान्त भी समाप्त कर दिया गया था । इस सिद्धांत की समाप्ति के कारण बहुत से अंशधारियों और विशेषरूप से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की आय की मद में काफी नुकसान उठाना पड़ा। योजना लागू करते समय वित्त मंत्री ने बताया था कि वह धनकर समाप्त कर रहे हैं और समवायों पर से आयकर कम कर रहे हैं और इस प्रकार समवायों को ११ प्रतिशत तक की बचत हो जायेगी। वित्त मंत्री का विचार था कि यह बचत अंशधारियों को दे दी जायेगी और उनको कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार को इस से कोई अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा। परन्तु व्यवहार में आने पर इस से माननीय मंत्री की इन आशाओं पर तुषारापात हो गया और इसीलिए अब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा भी पूर्वाधि-कार अंशधारियों को उतनी सहायता नहीं मिलती जितनी कि उनकी हानि हो चुकी है। मैं आपको आंकड़े दे कर यह बता सकता हूं। यदि सरकार को इस से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं हुआ और न पूर्वाधिकार अंशधारियों को ही कोई लाभ पहुंचा है तो यह संपूर्ण राशि समवायों के पास ही रह जायेगी और पूर्वाधिकार अंशधारियों को, इसके कारण बहुत हानि उठानी पड़ी है। अतः यह धन कहां जाता है इसके बारे में सरकार को अच्छी तरह जांच करनी चाहिये।

समवाय इन अंशधारियों से एक निश्चित धनराशि लेती है और इनको निश्चित लाभांश देने का वायदा करती है। यदि इन दोनों में से कोई भी इस वायदे के विपरीत काम करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि वह ही उसका फैसला करे। परन्तु सरकार ने इस विधेयक के द्वारा असन्तुष्ट वर्ग की कुछ सहायता करने का प्रयत्न किया है लेकिन वह काफी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

वित्त मंत्री ने बताया कि कराधान की इस योजना के अधीन समवायों द्वारा दिये जाने वाले कुल करों में ११.५ प्रतिशत की राहत मिल जायेगी । अर्थात ५६.५ प्रतिशत से कर कम होकर ४५ प्रतिशत रह जायेगा। परन्तु हमें इसकी भी तो जांच करनी चाहिए कि यह ११.५ प्रतिशत लाभ कहां गया क्योंकि यह लाभ पूर्वाधिकार अंशधारियों को तो मिला नहीं और इसीलिए सरकार को इन अंशधारियों के हितों का ध्यान रखने के लिए कोई क़दम उठाना चाहिए। समवाय कराधान की नई योजना लागू होने से पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को ७ रुपये नकद तथा कुल योग की आय के ३.२२ रुपये मिलते थे अर्थात् कुल १०.२२ रुपये मिल जाते थे। परन्तु उसको अब ३.२२ रुपये न मिलने के कारण लगभग ३२ प्रतिशत की हानि होने लगी। अब इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद उसको कुल ८.७५ रुपये मिलने लगेंगे । परन्तु फिर भी उसको पूरे १०.२२ रुपये नहीं मिल पायेंगे और वह नुकसान में ही रहेगा ।

अब आप कर लगाने योग्य पूर्वाधिकार अंशों को लीजिए। अंशधारी को 'कुल योग प्रणाली' के अधीन ७ रुपये मिलते थे परन्तु 'कुल योग प्रणाली' के समाप्त हो जाने से पहले उसको ५.६० रुपये मिलने लगे और अब इस विधेयक के बाद ६.०० रुपये मिलेंगे अर्थात् १ रुपये का फिर भी नुकसान रहेगा।

इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि पूर्वाधिकार अंशधारी को इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी १४ प्रतिशत धन कम मिलेगा।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि जो समवाय इस से अधिक धन देना चाहे तो वह समवाय अधिनियम की धारा १०६ के अधीन अपने अनुच्छेदों में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि समवाय अधिनियम के अधीन पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है और साधारण अंशधारी क्यों चाहेंगे कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को अधिक धन दिया जाये । इस प्रकार यह उपबन्ध व्यर्थ हो जाता है। इसलिये सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और समवाय अधिनियम की धारा १०६ में परिवर्तन करने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

पूर्वाधिकार अंशधारियों से जब मतदान के अधिकार वापस लिए गए थे उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी आय के बारे में पूर्णतः निश्चितता है तथा यदि समवाय का दिवाला निकल गया तो बांटी जाने वाली आस्तियों में उनका पहिला हक होगा इसलिए इनको मतदान के अधिकार नहीं दिए जाने चाहियें। यह बताने से मेरा यह मतलब नहीं है कि इनको मतदान के अधिकार दिए जायें। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि इनको किसी भी प्रकार से हानि न हो।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

विधेयक के खण्ड ७ में दिया है कि सरकार इस अधिनियम के अधीन नियम बनायेगी। मैं समझता हूं कि नियम बनाने के अधिकारों की व्यवस्था एक दम बेकार है । मैं भी प्रवर समिति का सदस्य हूं और इन बातों को मैं वहां फिर उठाऊंगा और आशा करता हूं कि मेरी बातों पर वहां पर पूरा विचार होगा और वह मान ली जावेंगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व-खानदेश) : सभा को यद होगा कि १९५९ के वित्त अधिनियम से पहले आयकर अधिनियम में एक धारा ४९ (ख) थी जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि समवाय के लाभांश मिलने पर उनको आयकर के लिए आय में गणना की जाती थी। मान लीजिए मुझे १,००० रुपये लाभांश मिलता है तो आयकर की गणना के लिए मैं अपनी आय १,३०० रुपये दिखाऊंगा। इस प्रक्रिया को 'कुल योग प्रणाली' कहा जाता था। १९५९ के अधिनियम के द्वारा इस 'कुल योग प्रणाली' को समाप्त किया गया है और तभी से यह गड़बड़ी सामने आई है।

सरकार ने 'कुल योग प्रणाली' की समाप्ति के यह कारण बताए हैं। एक तो यह कि समवाय के लाभ का पता लगाने में कठिनाई होती थी। दूसरे कितना लाभ रक्षित धन में मिलाया गया इस लाभ का पता लगाने में भी कठिनाई होती थी और इस प्रकार कर लगाये जाने की ठीक राशि की जानकारी नहीं हो पाती थी। इसीलिए 'कुल योग प्रणाली' को समाप्त करने के लिए आय कर अधिनियम की धारा ४९ ख, धारा ४९ग तथा धारा १६ (२) को इस अधिनियम से निकाल दिया गया है। और धारा १८ में संशोधन कर दिया गया।

अब मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 'कुल योग प्रणाली' को हटाने से पहले भारतीय समवायों को ३० प्रतिशत आयकर, १.५ प्रतिशत अधिभार, २० प्रतिशत अधिकर देना पड़ता था। धनकर तथा अतिरिक्त लाभांश कर भी देना पड़ता था जो सब मिलाकर ५६ प्रतिशत हो जाता था। परन्तु 'कुल योग प्रणाली' को समाप्त कर देने पर समवायों के सम्पत्ति कर तथा आयक मिला दिये गये और उन्हें कुल ४५ प्रतिशत ही देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार समवायों को ११ प्रतिशत का लाभ हो गया। दूसरे शब्दों में इस ११ प्रतिशत से समवाय पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दे सकते थे।

परन्तु हुआ यह कि 'कुल योग प्रणाली' समाप्त होने पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो उन्हें पहले १०.२२ रुपये मिलते थे उसमें ३.२२ रुपये कम मिलने लगे। अब प्रश्न यही उठता है कि इस हानि को कौन पूरा करे। और यही समझते हुए हरकार ने पूर्वाधिकार अंशधारियों के सहायतार्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया है कि उसे कुछ अधिक धन मिल जाये।

जब 'कुल योग प्रणाली' समाप्त की गई थी उस समय सबसे अधिक कठिनाई स्टाफ एक्सचेंज में आई थी क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों के भाव एक दम गिर गए थे। सरकार को इस हानि का पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि अधिकांशत : पूर्वाधिकार अंशधारी संस्थायें हैं।

श्री मुरारका ने कहा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान का अधिकार न होने के कारण समवाय अपने अनुच्छेदों में पूर्व अंशधारियों को धन देने की व्यवस्था नहीं करा सकती है। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है और मैं इसके बारे में प्रवर समिति में बताऊंगा।

सरकार के सामने अब यह प्रश्न है कि क्या समवायों और अंशधारियों के आपसी सम्बन्धों को ठीक करने के लिये सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये और इसी प्रकार साधारण अंशधारियों के मामलों में भी हस्तक्षेप क्यों न किया जाये। मैंने दोनों प्रश्न सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं।

मैं एक बात यह बताना चाहता हूंकि 'कुल योग प्रणाली' की समाप्ति के कारण बिजली समवायों के अंशधारियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। १९४८ के बिजली

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

संभरण अधिनियम के अधीन बिजली समवाय रिजर्व बैंक की दरों से २ प्रतिशत अधिक लाभ ही ले सकती है। इस प्रकार बिजली समवाय अपने लाभ निश्चित राशि से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं इसके बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि प्रवर समिति में अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता हूं।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : इस विधेयक पर प्रवर समिति के केवल दो सदस्यों ने भाषण दिए हैं जो मेरे विचार से सभा की परम्परा के विरुद्ध हैं। एक माननीय सदस्य ने विधेयक में सन्निहित समस्त विषयों पर प्रकाश डाला है परन्तु अपना निजी मत व्यक्त नहीं किया है। दूसरे माननीय सदस्य ने एक प्रकार से विधेयक के सिद्धान्त की आलोचना की है परन्तु कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि समस्त प्रतिकर का भुगतान प्रबन्धकों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा उसे बढ़ाया जाना चाहिए वरन् केवल विधेयक के उपबन्धों की आलोचना करने का प्रयत्न किया है।

चूंकि विधिक परिकल्पना दूर करने का सिद्धान्त मार्च, १९५९ में स्वीकार किया जा चुका है इसलिए यह विधेयक एक प्रकार से पहले किए जा चुके कार्य का सहगामी मात्र है। आज जो आलोचनायें की गई हैं उन में से कुछ सर्वथा सार रहित हैं क्योंकि हम केवल उसका अनुसरण कर रहे हैं जो हम मार्च १९५९ में स्वीकार कर चुके हैं। यदि विधिक परिकल्पना को कायम रखना था तो वह मार्च, १९५९ में किया जाना चाहिये था जब वित्त विधेयक पर विचार किया गया था। उस समय उसको हटा देने का निर्णय कर लेने पर अब इस विधेयक की आलोचना करना सर्वथा व्यर्थ है।

मैं नहीं जानता कि वह सामान्याय अंशधारियों और पूर्वाधिकार अंशधारियों के बीच में है अथवा पूर्वाधिकार अंशधारियों और सरकार के बीच अथवा पूर्वाधिकार अंशधारियों और समवायों के बीच। इन सब बातों पर श्री भरूचा ने भली प्रकार प्रकाश डाला है यद्यपि उन्होंने इन प्रश्नों पर कोई मत नहीं व्यक्त किया है।

श्री मुरारका की आलोचना का आधार यह धारणा है कि ग्रासिंग प्रणाली बिना किसी परिवर्तन के जारी रहेगी और उसकी दर ३१.५ प्रतिशत ही बनी रहेगी। सरकार ने किसी भी व्यक्ति अथवा समवाय अथवा पूर्वाधिकार अंशधारी को ऐसा आश्वासन नहीं दिया थां कि आयकर अधिनियम की धारा ४९ के अन्तर्गत ग्रासिंग प्रणाली हमेशा कायम रखी जाएगी। दूसरे यदि वह कायम रखी भी जाय तब भी ३१.५ प्रतिशत में तो हेर फेर हो ही सकता है। वह कम या ज्यादा होता रहा है और सरकार ने ऐसी गारण्टी कभी नहीं दी है कि यह ३१.५ प्रतिशत हमेशा बना रहेगा। इसलिए ये दोनों धारणायें गलत हैं। सरकार ने कभी ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि ग्रासिंग प्रणाली हमेशा कायम रखी जाएगी और उसकी दर ३१.५ प्रतिशत रहेगी।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री ने मेरी बात को ठीक नहीं समझा है। मैं यह बता रहा था कि साधारण पूर्वाधिकार अंशधारी को वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत क्या मिल रहा है और नए विधेयक के अन्तर्गत क्या मिलेगा। मैंने यह कहा था कि ३१.५ प्रतिशत कराधान की दर से उसे ३.२३ प्रतिशत की हानि होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इसका उत्तर अशंत : श्री भरूचा द्वारा दिया जा चुका है। उन्होंने समवाय के दृष्टिकोण से यह प्रश्न उठाया है। हमने ७ प्रतिशत या १० प्रतिशत की गारण्टी की थी और उतना हम दे भी रहे हैं। शेष के बारे में समवाय से कहा जाना चाहिए। श्री भरूचा स्वयं इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर चुके हैं।

†**श्री मुरारका** : उस समय समवाय ७ प्रतिशत दे रहा था और साथ ही ३.२३ प्रतिशत मेरे नाम में भी जमा होता रहा।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : जसा मैंने बताया ग्रासिंग प्रणाली समवाय प्रशासन अथवा लाभांशों के वितरण की स्थायी वस्तु नहीं है। फिर यह ३१.५ प्रतिशत ऐसा नहीं है जो बदला न जा सके। इसलिये अब यह सरकार और पूर्वाधिकार अंशधारी के बीच का मामला नहीं है। यह मुख्यतः पूर्वाधिकार अंशधारी और समन्याय अंशधारी के बीच का मामला है।

†**श्री विमल घोष** : क्या यह इस बात का नोटिस है कि ४५ प्रतिशत अब बढ़ा दिया जायगा ?

†**डा०बे०गोपाल रेड्डी** : यह गारण्टी कब दी गई थी कि यह ४५ प्रतिशत सदा ४५ प्रतिशत ही बना रहेगा ? वह किसी भी दिन कम करके ४० प्रतिशत अथवा बढ़ाकर ५० प्रतिशत किया जा सकता है। यह वित्त विधेयक का विषय है और उसकी घोषणा वित्त मंत्री २८ फरवरी को करेंगे। उसके संबंध में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूं। अभी कुछ समय तक यह ४५ प्रतिशत ही कायम रहेगा परन्तु उसे तीसरी योजना की आवश्यकताओं के अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।

यह मामला मुख्यत: समन्याय अंशधारियों और पूर्वाधिकार अंशधारियों के बीच का है और किसी हद तक हम आशा करते थे कि वे आपस में ही उसका निर्णय कर लेंगे। हम कई महीनों तक प्रतीक्षा करते रहे क्योंकि हमारा विचार था कि समवाय स्वयं उसकी आवश्यकता समझेगा और किसी हद तक पूर्वाधिकार अंशधारियों की क्षतिपूर्ति करेगा। परन्तु समवाय अधिनियम की धारा १०६ के उपबन्धों तथा वैसी अन्य चीजों के कारण अनेक समवाय इच्छा होने पर भी वैसा नहीं कर सके। इस मामले पर सभा तथा प्रवर समिति ने भी विचार किया था और हमने यह निर्णय किया है कि जब समवाय अधिनियम में संशोधन किया जायेगा तब हम थोड़ा पुनरीक्षण करेंगे। परन्तु वह एक भिन्न मामला है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

इतने दिनों तक हम प्रतीक्षा करते रहे परन्तु वे वैसा नहीं कर सके अथवा करना नहीं चाहते थे। हमने किसी हद तक उनकी सहायता की है क्योंकि हमने यह प्रतिशत २५ रखा है और साथ ही यह उपबन्ध भी है कि यदि वे चाहें तो उसे बढ़ा भी सकेंगे।

यद्यपि यह एक कठिन चीज है क्योंकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को वोट देने का अधिकार नहीं है परन्तु फिर भी समन्याय अंशधारी एसी ज्यादती नहीं करेंगे। यदि समवाय को पर्याप्त लाभ होगा तो वह पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी उसमें से कुछ देगा एसी हमें आशा है। यहां २५ प्रतिशत का उपबन्ध किया गया है। यह न्यूनतम अंश है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी अतिरिक्त लाभ दिया जा सकता है। हम चाहते हैं कि पूर्वाधिकार अंशधारियों के साथ समवाय भी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें, सरकार ही नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रड्डी]

यद्यपि यह एक साधारण विधेयक है फिर भी उसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का कारण यही है कि उसके संबंध में भली प्रकार विचार हो सके। श्री भरूचा तथा श्री मुरारका ने जो कुछ कहा उसका हमने पूर्वानुमान किया था। सब बातों पर विचार करके ही हमने न्यूनतम २५ प्रतिशत तथा उससे अधिक दिये जान का उपबन्ध किया था। मुझे आशा है कि प्रवर समिति इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर सकेगी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले की अपेक्षा कम लाभ क्यों मिल रहा है क्योंकि समिति में ऐसे व्यक्ति हैं जो आयकर अधिनियम तथा वैसी अन्य चीजों से भली प्रकार परिचित हैं। हमने अभी देखा कि इस विषय पर प्रवर समिति के सदस्य ही अधिक बोले हैं क्योंकि प्रवर समितियों में ऐसे ही व्यक्ति रखे जाते हैं जो उस विषय में रुचि रखते हों। साधारणतः इस अवस्था में उन माननीय सदस्यों को बोलना चाहिये जो प्रवर समिति में न हों। वैसे एक तरह से उनका अभी न बोलना ठीक भी रहेगा क्योंकि जब समिति का प्रतिवेदन आयेगा तब वे उस पर भली प्रकार चर्चा कर सकेंगे। मैं अभी यह नहीं कह सकता कि इसमें क्या क्या संशोधन किये जायेंगे। अन्त में मैं यही कहूंगा कि हमने जो कुछ किया है वह अनुचित नहीं है।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय समवायों के पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश को विनियमित करने वाले विधेयक को श्री नौशीर भरूचा, श्री मूल चन्द दुबे, श्री अरविन्द घोषाल, श्री बिमल घोष, श्री मू० चं० जैन, श्री प्रभातकार, श्री मी० रु० मसानी, डा० मेलकोटे, श्री मुरारका, श्री नथवानी, श्री रामकृष्णन्, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, श्री सोमानी, श्री राम सिंह भाई वर्मा और श्री मोरारजी देसाई की प्रवर समिति को ५ दिसम्बर, १९६० तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम, १९१० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय की गिनती एशिया की प्रमुख संस्थाओं में होती है। उसकी स्थापना औपचारिक रूप से तो १८६६ में हुई थी, लेकिन वैसे वह उससे भी ८० वर्ष पहले से चला आ रहा था। संग्रहालय की स्थापना के लिये कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने पहल कदमी की थी। और आज भी संग्रहालय का एक काफी बड़ा भाग एशियाटिक सोसाइटी द्वारा संग्रहीत प्राचीनतम वस्तुओं, और वैज्ञानिक महत्व तथा कला-वस्तुओं से ही सजा हुआ है। संग्रहालय के छः विभाग हैं : पुरातत्व, नरतत्व, कला, भू-भौतिकी, प्राणि-शास्त्र और उद्योग। इनमें से केवल कला-विभाग ट्रस्टी लोगों के सीधे नियंत्रण में है। अन्य विभाग संबंधित सर्वेक्षणों या विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण में हैं। भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के अतिरिक्त, अन्य सभी सर्वेक्षण और विभाग अब वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संग्रहालय का कार्य मूलतः भारतीय संग्रहालय अधिनियम, १९१० के अनुसार चलता है। उस अधिनियम के अनुसार, संग्रहालय में संग्रहीत सभी वस्तुयें ट्रस्टी लोगों के अधिकार में हैं, लेकिन यथार्थतः वे भारत सरकार के संबंधित विभागों की सम्पतियां ही हैं, और ट्रस्टी लोगों को केवल अधिकृत-निरीक्षकों (विजिटर्स) की शक्तियां प्राप्त हैं। संग्रहालय के प्रशासन का भार ट्रस्टी लोगों पर है, लेकिन इसमें भी होता यह है कि संग्रहालय के विभिन्न विभागों का सीधा-सीधा प्रशासन वास्तव में उनसे संबंधित विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा किया जा रहा है।

इस प्रकार का दोहरा नियंत्रण वैसे तो कभी भी सन्तोषप्रद नहीं रहा, लेकिन आज वह बहुत ही ज्यादा खटकने लगा है। हाल के कुछ वर्षों में विभिन्न सर्वेक्षणों का कार्य अत्यधिक फैल चुका है और इसलिये उन सर्वेक्षणों के निदेशकों को उतना समय भी नहीं मिल पाता। मैं इसके दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं।

भारत का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण लीजिये। इधर हाल के कुछ वर्षों में उसका अनुसंधान-कार्य काफी बढ़ गया है और पिछले पांच-दस साल में वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। यही हाल वनस्पतीय सर्वेक्षण और प्राणिकीय सर्वेक्षण का है। कई नये प्रादेशिक केन्द्र खुले हैं और एक बहुत बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्य चल रहा है पिछले पांच या अधिक से अधिक ७ वर्ष से। इसके फलस्वरूप इन सर्वेक्षणों के निदेशकों को अपने विभागों को ही कहीं ज्यादा समय देना पड़ता है और सारे देश का दौरा करते रहना पड़ता है। इसलिये महीने में एक बार संग्रहालय के ट्रस्टियों की बैठकों में शामिल होने कलकत्ता जाना उनके लिये कठिन हो जाता है।

साथ ही, पिछले ५० वर्षों में समूचे विश्व के संग्रहालय-शास्त्र में भी बड़ी प्रगति हुई है। इसी कारण, भारतीय संग्रहालय एशिया के सबसे सम्पन्न संग्रहालयों में से एक होता हुआ भी, एक बड़े अनियोजित ढंग से बढ़ा है, और उसका समूचा वर्तमान संगठन विभिन्न परिस्थितियों में किये गये समझौतों तथा फौरी प्रबन्धों का परिणाम ही है।

१९३१ से ही संग्रहालय के काम में सुधार करने के कई प्रयास किये जाते रहे हैं। उस समय ही यह सुझाव आया था कि संग्रहालय के विभिन्न विभागों को एक ही निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा जाय। लेकिन १९३०–३४ का काल संसार-व्यापी आर्थिक मन्दी का काल था, और इसीलिये उस समय इस सुझाव के अनुसार काम आगे नहीं बढ़ाया गया था। कम से कम मैं तो उसका यही कारण समझता हूं। आप सभी जानते हैं कि १९३० से १९३४ का काल बड़ी आर्थिक विपन्नता का काल था और उन दिनों सरकार के लगभग हर विभाग के कार्यों पर होने वाले व्यय में कटौती की गई थी।

१९४६ में, प्राणिकीय सर्वेक्षण के निदेशक, कोलोनल स्वैन ने कहा था :"ट्रस्टी लोगों के काम करने का ढंग देखकर, मुझे तो यह लगा कि वे जैसे किसी स्मारक की देखभाल करने का काम करते हों, जैसे वे एक महान् और अत्यन्त मूल्यवान संग्रहालय के ट्रस्टी न हों।"

यह उनकी राय थी, जो स्वयं एक ट्रस्टी थे। इससे साफ पता चल जाता है कि उन ट्रस्टी लोगों के पास संग्रहालय की नित्य-प्रति बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक समय नहीं निकल पाता।

ऐसी स्थिति में, स्पष्ट है कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम, १९१० अब बहुत ही पुराना और घिसा-पिटा हो गया है। वह नयी परिस्थितियों से बिलकुल मेल नहीं खाता। पचास वर्ष का काल होता भी बहुत है। इतने लम्बे काल में तो कोई भी विधान अपनी उपयोगिता खो सकता है, खास

[श्री हुमायून कबिर]

तौर से ऐसा एक विधान जो एक निरन्तर वृद्धिमान सेवा के संबंध में हो। साथ ही यह भी याद रखना चाहिये कि इन पचास वर्षों में भारतीय राजनीतिक और शिक्षा के रंग मंच पर काफी बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। तब तो और भी आसानी से समझा जा सकता है कि १९१० का अधिनियम आज की परिस्थितियों में अब कितना बेमेल हो गया है। ट्रस्टियों के गठन के संबंध में चर्चा करते समय, मैं बताऊंगा कि १९१० में कई बातें ऐसी थीं जिनको तब हम बड़ी आसानी से स्वीकार कर सकते थे, और जिनको आज हम बिलकुल स्वीकार नहीं कर सकते, फिर भी अधिनियम में संशोधन न होने के कारण आज तक उनको ज्यों का त्यों रखा गया।

पिछले पचास साल में, संग्रहालय-शास्त्र ने समूचे विश्व में बहुत अधिक प्रगति की है। उसी के फलस्वरूप, हम आज अपने देश में अपने राष्ट्रीय संग्रहालयों को प्राचीन अवशेषों के कुछ अपरिवर्तनशील संग्रह-भवन भर नहीं रहने देना चाहते। हम अपने राष्ट्रीय संग्रहालयों को परिस्थितियों के संग-संग, उनके अनुकल ढलते चलने वाले ऐसे साधन बनाने की योजना बना रहे हैं, जो हमारी जनता के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक शिक्षण में सहायक सिद्ध हो सकें। लेकिन इसके लिये अपेक्षा इस बात की है कि संग्रहालयों के योजनीकरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाये, जिससे उसकी विभिन्न सेवाओं को एक उचित ढंग से संगठित किया जा सके। इसीलिये, ऐसे एक विधेयक की आवश्यकता एक अर्से से अनुभव की जा रही थी। इसके जरिये संग्रहालय के कार्य-संचालन में सुधार किया जायेगा। लेकिन साथ ही, हमने उसमें जो परिवर्तन किये हैं वे एक दम उग्र भी नहीं हैं। हमने परिस्थितियों के अनुसार उनको अधिकाधिक नरम बनाने की चेष्टा की है।

इस विधेयक में १३ खंड हैं। उनमें से ८ तो बिलकुल औपचारिक, आनुषंगिक या शाब्दिक हैं। केवल ५ खंड कुछ महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर, पुराने अधिनियम में एक धारा है कि १८७६ के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सदस्य एक निश्चित तिथि के बाद सदस्य नहीं रहेंगे। स्पष्ट है कि उस धारा को बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं। ५ में से ३ खंडों में सामान्य प्रशासकीय अनुभव के आधार पर मूल अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। केवल २ संशोधन मुख्य हैं।

मैं पहले उन ३ संशोधनों को लेता हूं जो प्रक्रिया संबंधी मामलों से संबंधित हैं। मूल अधिनियम की वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार करने वाले ३ खंडों में से, पहला खंड अगले वित्तीय वर्ष के लिये आय-व्ययक प्राक्कलनों को प्रस्तुत करने की एक तिथि निश्चित करने के लिये है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी, वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेख सरकार के सामने प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें वार्षिक आय-व्ययक प्राक्कलनों को पेश करने या आगामी वर्ष की कार्यवाही का कार्यक्रम पेश करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुधा उचित ढंग से योजनीकरण नहीं हो पाता, और हमें यह पता नहीं चल पाता कि आगामी वर्ष में संग्रहालय का कार्यक्रम क्या रहेगा। जाहिर है, यदि ट्रस्टी लोग एक निश्चित तिथि तक अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के सामने पेश कर दें तो कार्य संचालन अधिक सुचारू हो जायेगा। सभी मान्यता प्राप्त संस्थायें यही सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया अपनाती हैं। इस संग्रहालय के लिये पहले से ऐसी व्यवस्था न होना एक आश्चर्य की ही बात है।

उन तीन में से, दूसरा संशोधन संग्रहालय के लिये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों के बारे में है। वर्तमान व्यवस्था यह है कि ट्रस्टी लोग संग्रहालय के लिये अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं, और उनको मनचाही वेतन-श्रेणी में रख सकते हैं, यदि उसके लिये पहले से केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली गई हो। इसका मतलब यह होता

है कि उनको हर नियुक्ति या नये पद के लिये केन्द्रीय सरकार से तदर्थ रूप में पूछना पड़ता है। अब उसके बदले, हमारा यह प्रस्ताव है कि कुछ ऐसे सामान्य नियम बना दिये जायें, जो सभी पर लागू हों, और ससद् द्वारा जिनके अनुमोदन के बाद, जिनको संग्रहालय के प्रशासी विनियमों का रूप दे दिया जाये। इससे कई अस्पष्टताओं और सन्देहों का निवारण हो जायेगा। वर्तमान अधिनियम की धारा १३ के अन्तर्गत, संग्रहालय के सभी कर्मचारी सरकारी सेवक माने जाते हैं और इसके कारण स्वाभाविक है कि वे वेतनों, भत्तों और पेंशनों के मामले में, सरकारी सेवकों जैसी ही सेवा की शर्तें चाहते हैं। पहले मेरी भी यही राय थी। मैं कोई विधि-विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन हमारे देश के ऊंचे से ऊंचे विधि विशेषज्ञों ने इस संबंध में अब यह राय दी है कि संग्रहालय के कर्मचारी सरकारी सेवकों के समान ही सेवा की शर्तों की मांग नहीं कर सकते, हालांकि यह सच है कि अन्य प्रयोजनों के लिये उनको सरकारी सेवकों के समान ही माना गया है। इसीलिये मैंने महसूस किया कि ऐसी स्थिति में हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि संग्रहालय के कर्मचारियों के लिये विशेष नियम बनाये जायेंगे और वे ही उन पर लागू होंगे। उन नियमों को लागू करने से पहले, उनको बनाते समय ट्रस्टी लोगों से परामर्श किया जायेगा और तैयार हो जाने पर उनको संसद् के सामने रखा जायेगा।

इनमें से तीसरा संशोधन प्रशासन के सुधार के संबंध में है। वह सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह नियम बना और लागू कर सकती है, यदि संसद् उनका अनुमोदन कर दे। यह नियम-निर्मात्री शक्ति सामान्य प्रकार की है। इसका संबंध ऐसे ब्यौरेवार विषयों से है, जिनकी व्यवस्था संविधि में नहीं की जा सकती। सरकार की इस नियम-निर्मात्री शक्ति पर संसद् का पूरा-पूरा नियंत्रण रहेगा। संसद् सरकार द्वारा तैयार किये गये नियमों को अनुमोदित और संशोधित कर सकेगी। साथ ही, मैंने यह भी व्यवस्था की है कि नियमों को तैयार करते समय ट्रस्टी लोगों से परामर्श किया जायेगा और उनके ऐसे सभी सुझावों पर उचित विचार किया जायेगा।

इस संशोधन विधेयक में दो सारवान परिवर्तनों का प्रस्ताव है। उनका संबंध ट्रस्टी बोर्ड के गठन और सरकार द्वारा नीति विषयक निदेश जारी करने की शक्ति से है।

इस समय १८ ट्रस्टी हैं, जिनमें से सात सरकारी हैं—छै भारत सरकार के अधिकारी और एक पश्चिमी बंगाल के अधिकारी। इनके अतिरिक्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भी सरकार चार ट्रस्टियों को नामजद कर सकती है। इसलिये यदि सरकार चाहे तो किसी भी समय १८ ट्रस्टियों के बोर्ड में ११ ट्रस्टी अपने रख सकती थी। लेकिन सरकार ने कभी भी ट्रस्टी-बोर्ड पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया और बोर्ड को पूरी आजादी से काम करने दिया है। हां, लेकिन सरकार ने यह अवश्य अनुभव किया है कि इतने अधिक सदस्यों का बोर्ड उतने प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर पाता जितने प्रभावशाली ढंग से कोई छोटा बोर्ड कर सकता था। १९३१ और १९५५ की समितियों ने भी यही सिफारिश की थी। यह तो मैं बता ही चुका हूं कि इन अधिकारियों का दायित्व कितना बढ़ गया है। संग्रहालय की ओर उचित ध्यान देने लायक समय उनको मिल ही नहीं पाता। यह भी याद रखने की बात है कि भारतीय संग्रहालय के ट्रस्टी लोग केवल ट्रस्टी ही नहीं, वे प्रबन्ध भी करते हैं। और जब उनमें से अधिकांश संग्रहालय की ओर पर्याप्त ध्यान देने लायक समय नहीं निकाल पाते तो एक-दो ट्रस्टी ही मनमाने ढंग से काम चलाते हैं। इसी कारण, संग्रहालय को पिछले सात-आठ साल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

इसीलिये १९३१ के बाद से बराबर यही सुझाव दिया गया है कि संग्रहालय का प्रबन्ध-निकाय अधिक गुंथा हुआ, एक ठोस और छोटा निकाय होना चाहिये। १९३१ और १९५५ की समितियों ने तो यहां तक कहा था कि सरकार को संग्रहालय अपने हाथ में लेकर एक ही निदेशक के अधीन रख देना चाहिये। हमने उसे ठीक नहीं समझा, क्योंकि इस संस्था को मूलतः एक ऐच्छिक आधार

[श्री हुमायून् कबिर]

पर शुरू किया गया था और एक लम्बे काल से उसकी ऐसी ही परम्परायें बनी हुई हैं। हमने प्रबन्ध निकाय के गठन के प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, हां ट्रस्टियों की संख्या १८ से घटाकर ११ कर दी है।

पदेन सरकारी ट्रस्टियों की संख्या ७ से घटाकर २ कर दी गई है। 'ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन' और 'बंगाल चैम्बर आफ कामर्स' को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी हटाई जा रही है। आप भली भांति समझ सकते हैं कि १९१० के अधिनियम में इन दोनों को प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया था। उस समय ये दोनों यूरोपीय औद्योगिक तथा वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 'ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन' उस समय के बंगाली भूस्वामियों की संस्था थी। अब उनको प्रतिनिधित्व देने का कोई औचित्य नहीं रहा। और फिर देश में अब अनेकों 'चैम्बर आफ कामर्स' बने हुये हैं।

वर्तमान अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की नामजदगी 'सिन्डीकेट' करता है। उसके बदले, हमारा प्रस्ताव है कि उपकुलपति प्रतिनिधित्व करे। अभी पश्चिमी बंगाल सरकार का एक अधिकारी—आर्ट स्कूल का प्रिंसिपल, एक सदस्य रहता है। उसके स्थान पर पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा नामजद प्रतिनिधि रखा जा रहा है। अब पश्चिमी बंगाल सरकार जिसे चाहे नामजद कर सकती है।

हमारा प्रस्ताव यह भी है कि बोर्ड में अब से दो और नये ट्रस्टी नियुक्त किये जायें, पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल और कलकत्ता के मेयर। राज्यपाल ट्रस्टी-बोर्ड के सभापति रहें। इसके दो लाभ होंगे, ट्रस्टी बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसे राज्य-सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि अब तक कलकत्ता निगम का एक भी प्रतिनिधि भारतीय संग्रहालय में नहीं रहता था। नागरिक जीवन से उसका कोई भी संबंध नहीं था। उसी कमी को दूर करने के लिये हमने यह प्रस्ताव रखा है।

सबसे सारवान् परिवर्तन यही है कि ट्रस्टियों की संख्या १८ से घटाकर ११ कर दी गई है, और उनमें भी सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या में सबसे अधिक कटौती की गई है। अब मंत्रालय के ५ प्रतिनिधियों के स्थान पर केवल १ प्रतिनिधि, सचिव, ट्रस्टी-बोर्ड में रहेगा।

दूसरा सारवान् परिवर्तन है केन्द्रीय सरकार को नीति विषयक निदेश जारी करने की शक्ति देना। सरकार सामान्य नीति संबंधी मामलों के बारे में ट्रस्टियों के नाम निदेश जारी कर सकेगी। ये निदेश असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किये जायेंगे, और वह संसदीय नियंत्रण के अधीन। भारतीय संग्रहालय जैसे स्वायत निकायों के मामलों में निदेश जारी करने की ऐसी शक्ति सरकार के पास अवश्य रहनी चाहिये, नहीं तो फिर ट्रस्टी-बोर्ड किसी के भी सामने जवाबदेह नहीं रह जाता। उस पर न सरकार का नियंत्रण रहता है, और न संसद् का। उस स्थिति में सरकार का उस पर केवल इतना ही नियंत्रण रह जाता है कि यदि वह चाहे तो अनुदान न दे। लेकिन इस उपाय को कोई भी अच्छा नहीं समझता। लेकिन किसी स्वायत्त संस्था को इस तरह नियंत्रण-विहीन छोड़ा भी नहीं जा सकता। सर्वोच्च प्राधिकार तो संसद् का होना ही चाहिये।

इसलिये सरकार के पास निदेश जारी करने की ऐसी शक्ति रहना नितांत आवश्यक है। संग्रहालय का काम और उसका संधारण सरकार द्वारा दी जाने वाली निधियों से चलता है। इसलिये उस पर नीति विषयक सर्वोच्च नियंत्रण संसद् का ही होना चाहिये। फिर भी हमने इस खंड में यह व्यवस्था भी की है, कि ऐसे निदेश जारी करने से पहले ट्रस्टियों को उनकी अपनी राय जाहिर करने का अवसर दिया जायेगा और उनकी राय पर पूरा-पूरा विचार किया जायेगा।

यह विधेयक ऐसा है जिससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता। इसके आठ खंड तो केवल शाब्दिक वैधानिक प्रकार के हैं। तीन का संबंध वर्तमान प्रक्रिया में सुधार से है। केवल दो सारवान् परिवर्तन हैं, ट्रस्टियों की संख्या कम करने और निदेश जारी करने की शक्ति ग्रहण करना। सभा ऐसे मामलों पर कई बार चर्चा कर चुकी है। ऐसे सभी मामलों में सभा की यही राय रही है कि स्वायत्त निकायों पर अन्तिम प्राधिकार संसद् का ही रहना चाहिये।

आशा है, सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : संसद् ने हाल में ऐसा ही एक अधिनियम पारित किया है—भारतीय मानक संस्था अधिनियम। दोनों एक ही प्रकार के हैं। इसलिये क्या माननीय मंत्री ने इसे तैयार करते समय उस अधिनियम की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा है?—क्या दोनों की व्यवस्थायें एक सी हैं; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अपना उत्तर देते समय मैं इसके संबंध में बताऊंगा।

अभी केवल इतना कहूंगा कि भारतीय मानक संस्था एक शैक्षणिक एवं अनुसंधानात्मक संस्था है। इसलिये वह भारतीय संग्रहालय से सर्वथा भिन्न प्रकार की है। भारतीय संग्रहालय के मामले में हम वही प्रक्रिया अपनाते हैं जो देश के अन्य राष्ट्रीय संग्रहालयों, या संसार के ऐसे ही अन्य संग्रहालयों के बारे में अपनाई जाती है।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली): मैं ने एक संशोधन की सूचना दी थी आज सुबह कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये।

†**सभापति महोदय** : वह नियम-बाह्य है। पूर्व-सूचना २४ घण्टे पहले दी जानी चाहिये थी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

माननीय मंत्री ने यह बड़ी अच्छी बात कही है कि अब इन संग्रहालयों को देश की जनता के शिक्षण का माध्यम बनाया जायेगा। ये कुछ दर्शनीय प्राचीन वस्तुओं के संग्रहालय-भवन भर नहीं रहेंगे। संग्रहालयों को देश की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ढाला जायेगा। आशा है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी ऐसे ही संग्रहालय बनने लगेंगे।

माननीय मंत्री ने बहुत ठीक कहा है कि संसार की संग्रहालय-शास्त्र ने बड़ी प्रगति कर ली है। अन्य उन्नत देशों में वहां के संग्रहालय अपने यहां की जनता के शिक्षण में सहायता देते हैं। वहां संग्रहालयों में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये अलग से दिन नियत रहते हैं। उन संग्रहालयों में बड़े पटु गाइड रखे जाते हैं। लेकिन हमारे देश में गाइडों का उचित प्रशिक्षण नहीं होता। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

आशा है कि अब इस संग्रहालय के विज्ञान संबंधी पक्ष पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा। इसे जनता के लिये भी रुचिकर बनाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

ट्रस्टियों की संख्या घटाने पर मुझे कोई आपति नहीं है । नये नामजद सदस्यों पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि बंगाल के राज्यपाल, कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता विश्व विद्यालय के उपकुलपति को ट्रस्टियों में रखना तो और भी अच्छा है । सरकारी नामजद सदस्यों के अतिरिक्त, कलकत्ता की 'ऐशियाटिक सोसाइटी' का भी एक प्रतिनिधि उनमें रहना चाहिये ।

लेकिन सब से ज्यादा खटकने वाली बात यह है कि अन्य स्वायत निकायों की भांति, इस संस्था के प्रबन्ध-निकाय में लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया । संसद् से उसका सम्पर्क बनाये रखने के लिये यह बड़ा जरूरी है ।

खण्ड ३(१) में गणपूर्ति की संख्या ९ से ६ और खंड ३(२) में उसे ६ से ४ कर दिया गया है । इस संस्था के ट्रस्टी-बोर्ड में विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक हितों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिये गणपूर्ति की संख्या कुछ अधिक रखी जानी चाहिये ।

खण्ड ६ में नियमों और उपनियमों के बीच विभेद किया गया है । दोनों में यह अन्तर नहीं रखना चाहिये ।

अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें विनियमित करने का कार्य एक लोक सेवा आयोग को सौंपा जाना चाहिये, ट्रस्टी बोर्ड पर नहीं छोड़ना चाहिये ।

ट्रस्टियों के नाम सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति ग्रहण करने का अर्थ है ट्रस्टियों की कार्य क्षमता पर अविश्वास करना, और उन के काम में अनुचित हस्तक्षेप करना । इसका अर्थ है कि यह संस्था वास्तव में स्वायत्त नहीं रहेगी । मैं इसे ठीक नहीं समझता ।

यदि मेरे इन सुझावों को मान लिया जाये, तो विधेयक अधिक प्रभावशाली बन जायेगा ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : मैं इस बात में मंत्री महोदय से पूर्णतः सहमत हूं कि इस अधिनियम में संशोधन की गुंजाइश है । भारतीय संग्रहालय की व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है । परन्तु आधुनिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहती हूं ।

यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित होकर यहां आया है । इस दिशा में मौलाना आजाद के समय से ही प्रयत्न चलते रहे हैं । भारतीय संग्रहालय के ट्रस्टियों के बोर्ड के सभापति ने १९५७ में मौलाना आजाद को एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्हें उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने की बात पर जोर दिया गया था । इसके बाद डा० का० ला० श्रीमाली तथा अन्य लोग भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं । अब कई वर्ष के पश्चात् यह विधेयक हमारे सामने आया है ।

कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है । यह देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है । अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि इस विधेयक का निर्माण करते समय इस संस्था के ट्रस्टियों से परामर्श क्यों नहीं किया गया ? मंत्री महोदय को उन्हें अपने साथ सारे मामले की चर्चा करने का अवसर देना चाहिए था । मेरा मत है कि भारतीय संग्रहालय के ट्रस्टियों के अतिरिक्त एशियाटिक सोसायटी से भी परामर्श करना चाहिए था । विधेयक को सभा से स्वीकार कराने से

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व सभी संबंधित लोगों से सावधानीपूर्वक परामर्श कर इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी विचार से मैं ने यह प्रस्तुत करने का यत्न किया था कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाय। ऐसी आपातकालीन हालत दिखाई नहीं देती कि विधेयक को इतनी शीघ्रता से पारित किया जाय।

मैं सामान्यतः विधेयक के उपबंधों का स्वागत करती हूं। विधेयक का खंड १० सरकार को नीति संबंधी प्रश्नों पर ट्रस्टियों को निदेश देने का अधिकार होगा। इस के फलस्वरूप संग्रहालय के काम में हस्तक्षेप किया जा सकेगा। मेरी समझ में नहीं कि सरकार इस के लिए अधिकार क्यों प्राप्त करना चाहती है जबकि इस संस्था ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। स्वशासी निकायों के कार्य में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति उपक्रम की भावना का ही नाश कर देती है। हमें इस स्थिति से बचने का प्रयत्न करना चाहिये। मेरा मत यह है कि यदि यह संस्था सरकार के नियंत्रण में होती तो यह इतनी प्रगति न करती जितनी कि उस ने अब की है। साथ ही इस प्रकार का हस्तक्षेप स्वतंत्र संस्थाओं के विकास में भी भारी रुकावट डालेगा।

न्यास के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी अंश को कम कर दिया गया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। नये न्यासों में बहुत से ऐसे पदेन सदस्य होंगे जिनको संभव है संग्रहालय के बारे में कोई विशेष रुचि न हो। उन लोगों को न्यास के सदस्य बनाया जाना चाहिए जिन के पास समय भी हो और उ हें संग्रहालय के कार्य में रुचि भी हो। इसके लिए ट्रस्टी बोर्ड को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह सदस्यों को विनियुक्त कर सके। साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि इस न्यास के सभापतित्व का उत्तरदायित्व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल पर नहीं डाला जाना चाहिए। इस के लिए सभापति कोई गैर-सरकारी योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यह भी आश्चर्य की बात है कि उप-विधियों के निर्माण का अधिकार भी न्यास छीना जा रहा है। इस प्रकार यदि सरकार अधिकार अपने हाथ में लेगी तो स्वतंत्र और गैर-सरकारी निकायों का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। मननीय सांख्यकीय संस्था अधिनियम तथा विश्वभारती-विश्वविद्यालय अधिनियम में तो ऐसा नहीं किया गया। परन्तु पता नहीं इस संस्था से ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है।

मैं संशोधन विधेयक के पक्ष में हूं। और यह भी मेरी इच्छा है कि संग्रहालय के प्रशासन में सुधार और प्रगति हो, परन्तु अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में लेकर सरकार इस संस्था के प्रशासन में सुधार नहीं कर सकेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : विधेयक का उद्देश्य तो अच्छा है कि संग्रहालय के प्रशासन को सुधारा जाय और उसका पुनर्गठन किया जाय। परन्तु मुझे सन्देह है कि इस विधेयक द्वारा यह बात पूरी नहीं हो सकेगी जिस प्रकार के न्यास को निर्माण करने की व्यवस्था की जा रही है, वह अधिकार सरकारी प्रभाव में ही रहेगा। इसके सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें इस मामले का कोई विशेष प्राविधिक ज्ञान भी नहीं होगा। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल, कलकत्ता के महापौर अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति इस प्रकार के लोगों के पास इतना समय कहां होगा कि न्यास की बैठकों में भाग ले सके। इसका अन्तर्गोगत्वा यह प्रभाव होगा कि लोग ये अदने प्रतिनिधियों को बैठकों में भेजा करेंगे। अतः मेरा कहना है कि श्रीमती सुचेता कृपलानी का यह कहना ठीक नहीं कि न्यास सदस्यों के बोर्ड में सरकारी व्यक्तियों की संख्या को कम किया रहा है। जिन लोगों को इस विषय का वास्तविक ज्ञान है उन्हें इस में से निकाला जा रहा है, जैसे कि पुरातत्व विज्ञान के महानिर्देशक है।

धारा १२ क के अन्तर्गत जो अधिकार सरकार ले रही है उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता। नीति सम्बन्धी मामलों में न्यास सदस्यों को सरकार के निदेश मानने के लिए मजबूर करना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

लोकतंत्र की भावना के अनुकूल नहीं है। ब्रिटिश संग्रहालय में भी कभी ऐसा नहीं होता। वित्तीय नियन्त्रण सरकार के हाथ में रहता है परन्तु नीति का निर्णय करना विशुद्ध रूप से न्यास के सदस्यों के हाथ में रहता है। आज तक कभी भी यह शिकायत नहीं सुनी गयी कि वहां का काम ठीक नहीं चलता।

मैं यह नहीं कहता कि कलकत्ता के राष्ट्रीय संग्रहालय में सब ठीक है और वहां सुधार की आवश्यकता नहीं। उसके सम्बन्ध में शिकायतें भी है। परन्तु इस का क्या प्रमाण है कि जो न्यास अब बनाया जा रहा है उससे यह सारी शिकायतें और कमियां दूर हो जायेंगी। अतः मुझे सन्देह पैदा होता कि ऐसा करने के पीछे और नीति का हाथ है और मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता। बड़े बड़े अखबारों ने भी इसका विरोध किया है। लोगों के मन में यह आशंका उठ रही है कि इस संग्रहालय को सरकार का एक उप विभाग बनाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त न्यास सदस्यों के बोर्ड में कोई जन प्रतिनिधि भी नहीं लिया गया। इस का क्या कारण है? यह देश की ऐसी संस्था है जिस पर कि प्रत्येक भारतीय गौरव कर सकता है। अतः उसके प्रति इस प्रकार की उदासीनता क्यों? मेरा सुझाव है कि न्यास सदस्यों के बोर्ड मे एक संसद् सदस्य अथवा एक जन-प्रतिनिधि को रखा जाना चाहिये।

मंत्री महोदय की यह बात स्वागत योग्य है कि वह कुछ समय तक इस विषय का एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अच्छी बात है परन्तु इस बात का पता नहीं लग सका कि विधेयक को प्रवर समिति के सपुर्द क्यों नहीं किया जा किया जा रहा? इस विधेयक को पारित करने की इतनी शीघ्रता क्या है। मेरा निवेदन है कि विधेयक के उद्देश्य और कारण तो ठीक है परन्तु जिस रूप में यह हमारे सामने है उससे यह लक्ष्य पूरा होने की सम्भावना नहीं। संशोधन विधेयक के उपबन्ध इस महान संस्था के प्रशासन में सुधार नहीं कर सकेंगे।

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव): सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है, यद्यपि जितना मकसद इसको पूरा करना चाहिये उतना वह नहीं करता, तो भी मैं उसका स्वागत करता हूं।

आजादी के बाद भारत की प्रगति के वास्ते जो कदम हमने उठाये हैं उनमें एक खास कदम यह म्यूजियम का भी है। यह जो बिल सदन के सामने है वह खास तौर से कलकत्ता के म्यूजियम के बारे में है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह का पीनमील बिल सदन के सामने क्यों लाया जाता है। पूरे भारत के लिए जो म्यूजियम हम बनायेंगे वे अकेले कलकत्ता शहर में नहीं होंगे, बल्कि भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें हर जगह ऐसे म्यूजियम बनाना जरूरी है, और इसके बाद यह भी हो सकता है कि हर स्टेट का जो केपीटल है वहां भी म्यूजियम बनें।

हमारे मान्यवर मिनिस्टर साहब ने अपनी राज्य सभा की तकरीर में यह भी कहा है कि ऐसे म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में भी बन सकते हैं। जब यह बात बढ़ने वाली है और हमारी शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से इसकी बहुत जरूरत है, तो सारे देश के लिए बिल लाना चाहिए था। जैसा कि मान्यवर महोदय, प्रोफेसर शर्मा जी ने कहा; खाली विद्यार्थियों के लिए ही नहीं लेकिन हमारे जैसे पार्लियामेंट के मेम्बरों को भी ये म्यूजियम एक प्रकार से

शिक्षा की चीज हो सकते हैं। हम भी उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब हम बड़े बड़े म्यूजियम देखते हैं और उनमें आर्ट और साइंस की चीजें देखते हैं तो हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं।

इसको अच्छे तरीके से बढ़वा देंगे। इतना ही नहीं जो बात उन्होंने कही मैं भी उसका समर्थन करता हूं और वह यह है कि म्यूजियम्स् में जो हम गाइड्स रखते हैं वे कुशल और अच्छे गाइड्स होने चाहिएं जोकि अपने कर्तव्य को योग्यतापूर्वक निबाह सकें और उनको म्यूजिलौजी का शिक्षण देने का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये और इस तरह के शिक्षण की व्यवस्था मैं जरूरी समझता हूं।

अभी एक कम्युनिस्ट सदस्य और श्रीमती सुचेता कृपलानी ने यह बात कही कि यदि यह बिल अभी सदन के सामने इतनी देर से लाया जाता है। अगर यह बिल ज्वाएंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जाता तो बहुत से लोगों को उसमें शरीक होने का मौका मिला होता और काफी लोग सामने आते। जो मौजूदा ट्रस्टीज हैं उनकी तरफ से भी एक शिकायत हो सकती है कि यह नया बिल सदन् में पेश होने के पहले यदि उनके सामने जाता तो वे उसमें कुछ नई बातें सामने ला सकते थे।

इस बिल में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि जो म्यूजियम के ट्रस्टीज होंगे उन में से चार विश्वस्तों में से करीब करीब ३, ४ विश्वस्तों को इस बात की इजाजत और छूट दी गई है कि अगर वह ट्रस्टीज की मीटिंग एटेंड करने में असमर्थ हो तो वह अपनी जगह किसी अपने प्रतिनिधि को उसमें भेज सकता है। दूसरे आदमियों का भेजा जाना यह बात मैं बिल्कुल पसन्द नहीं करता। अगर हमें उसको ठीक और अच्छी तरह इस पर चलाना है तो ट्रस्टीज खुद हर मीटिंग में रहना जरूरी होगा। ट्रस्टीज द्वारा अपना कोई प्रतिनिधि उन मीटिंगों में भेज देना उचित न होगा। जिन शक्तियतों को हम बतौर विश्वस्तों ट्रस्टीज के भेजना चाहते हैं और जिनसे कि इन विश्वस्तों की इज्जत बढ़ने वाली है अगर वे स्वयं उन मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेंगे और अपनी जगह कोई अन्य प्रतिनिधि भेजेंगे तो यह बात अच्छी नहीं होगी! इसलिए मैं चाहता हूं कि इस इंडियन म्यूजियम (अमेंडमेंट) बिल में यह जो ट्रस्टीज द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे जाने का प्रावेजन रक्खा गया है कि अगर वह हाजिर न हो सकें तो अपने प्रतिनिधि वहां भेज सकते हैं, इस प्रावेजन को इस बिल में निकाल दिया जाय।

दूसरी बात सदन के सामने जो श्री दी० वं० शर्मा ने रक्खी कि पार्लियामेंट के कुछ सदस्य और कम से कम एक सदस्य हर इंडियन म्यूजियमस् पर रहना चाहिए। तो मैं उनकी इस बात से किसी कदर सहमत हूं। पार्लियामेंट के सदस्यों को हर एक जगह पर अपना प्रतिनिधित्व मांगना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं लेकिन यह बात जरूरी होगी क्योंकि हमारे देश में म्यूजियमस बढ़ने वाले हैं। अगर ऐसे लोगों को ऐसे पार्लियामेंट के सदस्यों को जिनको कि साइंस का इल्म है, आर्ट का इल्म है ऐसे लोग अगर उधर जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे संग्रहालय होंगे, म्यूजियम्स् होंगे उनके सुधार में उनके द्वारा काफी मदद पहुंच सकती है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे पार्लियामेंट के मेम्बर्स जिनको कि जानकारी है; इल्म हासिल है ऐसे लोगों को अगर वहां पर प्रतिनिधित्व मिले तो मैं उसका जरूर स्वागत करूंगा।

यह ट्रस्टीज की कम सदस्यों की जो मैनेजिंग बौडी बनाई गई है मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि उसमें ज्यादा सदस्य होने से हमेशा तकलीफ होती है। कंपैक्ट बौडी रहने से काम करने में सुविधा होती है।

[श्री यादव नारायण जाधव]

बोर्ड आफ ट्रस्टीज का एक्स औफिशियो चेअरमैन हैड आफ दी स्टेट रहेगा यहां पर वैस्ट बंगाल का गवर्नर उसका चेअरमैन होगा, ऐसा इस बिल में कहा गया है। लेकिन उस बोर्ड आफ ट्रस्टीज का सेक्रेटरी कौन रहेगा इसके बारे में कुछ यहां मालूमात नहीं दी गई हैं। इसके बारे में बिल में अगर कुछ कहा गया होता तो अच्छा होता।

हिन्दुस्तान में अलग अलग स्थानों पर इंडियन म्यूजियम्स् बनने वाले हैं। दिल्ली में बनने वाला है, कलकत्ते में है, मद्रास में है और बम्बई में भी होना जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो एक पीसमील में कलकत्ते के लिए या दिल्ली के लिए या बम्बई और मद्रास के लिए बिल बनेगा तो मैं समझता हूं कि यह अलग अलग बिल लाना गलत बात होगी। एक कम्पैक्ट ढांचा तैयार करके एक ऐसा बिल हमें सदन् के सामने तैयार करके रखना चाहिए जिससे भविष्य में जो अन्य बड़े बड़े म्युजियम्स् बनने वाले हैं उन के लिए भी यह बिल उपयोग में आ सके और उनको भी कवर कर सके। जो स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम्स् बनेंगे उनसे इसको रोशनी मिलनी है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): मेरा यह मत है कि विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व यदि संग्रहालय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से परामर्श कर लिया जाता तो बहुत अच्छी बात होती। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एशियाटिक सोसायटी का यह अनुरोध मान लेना चाहिए कि विधेयक में उनका जो एक प्रतिनिधि ट्रस्टी बोर्ड में रखने का उपबन्ध किया गया है उसके स्थान पर दो प्रतिनिधियों को रखने का उपबन्ध रखा जाय।

मैं यह अनुभव करता हूं कि इस विधेयक का नाम मात्र ही संशोधन विधेयक है, परन्तु वास्तविकता यह है कि मूल विधेयक में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये गये हैं। इससे अच्छा था कि नया अधिनियम ही बना लिया जाता। इससे सारी संस्था अथवा उसके चलाने वाले न्यास का सारा रूप ही बदल दिया जायेगा। न्यास बोर्ड के संगठन सम्बन्धी नियन्त्रण का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देने वाला उपबन्ध सारे मूल अधिनियम का रूप ही बदल देता है। विधेयक का खंड १२ संग्रहालय की सम्पत्ति का निबटारा करने के मामले में न्यास सदस्यों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। सरकार को यह परम्परा कायम रखनी चाहिये कि अनुसंधान और संस्कृति विषयक संस्थाओं को गैर-सरकारी नियन्त्रण में ही रखा जाये। नियम अथवा उपनियम बनाने का अधिकार भी न्यास सदस्यों से वापिस लिया जा रहा है। न्यास सदस्यों के बोर्ड में भी अब सरकार का बहुमत हो गया है, क्योंकि ११ में से अब उसके ६ सदस्य हो गये हैं। कोरम भी ६ का ही होगा, इसका अर्थ स्पष्ट रूप से यह है कि जो कुछ सरकार करना चाहेगी वही होगा। वैसे भी उन्होंने न्यास सदस्यों की संख्या १८ से कम करके ११ कर दी है।

न्यास सदस्यों के बोर्ड का सभापति नियुक्त करने के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह पद किसी गैर सरकारी व्यक्ति को दिया जाना चाहिये। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को यह पद दिया जा रहा है। साथ ही मंत्री महोदय का कहना है कि वह चाहते हैं कि संस्था के हर काम की संसद में आलोचना हो सके। परन्तु क्या यह उचित होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की न्यास बोर्ड के पदेन सभापति होने के कारण संसद में आलोचना की जाय? यह बात न उचित है और न सम्भव ही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एशियाटिक सोसायटी का यह सुझाव बड़ा व्यवहारिक प्रतीत होता है कि नीति विषय यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उसे फैसले के लिये उच्चतम न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त अथवा वर्तमान न्यायाधीश के सपुर्द कर दिया जाये ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, राज्य-सभा में यह कहा था कि वह बाद में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे । इसके बावजूद इस अपूर्ण बिल को पेश करने की क्या आवश्यकता थी ।

श्रीमन्, संग्रहालय सर्वेक्षण समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय संग्रहालय को बहुप्रयोजनीय संग्रहालय का रूप दिया जाये । उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि विक्टोरिया स्मारक भवन को आधुनिक इतिहास संग्रहालय बना दिया जाये और भारतीय संग्रहालय को राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय में परिणित कर दिया जाये ।

सरकार विक्टोरिया स्मारक भवन के ट्रस्टियों के वर्तमान बोर्ड की शक्ति और अधिकार कम करने का यत्न कर रही है, हालांकि ये लोग, छोटे मोटे न्यूनताओं के बावजूद, इस संस्था का विकास करने में बड़ी रुचि ले रहे हैं ।

आज लोगों के मन में सब से बड़ी शंका यह है कि सरकार का इरादा संग्रहालय के कामों में हस्तक्षेप करने का है । इससे संग्रहालय के काम को सुचारु रूप से चलाने में बाधा पड़ेगी । बिल में इस संग्रहालय के प्रबन्धकों के चुनने का जो स्तर निर्धारित किया गया, वह ठीक नहीं है ।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि इस संग्रहालय का काम बड़े अव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा था इसलिये इस बिल को पेश किया गया है । पिछली बार जब लोक लेखा समिति ने इस संग्रहालय का दौरा किया था तो समिति को संग्रहालय के ट्रस्टियों ने यह बताया था कि भारत सरकार कला-वस्तुओं को खरीदने के लिये धन नहीं दे रही और जो धन मिलता है वह कर्मचारियों और इमारत आदि कार्यों पर खर्च हो जाता है ।

इस संग्रहालय में जो गाइड और कक्ष-रक्षक आदि कर्मचारी हैं उनमें से बहुत कम लोग प्रशिक्षण प्राप्त हैं । उन्हें प्रशिक्षण देने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । सरकार को चाहिए था कि वह इस बिल को पेश करने की बजाय संग्रहालय के संचालन में सुधार करने की ओर ध्यान देती, संग्रहालय को अधिक अनुदान देती और वहां के ट्रस्टियों का पथ-प्रदर्शन करती ।

बिल के अनुसार, संग्रहालय की प्रबन्ध-सभा में चार व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । मेरा सुझाव है कि ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिये जिन्हें पुरातत्व-शास्त्र का भली भांति ज्ञान हों अथवा ये लोग विज्ञान के क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हों ।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । कुछ सदस्यों का कहना है कि संग्रहालय एक स्वायत्त-शासी संस्था है और सरकार यह बिल पेश करके उसके काम में हस्तक्षेप कर रही है । संग्रहालय एक स्वायत्तशासी संस्था नहीं है । इसकी सम्पत्ति समस्त राष्ट्र की सम्पति है अर्थात् ट्रस्टी भारत सरकार की ओर से इसका प्रबन्ध करते हैं ।

इस विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में यह बताया गया है कि इस संग्रहालय को विकास करके इसे पूर्वी भारत के लिए एक राष्ट्रीय संग्रहालय का रूप देने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सामन्त सिंहार]

इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि यह संग्रहालय केवल पश्चिम बंगाल का है। किन्तु ट्रस्टी बोर्ड के संगठन के बारे में निर्णय करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। बिल की धाराओं के अनुसार, इस संग्रहालय के ११ ट्रस्टी होंगे जिनमें ५ भारत सरकार की ओर से और ५ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। पूर्वी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। सरकार को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये कि पूर्वी भारत के कलकत्ता, पटना, गोहाटी और उत्कल आदि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को भी ट्रस्टियों के बोर्ड का सदस्य बनाया जाय। ऐसा करने से बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ जायेगी।

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** (नवद्वीप): मैं इस विधेयक के उद्देश्य से पूरी तरह सहमत हूं। हम सभी चाहते हैं कि संस्था का सुधार हो, तथापि मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रन्यास बोर्ड की राय जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, न कोई बैठक ही इस सम्बन्ध में बुलाई गई। उनकी राय की अवहेलना करना उचित नहीं है।

इस बात की आशंका थी कि कलकत्ता के अजायबघर को उसके वर्तमान स्थान से हटा दिया जायेगा, तथापि मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि मंत्री महोदय ने राज्य सभा तथा लोक सभा दोनों में यह आश्वासन दिया है कि अब इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सभा के सभी पक्षों की यह राय है कि विधेयक को इतनी शीघ्रता से पारित नहीं किया जाय, विधेयक के कुछ खंडों के सम्बन्ध में सदस्यों को आपत्ति है, वे इस प्रकार के हैं कि सरकार प्रन्यास बोर्ड पर अपनी इच्छायें हावी कर सकती है। मेरा सुझाव है कि बिना बोर्ड की सहमति के इस सम्बन्ध में कोई नीति निश्चित न की जाय। इस सम्बन्ध में बंगाल के मुख्य मंत्री ने मंत्री महोदय को लिखा था तथापि राज्य सभा में जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत किया उसमें इस बात को शामिल नहीं किया गया। तदन्तर जब मुख्य मंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया तो खंड १५ (क) (१) में इसे शामिल कर दिया गया लेकिन खंड १२ (क) में इसे शामिल नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त इस संस्था की आंतरिक स्वायत्तता बनाये रखने के लिये भी इस विधेयक में कोई खंड नहीं हैं न उन्हें सदस्यों को सहवृत करने का अधिकार है। पुरातत्व विषय के विशेषज्ञों को भी आपने हटा दिया है।

मेरे विचार से इस विधेयक के सम्बन्ध में, ऐसी संस्थायें यथा एशियाटिक सोसाइटी और गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट की राय जानना आवश्यक है अतः इस विधेयक को कुछ समय के लिये मुल्तवी कर दिया जाय। इससे इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को संतोष प्राप्त होगा और इस विषय में जो भ्रांति पैदा हो गई हैं वे दूर हो जायेंगी। अतः मेरे विचार से विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को बोर्ड में सहवृत किया जाय। मेरे विचार से इस उपबन्ध से शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में अधिक कार्य हो सकेगा।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): मेरे विचार से इस विधेयक में बुराई अधिक है और उपयोगी बातें कम। उदाहरणस्वरूप मूल विधेयक के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को कोई बोर्ड में स्थान दिया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया था जो कि अपने विषय में विशेषज्ञ थे, किन्तु इस विधेयक के द्वारा उनके स्थान पर कुछ सरकारी अधिकारियों को रखा गया है। वे अजायघरों के सम्बन्ध में वह दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं जो कि उस विषय के विशेषज्ञ लोग लेते थे। अब जिन व्यक्तियों के नाम रखे गये हैं उनमें भारत सरकार के तत्संबंधी मंत्रालय के सचिव, कलकत्ता कारपोरेशन के मेयर, पश्चिम बंगाल के महालेखापाल इत्यादि हैं, उक्त सभी अधिकारी अति व्यस्त अधिकारियों में से हैं अतः वे अजायबघरों से सम्बन्धित बातों पर उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं जितना कि उस विषय के विशेषज्ञ लोग देते थे।

सब से आपत्तिजनक बात यह है कि विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि प्रन्यास बोर्ड के वर्ग (ख) (ग) (घ) और (ङ) के सदस्यों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सरकार अजायबघरों के विकास के सम्बन्ध में जागरूक नहीं है। वस्तुतः सरकार का दृष्टिकोण आज भी वही है जो कि १९१० में था जब कि भारत पराधीन था, आज देश की अवस्था बदल चुकी है और देश में विश्व के कोने-कोने से लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं।

सरकार को चाहिये कि वह न केवल इसी अजायबघर के संबंध में अपितु अन्य अजाबघरों के संबंध में भी ध्यान देवे क्योंकि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राष्ट्रीय पुरातत्व महत्व की वस्तुओं को यहां से हटाया जा रहा है, अतः मेरी राय थी कि सरकार इस संबंध में एक व्यापक और बड़ा विधेयक प्रस्तुत करती जिसके अन्तर्गत देश के सभी अजायबघर आ जाते।

डा० सामन्त सिंहार ने यह सुझाव दिया है कि प्रन्यास बोर्ड में पटना, उत्कल तथा गोहाटी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को भी स्थान दिया जाय, मेरे विचार से वे अधिकारी काफी व्यस्त रहेंगे अतः मेरा सुझाव है कि इसमें पटना और गोहाटी के संग्रहालायों के अधीक्षकों को स्थान मिलना चाहिये। वे इस संबंध में बहुमूल्य राय दे सकते हैं।

मैं इस विधेयक के उपबंधों से संतुष्ट नहीं हूं सरकार को चाहिये कि वह प्रन्यास बोर्ड में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करे और इसके पारित होने के अनन्तर तत्काल एक दूसरा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाय।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक १९६० पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये सभा द्वारा ३ सितम्बर १९६० को नियत किये गये समय (देखिये कार्य मंत्रणा समिति का ५५वां प्रतिवेदन) को २ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाये"

†**श्री उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक १९६० पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये सभा द्वारा ३ सितम्बर १९६० को नियत किये गये समय (देखिये कार्य मंत्रणा समिति की ५५वां प्रतिवेदन) को २ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा): संग्रहालय एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था है, अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि संग्रहालयों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर संग्रहालयों के विकास के लिये एक राष्ट्रीय नीति विहित की जाय तथा एक विशिष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाय।

इतने बड़े देश के लिये एक दो संग्रहालय ही काफी नहीं हैं अतः मेरा सुझाव है कि प्रत्येक नगर में संग्रहालय स्थापित करने तथा ऐसे व्यक्तियों को जो कि लोक हित के लिये संग्रहालय स्थापित करना चाहें प्रोत्साहन देना चाहिये। मेरा सुझाव है कि एक ऐसी निधि स्थापित की जाय कि जिसके द्वारा कम से कम प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक संग्रहालय की स्थापना को प्रोत्साहन मिले।

कलकत्ता के संग्रहालय को राष्ट्रीय संग्रहालय का स्थान दिया गया है तथापि यह भी कहा गया है कि ऐस संग्रहालय क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किये जा रहे हैं अतः यह उचित है कि उस क्षेत्र के ऐसे सभी विशेषज्ञों को बोर्ड में स्थान दिया जाय जो कि संग्रहालय विद्या के विशेषज्ञ हों। यह रियायत देना कि उपकुलपति के स्थान पर उनके नामनिर्देशित व्यक्ति भी बोर्ड की बैठक में भाग ले सकते हैं अनुचित है, वस्तुतः उपकुलपतियों के नामनिर्देशन से कोई लाभ नहीं होगा, उनके स्थान पर ऐसे सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्तियों का नाम निर्देशन करना चाहिये जो कि पुरातत्व के विशेषज्ञ हों।

जहां तक बोर्ड में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय के सचिव का प्रतिनिधित्व करना उचित है तथापि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं है, इसके स्थान पर किसी विशेषज्ञ को स्थान देना चाहिये। अतः मैं बोर्ड के गठन से संतुष्ठ नहीं हूं।

श्री च० का० भट्टाचार्य ने यह आपत्ति उठाई है कि सरकार को इस संग्रहालय को अनुदेश जारी करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मेरे विचार से यह आपत्ति निराधार है, क्योंकि जितनी भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें होती हैं जिन्हें सरकार अनुदान देती है वे सभी सरकारी नीतियों द्वारा नियंत्रित रहती हैं।

मैं इस संस्था की वित्तीय अवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहता हूं जिस से कि यह ज्ञात हो सके कि संस्था की वर्तमान आय का स्रोत क्या है तथा सरकार ने इस संस्था के विकास के लिये कितने प्रतिशत अनुदान दिया है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

मैं श्री दी० चं० शर्मा के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि इस बोर्ड में संसद सदस्यों को भी स्थान दिया जाय। यदि कोई सदस्य इस विषय में दिलचस्पी रखता है तो उसे सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जा सकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़): संग्रहालयों के संबंध में सबसे पहिले १८७६ में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि इस संग्रहालय को एशियाई संग्रहालय से भारतीय संग्रहालय का रूप दिया जाय। तत्पश्चात १९१० में मूल अधिनियम पारित किया गया था इसका उद्देश्य यह था कि यह आशंका दूर हो जाय कि

---

†मूल अंग्रेजी में

संग्रहालय को बंगाल से हटा कर दिल्ली लाया जा रहा है। अतः उस अधिनियम के अधीन एक प्रन्यास बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड में १८ व्यक्ति थे जिनमें से १३ व्यक्ति अखिल भारतीय प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे अन्य ६ व्यक्ति पश्चिम बंगाल के थे।

वर्तमान विधेयक के अधीन इस बोर्ड के सदस्यों की संख्या ११ कर दी गई है। इन में ६ व्यक्ति वे हैं जो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं ५ व्यक्तियों को अखिल भारतीय आधार पर लिया गया है। इस से यह स्पष्ट है कि संग्रहालय को अखिल भारतीय रूप न देकर क्षेत्रीय रूप दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से, उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र के लिये एक राष्ट्रीय संग्रहालय की सथापना की जायेगी, इत्यादि। क्या इसका यह आशय है कि भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के संग्रहालय स्थापित किये जायेंगे। कुछ भी हो मेरा सुझाव है कि क्षेत्रीय शब्द हटा दिया जाय।

मैं खंड १२ (क) का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को अनुदेश जारी करने और नियम बनाने की शक्तियों दी गई हैं। मेरे विचार से सरकार द्वारा इन शक्तियों को अपने हाथ में लेना उचित है। मेरे विचार से सरकार को यह भी अधिकार होना चाहिये कि वे बोर्ड को हटा सकें।

विधेयक के दो उद्देश्य बताये गये हैं, पहिला इसको क्षेत्रीय संस्था का रूप देना और दूसरे इस का विकास करना। मैं इस के पहिले भाग से असहमत हूं तथापि दूसरे उद्देश्य की पूर्ती के लिये जो कार्य किये जा रहे हैं वे निस्संदेह उपयोगी हैं।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : मैं इस विधेयक से सहमत हूं। यह विधेयक ऐसे समय प्रस्तुत किया गया है जब कि सरकार संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने को वचन बद्ध है। वस्तुतः इस पहलू की अभी तक उपेक्षा की गई थी। पहिले अजायबघर को केवल विचित्रताओं का संग्रहालय समझा जाता था, लेकिन अब जनता की धारणा में परिवर्तन आ गया है इसलिये संग्रहालयों के विकास के लिये जो कुछ भी किया जाय वह वांछनीय है।

कलकत्ता संग्रहालय सही मानों में राष्ट्रीय संग्रहालय है। तथापि इस विधेयक के द्वारा इसे क्षेत्रीय रूप देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार विधेयक के उद्देश्य भ्रान्तिपूर्ण हैं, निस्संदेह संस्था के विकास के लिये सभी कुछ किया जाना चाहिये तथापि एक ऐसी पुरानी संस्था को जिसे अभी तक अखिल भारतीय रूप दिया गया था उसे अब क्षेत्रीय रूप देना ठीक नहीं है।

खंड २ के द्वारा (क) (ख) (ग) और (घ) के अधीन आने वाले प्रन्यास सदस्यों को अपने स्थान पर अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेजने का अधिकार दिया गया है। यह खंड आपत्तिजनक और हानिकारक है। खंड १० के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने यह अधिकार अपने पास रखा है कि वे बोर्ड को नीति संबंधी मामलों पर सलाह देंगे और बोर्ड को इन सलाहों को मानना होगा। यह उपबंध उपयोगी और आवश्यक है क्योंकि यह संस्था राष्ट्रीय संस्था है और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं को अग्रेतर प्रारम्भ करना है। तथापि सरकार को चाहिये कि वह उक्त मामलों में अनुदेश देने के लिये विशेषज्ञों का एक बोर्ड बना लेवे। यह बोर्ड उन्हें उक्त मामलों में सलाह देने में समर्थ होगा।

प्रन्यास बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वे कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। मेरे विचार से उन्हें यह अधिकार देना उचित नहीं है। प्रवर समिति को इस मामले

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा श्री ऋणे]

में सावधानी से विचार करना चाहिये। विधेयक पर खंड वार विचार करते समय भी इस प्रश्न पर विस्तार से विचार करना चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि चुनाव समिति में सक्षम व्यक्ति रहें जो ऐसे व्यक्तियों को चुन सकें जो आवश्यक काम करने में समर्थ हों।

†**श्री नरसिंहन्** : सभा में विधेयक की व्यापक आलोचना हुई है और सदस्यों ने इस विधयक में कई त्रुटियां बताई हैं, अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक के स्थान पर दूसरा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें जिस में ये त्रुटियां न हों जिन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि संग्रहालय का वैज्ञानिक तरीके पर सुधार किया जाय। माननीय मंत्री महोदय के भाषण से ज्ञात नहीं हो सका कि त्रुटियां किस प्रकार की हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जायगा।

इस संग्रहालय के प्रशासन में सुधार करने के लिये १९३६ में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक श्री एच० हारग्रीव तथा श्री एस० एफ० मारखम थे। उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि यद्यपि बोर्ड में कई प्रन्यासी हैं तथापि उनको कोई ठोस शक्तियां प्राप्त नहीं हैं और सदस्य भी ऐसे हैं कि उनको समय का अभाव है। इस प्रकार सारा काम बिलम्ब से होने की गुंजायश है। यद्यपि इस बात को २० वर्ष हो गये हैं तथापि अवस्था में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है।

वर्तमान विधेयक के द्वारा इस बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया है। वर्तमान नियमों के अधीन हम राज्यपाल की आलोचना नहीं कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हम इस संस्था के कार्य की आलोचना करने में समर्थ होंगे या नहीं इस बात पर विचार करना है।

मेरे विचार से इस संस्था के पुनर्गठन का बिचार करते समय राज्यों की राय जानना भी आवश्यक है उदाहरणस्वरूप मद्रास में भी एक संग्रहालय है जिसके प्रबन्ध की बहुत प्रसंशा हुई है। अतः ऐसी संस्था का राष्ट्रीयकरण करना लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

मेरे विचार से वर्तमान विधेयक में जो व्यवस्था की गई है वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त संग्रहालय समिति की सिफारिशों के प्रतिकूल है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय संग्रहालय एक ही होना चाहिये, निःसंदेह उसकी कई शाखायें हो सकती हैं लेकिन मुख्य संग्रहालय एक ही हो। लेकिन इस विधेयक के द्वारा आप स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय संग्रहालयों की स्थापना कर रहे हैं। यह ऐसा ही कि आप सिपाही को सिपाही कहने के स्थान पर सेनापति कहने लगें। केवल मात्र नाम में परिवर्तन करने से कोई अंतर नहीं आ जायेगा। एक सनिक को सेनापति कहने मात्र से वह सेनापति नहीं बन जाता। इस कारण कानून को थोड़ा बदल देने से अधिक लाभ न होगा। हमें संसाधनों को विखेरने की बजाय उन्हें एक जगह करना चाहिये।

यूनेस्को समिति के एक अमरीकी सदस्य श्री लोथर० पी० विटवर्ग ने भी इस सम्बन्ध में अपनी राय दी है। इसके अलावा मैंने भी इस विषय का गहन अध्ययन किया है।

भारत सरकार ने भी संग्रहालयों के बारे में एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में कुछ सिफारिशें भी की थीं। उन पर विचार किया गया था। इस कारण

†मूल अंग्रेजी में

हमें इनकी संख्या में बृद्धि नहीं करनी चाहिये। मुख्य राष्ट्रीय संग्रहालय एक स्थान पर होना चाहिए और उस की शाखायें अन्य स्थानों पर भी होनी चाहिएं। किन्तु सरकार इस प्रकार से काम करने को तैयार नहीं। वह इन संग्रहालयों की संख्या बढ़ाना चाहती है।

अमरीकी पर्यवेक्षक ने कहा है कि भारत सरकार का काम नौकरशाही के आधार पर चलने के कारण त्रुटिपूर्ण है। ऐसी व्यवस्था में दीर्घकालीन प्रायोजनाओं का समुचित संचालन होना असंभव है। मैसूर में जो प्रयोग हुआ उस का केन्द्रीय मंत्रालय को ठीक ज्ञान तक न था।

इसलिए संग्रहालयों के ठीक संचालन के लिए एक मुख्य निदेशालय की आवश्यकता है। इस विधेयक से यह स्थिति कभी नहीं सुधरेगी

†**डा० मेलकोटे** (रायचुर) : संग्रहालयों को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना आवश्यक है। किन्तु इस विधेयक द्वारा संभवतया ऐसा न हो सकेगा। संग्रहालयों में बच्चे, तरुण तथा बूढ़े सभी जाते हैं। वहां सभी आयु के लोगों की रुचियों की परितुष्टि का सामान होना चाहिए। परन्तु इस विधेयक में इन बातों पर ज़ोर नहीं दिया गया है।

माननीय मंत्री ने कहा कि सदय काम से अनुपस्थित रहते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है संग्रहालयों के काम में वैज्ञानिक तथा इतिहासवेत्ता ही अधिक रुचि लेते हैं इस कारण उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

मैं ने इंग्लैण्ड के संग्रहालयों के संचालन की विधि का अध्ययन किया है। वहां सरकारी सहायता के अतिरिक्त कुछ विद्वान तथा अन्य दानी लोग भी संग्रहालयों के सुप्रबन्ध में पूरा योग देते हैं। वही लोग करोड़ों पाउंड इकट्ठा करते हैं और जीवन भर एक ही काम में लगे रहते हैं। इसी प्रकार यहां भी कुछ समृद्ध लोगों को इस काम में सहयोग देना चाहिये।

१९५८ में श्री लोथर० पी० विटनवर्ग भारत सरकार के मिंत्रण पर यहां आए थे।

†**श्री हुमायून् कबिर** : वह सभी विषयों के विशेषज्ञ नहीं थे।

†**श्री नरसिंहन्** : भारत में उन्होंने अनेक संग्रहालयों का निरीक्षण किया और अपने विचारों को उन्होंने एक लेख में व्यक्त किया है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : वस्तुतः इस विधेयक के शीर्षक के कारण द्विविधा उत्पन्न हुई है। इस विधेयक की व्याप्ति सीमित है। माननीय सदस्यों ने यह आग्रह किया है कि इस के स्थान पर एक अधिक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष लाया जाय।

संग्रहालयों सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों को मैंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है। उन्होंने सिफारिश की है कि भारत में राष्ट्रीय, राज्यीय तथा क्षेत्रीय एवं स्थानीय प्रकार के संग्रहालय होने चाहिएं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कलकत्ता संग्रहालय को किस प्रकार का संग्रहालय बनाना चाहती है। यदि सरकार इस संग्रहालय को क्षेत्रीय राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित करना चाहती है तो उत्कल, आसाम तथा बिहार विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को भी इस की समिति में प्रतिनिधित्व दिलाया जाना चाहिये।

वास्ताव में यदि सरकार देश भर के बड़े-बड़े संग्रहालयों के प्रबंध में उपयुक्त सुधार करना चाहती है तो इस प्रकार के आंशिक कानून से कोई लाभ न होगा। सरकार को एक व्यापक कानून ही बनाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : माननीय मंत्री यह ; अवश्य बताएं कि धारा ७ के होते हुए खंड (१५ क) (२)(घ) क्यों जोड़ा जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस विधेयक पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह बड़ी अच्छी निशानी है क्योंकि सांस्कृतिक विषयों में जनता की अभिरुचि शुभ लक्षण के समान है ।

साथ ही इस चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने सरकार की आलोचना की है। शायद इस का कारण यह हो कि जब हम ने पहले पहले कुछ बातें कहीं तो उस समय सदस्य यहां उपस्थित न होंगे। शायद मैं यह बता ही चुका हूं कि बहुत सी बातें जो माननीय सदस्यों ने कहीं हों, उनको पहले से ही निपटाया जा चुका है ।

मैं सभी सदस्यों की आलोचना का उत्तर दूंगा। श्री शर्मा ने मार्गदर्शक तथा वैज्ञानिक विकास की बात कही। यह ठीक है कि हमारे यहां मार्गदर्शकों की कमी है। दूसरी बात यह भी है कि संग्रहालयों का प्रशासन इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भी कर पा रहा इसी कारण वर्तमान विधेयक में सब से ज्यादा ज़ोर प्रशासनिक सुधार करने पर दिया जा रहा है

माननीय सदस्य ने सदस्यों के प्रतिनिधित्व की बात कही। संग्रहालयों के प्रशासन में सदस्यों को सहयोगी बनाने की प्रथा ऐसे किसी भी देश में नहीं है किन्तु उन्हें प्रतिनिधित्व देने पर रोक थोड़े ही लगायी जा सकती है। चार सदस्यों को मनोनीत किया गया है। उन का यह काम किस रीति से होगा यह अभी बताना कठिन है। ऐसी बात नहीं कि यहां उपयुक्त लोग हों ही न वरन् मेरा विश्वास है कि योग्य व्यक्ति यहां मौजूद हैं।

माननीय सदस्य ने सदस्यों की संख्या की बात भी कही जिसे मैं समझ नहीं सका जब सदस्य संख्या १८ थी तब परिषद् या बोर्ड का काम ९ सदस्यों से चल जाता था। अब जब कि ११ संदस्य हैं तो हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि न्यासी बोर्ड तब काम करे जब ६ सदस्य उपस्थित हों। यह थोड़ा सा परिवर्तन हम ने किया है। इसी तरह सदस्यगणना में भी हम ने ६ की संख्या रखी है। अब ११ की कुल संख्या में सदस्यगणना ४ रखी गई है। यही थोड़ा सा सुधार है ;।

माननीय सदस्य ने संग्रहालय सेवा को लोक-सेवा आयोग के माध्यम से पुर करने की बात कही। एक तरफ तो यह मांग है कि सारा प्रबन्ध स्वायत्त शासी निकाय के रूप में चले और सारे अधिकार न्यासियों को सौंपे जांय ; दूसरी तरफ यह मांग है कि नौकरियों की पूर्ति लोक-सेवा आयोग के माध्यम से की जाय। लोक-सेवा आयोग उन्हीं लोगों को भर्ती करता है जिन्हें सरकार रखती है। मेरा विचार है कि संग्रहालय सेवा के लिए आयोग द्वारा पदों की पूर्ति नहीं होनी चाहिए। यों तो कल माननीय सदस्य यह सुझाव दे देंगे कि विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की नियुक्तियां भी आयोग के द्वारा ही करायी जांय। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस तर्क के औचित्य को समझ कर सन्तुष्ट हो जायंगे।

अनेक माननीय सदस्यों ने निर्देशनों की बात कही। डा० अणे न यह बात कही कि जब सरकारी रुपया उन के लिए रखा जाता है तो निर्देशन अत्यावश्यक हैं। संसद् के सामने उसका हिसाब रखा जाना चाहिये। यह हिदायतें नीति के बारे में ही होती हैं ; प्रशासन से इनका सम्बन्ध नहीं है। विश्वभारती विधेयक का भी उल्लेख हुआ। १९५१ के बाद से हमें काफी

†मूल अंग्रेजी में

अनुभव हो चुका है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पारित करते समय इस सम्बन्ध में स्पष्ट व्यवस्था की गई थी। हिदायतें देने के अधिकार को संसद् अपने पास सुरक्षित रखना चाहती है। वस्तुतः हिदायतों के बारे में काफी गलत धारणायें रही हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी ने परामर्श के सम्बन्ध में कहा। कुछ और सदस्यों ने यह बात कही कि विधेयक को जल्दी में पारित किया जा रहा है। मैं इसका मतलब नहीं समझता। हम १९३५ से इस संशोधन पर विचार करते आ रहे हैं। १९५० तथा १९५५ में भी चर्चा हुई। पहले इसका मसविदा तैयार हो रहा था इसलिये केबिनेट की स्वीकृति से पूर्व हमने इसे कहीं और भेजना उचित न समझा। किन्तु इसका सारांश १ अगस्त को एशियाटिक सोसाइटी के पास भेजा जा चुका था और भी पत्र व्यवहार हुआ किन्तु उनका कोई उत्तर न मिला। किन्तु आज पहली बार यह सुनने को मिला कि न्यासियों को कोई पत्र ही नहीं मिला। उनके टिप्पण बाद में मिले। यदि माननीय सदस्य राज्य सभा के वाद-विवाद को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके हर टिप्पण पर विचार किया है और जहां तक हो सका है मैंने उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश की है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : उन्हें यहां क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यहां संशोधन नहीं आते। यदि माननीय सदस्य मूल विधेयक तथा पारित विधेयक को देखेंगे तो उन्हें परिवर्तन का ज्ञान हो जायगा।

यह भी कहा गया कि बंगाल सरकार से परामर्श नहीं लिया गया। न्यासियों के बोर्ड की स्थिति के सुझाव को अंतिम रूप पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री के कहने पर ही दिया गया था। एशियाटिक सोसाइटी का यह सुझाव मैं स्वीकार नहीं कर सका कि उनके दो सदस्य मनोनीत कर लिए जांय। पहले २१ सदस्यों के बोर्ड में उनका एक आदमी था। अब ११ के बोर्ड में हम उनका एक आदमी रख रहे हैं। सरकार को चार नाम निर्देशन करने हैं। मैंने उन्हें कुछ नामों का सुझाव देने को कहा है। हमने यह भी बता दिया है कि यदि वे उपयुक्त व्यक्ति का सुझाव दें तो हम उनकी पसंद का एक आदमी और ले लेंगे।

श्री पाणिग्रही ने विधेयक के शीर्षक की बात कही। उन्होंने कहा कि विधेयक का सम्बन्ध कलकत्ता संग्रहालय से है इस कारण इसका वर्तमान नाम भ्रम पैदा करता है। शायद उन्होंने विधेयक को ठीक तरह से नहीं देखा। ८० वर्ष से इसका ऐसा ही नाम चला आ रहा है। हम भारतीय संग्रहालय अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। हम अब नाम कैसे बदल दें। मैं तो उन से इस प्रकार के वक्तव्य की आशा न करता था।

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस संग्रहालय को भारत के पूर्वी क्षेत्र का राष्ट्रीय संग्रहालय क्यों कहा जाय। वे समझते हैं कि इससे उस संग्रहालय का स्तर कम होता है। पता नहीं किस आधार पर उन्होंने यह बात कही कि एक समय उसका नाम एशियाई संग्रहालय था। हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। पहले यह छोटा संग्रहालय था फिर इसका नाम भारतीय संग्रहालय पड़ गया। हमारा अभिप्राय इस संग्रहालय का दर्जा घटाने का नहीं है।

श्री पाणिग्रही ने पूछा कि विशेषज्ञ समिति की राय क्यों नहीं मानी गई। यह सुझाव दिया गया कि भारत में एक राष्ट्रीय संग्रहालय होना चाहिये। उसकी ऐतिहासिक शाखा कलकत्ता में तथा पुरातत्वीय दिल्ली में और वैज्ञानिक शाखा बंगलौर में हो। कृषि सम्बन्धी शाखा उत्तर प्रदेश में हो। मैंने विशेषज्ञों को बताया कि संसार में कहीं पर भी ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी देश की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायूं कबिर]

सांस्कृतिक उपलब्धियों को समझने वाले को कलकत्ता से दिल्ली और बंगलौर तक यात्रा करनी पड़े। यह सारी बात ही गलत थी। हम ने इसे व्यर्थ विचार समझ कर रद कर दिया। भारत जैसे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमें विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने हैं। उसी दृष्टि से हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं। इसी आधार पर हम सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का विकास कर रहे हैं। शायद ऐसे एक दो संग्रहालय और भी हों। हमारी यह भी इच्छा है कि प्रत्येक राज्य में छोटे स्तर पर अच्छे संग्रहालय हों। इसी उद्देश्य से हम उनकी सहायता भी कर रहे हैं ताकि वे राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों का विकास भी कर सकें।

इसी दृष्टि से भारतीय संग्रहालय भी देश के पूर्वी भाग का राष्ट्रीय संग्रहालय है। कोई भी व्यक्ति इस बात को कह नहीं सकता। इसी प्रकार से दिल्ली के संग्रहालय की भी ऐसी ही स्थिति होगी। इसे भी सभी लोग देखेंगे। आरंभ में ऐसे ही तीन चार राष्ट्रीय संग्रहालय खोले जायेंगे। अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता का अपना इतिहास है। सभी के लिए एक ही कानून नहीं बनाया जा सकता। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद सम्बन्धी विधेयक चालू सत्र में पेश किया जायगा और आशा है कि हम उसे पारित करके हैदराबाद में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना करेंगे। सभी के लिए एक कानून नहीं बनाया जा सकता। दस बीस वर्ष के बाद शायद सारे भारतवर्ष के लिए ही एक व्यापक संग्रहालय बने और उसके बाद इस संस्था का पूरा पूरा विकास हो।

श्रीमती कृपालानी ने उपनियमों की बात कही। पता नहीं उन्होंने यह कैसे समझा कि न्यासियों के अधिकार कम किए जा रहे हैं। हमने धारा ७ को तो छुआ तक नहीं है। हम तो केवल धारा ८ में थोड़ा सा संशोधन करने जा रहे हैं। यह संशोधन आनुषङ्गिक है और स्वाभाविक भी है। हमने उपनियम बनाने के अधिकारों को तो छुआ भी नहीं है। न्यासियों की स्थिति वैसी ही रहती है। सरकार उनकी नियमों सम्बन्धी बातों का समादर करेगी। यदि वे नियम नहीं बनायेंगे तो यह काम सरकार करेगी, ऐसी बात नहीं, यह जिम्मेदारी उन्हीं की है।

नियमों तथा उप-विधियों के अन्तर की बात भी पूछी गई। अन्तर स्पष्ट है। उप-विधियों को न्यासी बनाते हैं। नियमों को अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जाता है और संसद् उनकी मंजूरी देती है। नियमों को सभा-पटल पर रखना होता है जब कि उप-विधियों के बारे में ऐसा आवश्यक नहीं है। जब तक वे असंगत हो न हों तब तक कोई व्यक्ति आपत्ति नहीं कर सकता।

श्रीमती कृपालानी ने यह आपत्ति की कि राज्यपाल, सभापति क्यों हो। मैं समझता हूं इससे काफी लाभ होगा। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं। अतः राज्य से इसका सम्बन्ध रह पायेगा। राज्यपाल, दलगत विचारों से ऊपर होने के कारण, वस्तुगत विचार से बात कर सकता है। राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलपति भी तो होते हैं। राज्यपाल विक्टोरिया संग्रहालय कलकत्ता के सभापति हैं भी। उस संग्रहालय के लिये धन की मंजूरी संसद् देती है। संसद् उसके व्यय की आलोचना भी कर सकती है। इससे राज्यपाल की प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस कारण यह आपत्ति भी सारवान नहीं है।

मेरे मित्र श्री गुप्त ने दो तीन बातें बड़ी मजेदार कहीं हैं। उन्होंने कहा कि प्राणीशास्त्र सर्वेक्षण के निदेशक तथा सरकार के अन्य पदाधिकारियों के स्थान पर केवल सचिव का रखा जाना ठीक नहीं है। मैंने ऐसी व्यवस्था करने का यह कारण बताया था कि मेरे मंत्रालय के चार अथवा पांच प्रतिनिधि उसमें हैं तथा एक अजीब बात यह है कि इसमें अब तक पुरातत्व विद्या के महानिदेशक तथा अधीक्षक दोनों होते थे जब कि केवल एक पदाधिकारी की उपस्थिति होना आवश्यक था।

यह सभी विशेषज्ञ सरकारी कर्मचारी होते हैं। अतः सरकार को हमेशा अपनी सलाह दे सकते हैं। यदि इनको न्यासी बोर्ड में रख दिया जायें तो संग्रहालय के जो काम इन्हें सौंपे जाते है उनकी ओर यह पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। भूतत्व निदेशक, प्राणकीय निदेशक, पुरातत्व विद्या के महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारी अधिकांशतः दौरों पर रहते हैं। और जब दौरे पर नहीं रहते हैं उस समय वह अपने प्रतिवेदनों का अध्ययन करते हैं। अपने कामों का विश्लेषण करते हैं और हमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवश्यकता होने पर हम कभी भी उनकी सलाह ले सकते हैं।

मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हमने एक खण्ड में यह व्यवस्था भी की है कि यदि कोई न्यासी बैठक में उपस्थित न हो सके तो सभापति की अनुमति से वह अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। ऐसा हमने इस कारण किया है कि पुरातत्व से संबंधित कार्य होने पर मंत्रालय का सचिव स्वयं बैठक में न जा कर पुरातत्व विद्या के महानिदेशक को वहां भेज सकता है। किसी बैठक में प्राणकीय अथवा वानस्पतिक विषय होने पर प्राणकीय अथवा वानस्पतिक निदेशक को उस बैठक में भेजा जा सकता है। इस प्रकार हमने यह व्यवस्था करली है कि इन विशेषज्ञों की सलाह हमें मिलती रहे और बोर्ड में भी अधिक सदस्य न रहें। भारतीय संग्रहालय के प्रश्न पर विचार करने वाली सभी समितियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि बोर्ड की सदस्य संख्या १८ अधिक है और इसको कम किया जाना चाहिये।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारा विचार कई विशेषज्ञ सलाहकार संस्थायें बनाने का है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार यह भी है कि इस प्रकार के संग्रहालय के लिए एक पूरे समय का निदेशक होना चाहिये। जो संग्रहालय के विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करें। अन्यथा संग्रहालय के द्वारा जो काम हम कराना चाहते हैं वह नहीं करा पायेंगे। मैं आशा करता हूं कि न्यासियों का नया बोर्ड संभवतया इस संबंध में कार्यवाही करेगा।

यह बताया गया कि संग्रहालयों पर दोहरा नियंत्रण है। वैध मालिक न्यासी हैं परन्तु वास्तविक सत्ता भारत सरकार के विभागों के हाथ में है। इसी दोहरे शासन को दूर करने के लिए हमने न्यासी बोर्ड के अधीन एक संग्रहालय निदेशक रखा है जो अपना पूरा समय इसी काम को देगा।

यह कहा गया कि उद्देश्यों को नष्ट किया जा रहा है। मैं राज्य सभा में जो कुछ इस बारे में बता चुका हूं वही पुनः यहां पर दोहराता हूं कि न्यासियों की मतैक्य से ही उद्देश्यों को छेड़ा जा सकता है। और मैं सरकार की ओर से आश्वासन देता हूं कि यदि न्यासियों ने इसके बारे में उप-विधियां बनाईं तो हम उनको अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जनता के प्रतिनिधियों का प्रश्न सामने रखा। मैं समझता हूं कि इसका पता लगाना ही बड़ा कठिन काम है कि जनता का प्रतिनिधि कौन है। क्या आप चाहते हैं कि कलकत्ता, उड़ीसा तथा आसाम आदि की जनता एक एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करे। हमने मेयर को तो उसमें रखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा मेरे कुछ अन्य मित्रों ने कहा कि सरकारी नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि हम जब पदाधिकारियों की संख्या कम कर रहे हैं तब सरकारी नियंत्रण किस प्रकार बढ़ रहा है। राज्यपाल सरकारी पदाधिकारी नहीं है। कलकत्ते का मेयर सरकारी पदाधिकरी नहीं है। भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले चार व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी नहीं होंगे। संभवतया केवल एक सरकारी पदाधिकारी इसमें होगा जो भूतत्वीय परिमाप का प्रतिनिधि होगा मंत्रालय का पदाधिकारी नहीं। एशियाटिक सोसायटी का एक प्रतिनिधि तथा पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि होगा। यदि आपकी राय में विश्वविद्यालय का उप-कुलपति, मेयर, राज्यपाल सभी सरकारी पदाधिकारी हैं तो आपकी ठीक राय नहीं है।

[श्री हुमायून् कबिर]

श्री अरविंद घोषाल ने कहा कि यह एक छोटा सा विधेयक है। मैं बता चुका हूं कि संभवतया एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील नहीं है। मैं समझता हूं कि छोटे विधेयक के द्वारा बड़े विधेयक की तुलना में अधिक प्रगति हो सकती है।

उन्होंने संग्रह योग्य वस्तुओं को खरीदने का प्रश्न उठाया। हमने संग्रहालय के अनुदान बढ़ा दिए हैं। अनुदानों के आंकड़े देखने पर आपको पता लगेगा कि गत दो अथवा तीन वर्षों में संग्रहालयों के अनुदानों की राशि बहुत बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये निश्चित राशि इन दो, तीन वर्षों में व्यय हो जायेगी।

डा० सामन्त सिंहार ने पटना, उत्कल तथा गौहाटी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के बारे में कहा। मैं स्वीकार करता हूं कि एक बार मैंने भी कलकत्ते से बाहर के कुछ प्रतिनिधि रखने के बारे में सोचा था। परन्तु मुझे यह सलाह दी गई कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे एक तो संस्था की सदस्य संख्या बढ़ जायेगी और दूसरे यह लोग सभी बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकेंगे क्योंकि बैठकें महीने में एक बार अवश्य होंगी। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जब भी कभी इस में सदस्यों का नामनिर्देशन करेगी तभी सभा सदस्यों के सुझावों पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

मैं आशा करता हूं कि मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और सभा संतुष्ट हो गई है कि यह विधेयक भारतीय संग्रहालयों की दशा सुधारने में सहायक होगा। मैं आशा करता हूं कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जायेगा।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय संग्रहालय अधिनियम १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २--(धारा २ का संशोधन)

†**डा० सामन्त सिंहार** : मैं अपने संशोधन संख्या १ तथा २ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि कलकत्ता, पटना, गोहाटी तथा उत्कल विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को इसमें रखा जाना चाहिये। दूसरे राज्यपाल, मेयर, महालेखापाल इस बोर्ड में हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नामनिर्देशन की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ३ से १३ विधेयक में जोड़ दिए गए

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

समवाय (संशोधन) विधेयक

†**सभापति महोदय** : सभा में अब समवाय अधिनियम, १९५६ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, पर विचार होगा।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : चूंकि समय कम है आज तो मैं प्रस्ताव प्रस्तुत किये देता हूं और कल अपना भाषण दूंगा।

†**सभापति महोदय** : आज आप प्रस्ताव रख सकते हैं।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समवाय अधिनियम १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : सभा अब कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०
२४ कार्तिक, १८८२ (शक

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		११५—३६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३	एक्सप्रेस तार	११५—१६
४४	खाद्य का उत्पादन	११७
४५	केरल में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने का कार्य	१२२—२४
४६	फसलों की क्षति	११८—२२
४७	फीरोज़ाबाद के निकट रेल दुर्घटना	१२५–२६
४८	दक्षिण रेलवे पर संचालन अनुपात	१२६–२७
४९	डाक और तार के विभागातिरिक्त कर्मचारियों सम्बन्धी समिति	१२७—३०
५०	दिल्ली में भूमि अर्जन	१३०—३३
५१	प्रादेशिक खाद्य निदेशालय, कलकत्ता के एक कर्मचारी द्वारा की गई आत्महत्या	१३३—३६
५२	अन्तर्देशीय जल परिवहन	१३६—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१३९—२०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
५३	इस्पात का आयात	१३९
५४	ठेकेदारों को अधिक भुगतान	१३९–४०
५५	यमुना पर सड़क का दूसरा पुल	१४०
५६	मेंढ़कों का निर्यात	१४०
५७	हल्दिया पत्तन	१४१
५८	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	१४१
५९	भारत में चिकित्सा शिक्षा	१४१–४२
६०	बैंगलौर में सिंचाई तथा विद्युत् गोष्ठी	१४२
६१	काजू फल से खाद्य उत्पाद	१४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
६२	झाझा के निकट रेल गाड़ी दुर्घटना	१४३
६३	केन्द्रीय यातायात नियंत्रण .	१४३
६४	नदी सर्वेक्षण	१४४
६५	भारतीय नाविक .	१४४
६६	नौवहन के लिये धन का नियतन	१४५
६७	पर्यटकों के लिये विमान दरों में कमी	१४५
६८	रेलवे के लिये कोयले का संभरण	१४५–४६
६९	असैनिक उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र	१४६
७०	हिमाचल प्रदेश में सेब और अदरख विपणन समिति .	१४६
७१	डाकखाने के चैक	१४७
७२	गंगा नदी पर पुल . .	१४७
७३	नई दिल्ली में बंदरों का उत्पात	१४७-१४८
७४	पूर्वी पाकिस्तान में कर्णफूली बांध	१४९
७५	नल कूप .	१४९–५०
७६	पश्चिमी रेलवे का हायर सैकण्डरी स्कूल, रतलाम .	१५०
७७	हल्दिया लंगर	१५०–५१
७८	दिल्ली मास्टर प्लान	१५१
७९	जहाज़ बनाने का दूसरा कारखाना	१५१–१५२
८०	रेल के डिब्बों का निर्यात .	१५२
८१	कांडला पत्तन निर्बाध व्यापार ज़ोन	१५३
८२	यमुना जल विद्युत् योजना	१५३
८३	खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	१५३–५४
८४	उड़ीसा को चीनी का संभरण	१५४
८५	राज्यों में केन्द्रीय मशीनीकृत एककों की स्थापना	१५४–५५
८६	चीनी . .	१५५–५६
८७	अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस	१५६
८८	हावड़ा में रेलवे गोदाम में आग	१५६–५७
८९	पोषाहार . . .	१५७
९०	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर	१५७–५८

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या		
९१	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये कल्याण निधि . .	१५८
९२	चितरंजन के इंजन का मूल्य . . .	१५८
९३	खाद्य ज़ोनों की समाप्ति . .	१५९
९४	हावड़ा के निकट रेलवे दुर्घटना . . .	१५९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५४	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण . .	१६०
५५	उड़ीसा में नई रेलवे लाइनें . . .	१६०–६१
५६	उड़ीसा में पोषक आहार सम्बन्धी रसोइयां . .	१६१
५७	सहकारी कृषि समितियां	१६१
५८	उत्तर रेलवे में गाड़ियों में डकैतियां .	१६१–६१
५९	हिमाचल प्रदेश में भेड़ पालने के केन्द्र . . .	१६२
६०	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	१६२–६३
६१	उत्तर रेलवे पर चलते पुस्तकालय . . .	१६३
६२	प्रादेशिक वन अनुसंधान केन्द्र, जबलपुर . .	१६३
६३	खाद्यान्नों का उत्पादन .	१६३–६४
६४	कपास का उत्पादन .	१६४–६५
६५	तिलहन का उत्पादन .	१६५
६६	पटसन का उत्पादन .	१६६
६७	विकास खण्ड . .	१६६–६७
६८	सामुदायिक विकास कार्यक्रम .	१६७
६९	सामुदायिक विकास कार्यक्रम .	१६८
७०	प्राथमिक कृषि संस्थायें .	१६८–१६९
७१	सहकारी संस्थायें . .	१६९
७२	सिंचाई सम्बन्धी क्षमता .	१७०
७३	बिजली की संस्थापित क्षमता .	१७०–७१
७४	उत्तर प्रदेश में टेलीफोन के कनेक्शन .	१७२
७५	उत्तर प्रदेश में कुष्ट रोग . .	१७२
७६	उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र . . .	१७२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखत उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७७	स्पिती घाटी में हवाई अड्डा . . .	१७२–७३
७८	रेलवे समय सारणी	१७३
७९	सिंचाई योजनायें .	१७३–७४
८०	आम हड़ताल	१७४–७६
८१	आम हड़ताल . .	१७६–७७
८२	वैतरिणी परियोजना . .	१७७–७८
८३	ढले हुये लोहे की स्लीपर की प्लेटें	१७८
८४	डाक तथा तार कर्मचारी	१७८
८५	डाक तथा तार कर्मचारी	१७८
८६	महाराष्ट्र में काजू की खेती	१७९
८७	मोटर दुर्घटनायें . .	१७९
८८	सेविंग बैंक एकाउण्ट तथा पोस्टल सर्टिफिकेट	१७९
८९	खाद्यान्नों के भाव . .	१८०
९०	ग्लाइडिंग प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद	१८०
९१	परदीप पत्तन . . .	१८०–८१
९२	अन्तर्देशीय जल परिवहन सम्बन्धी समिति . .	१८१
९३	रेलगाड़ियों में भीड़भाड़ . . .	१८२
९४	खड़गपुर–वाल्टेयर पैसेंजर गाड़ियां . .	१८२–८३
९५	बांसपानी क्षेत्र को मालडिब्बों का आवण्टन	१८३–८४
९६	कच्चे तेल के आयात के लिये जहाज भाड़ा	१८४
९७	दुर्गम क्षेत्र समिति	१८५
९८	भारत-भूटान सड़कें	१८५
९९	बंजर भूमि प्रवर समिति .	१८६
१००	पंजाब में फसल का बीमा	१८६
१०१	आदर्श नगर आयोजन विधान. . .	१८६–८७
१०२	सहकारी समितियां . .	१८७
१०३	बरौनी-समस्तीपुर बड़ी लाइन .	१८७
१०४	नालागढ़ समिति . .	१८८
१०५	बहु-प्रयोजनीय खंड	१८८–८९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१०६	झाली हुई पटरियां	१८९
१०७	मनमद स्टेशन, मध्य रेलवे	१८९
१०८	केरल में रेलवे कर्मचारियों का बहाल किया जाना	१८९–९०
१०९	केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म, सूरतगढ़	१९०
११०	पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में सिंचाई	१९०–९१
१११	महिला डिब्बों में पुश बटन	१९१
११२	पानी की नांदें	१९१
११३	दिल्ली में भूमि	१९२
११४	भाण्डागार	१९२
११५	विलम्ब शुल्क	१९२
११६	अन्दुल पुल उच्चमार्ग	१९३
११७	भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था	१९३
११८	रेलवे समय सारणी	१९३–९४
११९	बालासोरा में पीने का पानी	१९४
१२०	सिंदी स्टेशन पर दुर्घटना	१९४–९५
१२१	रेलवे बुक स्टालों पर पुस्तकें	१९५
१२२	केरल में नई रेलवे लाइन	१९६
१२३	गन्ने के मूल्य	१९६
१२४	नागार्जुन सागर परियोजना	१९७
१२५	बम्बई के निकट रेल व सड़क का पुल	१९७
१२६	मिराज-कोल्हापुर लाइन	१९७
१२७	आन्ध्र प्रदेश को ज्वार का सम्भरण	१९८
१२८	कैन्सर	१९८
१२९	जंघाई स्टेशन	१९८–९९
१३०	रेलवे इंजनों का आयात	१९९
१३१	स्पीति घाटी में डाक तथा तार सुविधायें	१९९
१३२	आन्ध्र प्रदेश में मेडिकल कालेज	१९९–२००
१३३	नियमित बाजार	२००
१३४	उड़ीसा में बाढ़-नियंत्रण	२००–०१
१३५	उड़ीसा में डाक तथा तार भवन	२०१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३६ गेहूं का उत्पादन . २०१—०२

१३७ मद्रास राज्य में क्षय रोग रुजालय . . २०२

१३८ डाक घर बचत बैंक खाते . २०२—०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०३—०४

(१) वक्फ अधिनियम १९५४ की धारा ६६—क की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ३ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०३२ में प्रकाशित पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६०;

(दो) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७५ में प्रकाशित त्रावनकोर-कोचीन वक्फ बोर्ड (विघटन) आदेश, १९६० ।

(२) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वर्ष १९५७—५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९६० के अन्दमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२७ ६० की एक प्रति ।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ३० अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०४७ में प्रकाशित मोटर गाड़ी (राजनयिक तथा वाणिज्य दूत पदाधिकारियों की गाड़ियां) पंजीयन नियम, १९६० ;

(ख) हिमाचल प्रदेश पर लागू पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २४ सितम्बर, १९६० के हिमाचल प्रदेश प्रशासन गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच० (टी) १४—४४७ ५९ ;

(ग) दिनांक १८ मई, १९६० के अन्दमान और निकोबर गजट में प्रकाशित अधिसूचना ९०६० जिसमें अन्दमान और निकोबर द्वीप-समूह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, १९६० दिये हुये हैं ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(५) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अन्तर्गत निकाली गई दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११०५ की एक प्रति ।

(६) कृषि उत्पाद (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १५ की उप-धारा (३) अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा भाण्डागार बोर्ड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(७) भारतीय बिजली अधिनियम, १९१० की धारा ३८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४२२ में प्रकाशित भारतीय बिजली नियम, १९५६ में कुछ संशोधनों की एक प्रति ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . २०४

छप्पनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया . २०५–०६

पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर विचार करने के लिये नियत समय के बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २०७—१०

श्री नौशीर भरुचा ने प्रस्ताव किया कि भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये नियत समय २ घंटे से बढ़ा कर ४ घंटे कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक—पारित . . . . २१०—३३

वैज्ञानिक-अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड वार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

विधेयक—विचाराधीन २३३

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने प्रस्ताव किया कि समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

समवाय (संशोधन) विधेयक, पर संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, और आगे विचार, तथा उसका पारित किया जाना ।

GIPND—LS III—1298 (Ai) LSD—29-11-60—100.